अंक २
संख्या १९

सत्यमेव जयते

सोमवार
२७ अप्रैल, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग ३५४१—३५८४]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग ३५८४—३६००]

(मूल्य ४ आने)

224 P.S.D.

लोक सभा

सोमवार, २७ अप्रैल, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कपड़े का निर्यात

*१६१४. **डा०राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्त्तमान निर्धारित अवधि (जून, १९५३) के बाद भी क्या सब किस्मों के कपड़े के निर्यात की खुले रूप से आज्ञा दी जाएगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : कपड़े के निर्यात की सितम्बर, १९५३ तक खुले रूप से अनुमति दी जाएगी ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि खुले रूप से लाइसेंस देने की प्रथा अपनाई जाने के बाद से हमारे कपड़े के निर्यात के मूल्य में कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं तो कहूंगा 'हां हुई है' । मेरे पास मूल्य सम्बन्धी आंकड़े तो नहीं हैं किन्तु मात्रा सम्बन्धी आंकड़े मौजूद हैं । निर्यात प्रतिबन्ध मई के मध्य में, शायद १७ मई को, ढीले किए गए थे । उस से पूर्व, सन् १९५२ के प्रथम चार मासों में

औसत निर्यात लगभग २.५ करोड़ गज था । मई में बढ़ कर यह ४.६ करोड़ गज हो गया, जून में ६.९ करोड़ गज, जुलाई में ६.९ करोड़ गज, अगस्त में ८.२ करोड़ गज और तत्पश्चात् यह कम होना प्रारम्भ हो गया—सितम्बर में ६.५ करोड़ गज, अक्टूबर में ६.३ करोड़ गज, नवम्बर में ५ करोड़ गज और दिसम्बर में ४ करोड़ गज । जनवरी में हमने निर्यात शुल्क कम करने का निर्णय किया और तब से ४.५ करोड़ से ४.६ करोड़ गज का औसत रहा है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि हमारे आन्तरिक बाज़ार पर—मेरा आशय मोटे और मध्यम कपड़े के उपभोक्ताओं से है—और इन किस्मों के कपड़ों के निर्माण पर इस प्रथा का तथा निर्यात शुल्क कम करने का क्या प्रभाव पड़ा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं समझता हूं कि कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है । मेरा तो ख्याल है कि इस किस्म के कपड़ों का स्टॉक बहुत काफी है । सावधानी के तौर पर, निर्यात होने वाले कपड़ों की इन किस्मों पर हम मूल्य नियंत्रण अब भी रक्खे हुए हैं और मैं समझता हूं कि स्थिति का किसी भी प्रकार बेकाबू होना सम्भव नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या इन किस्मों के कपड़ों के मूल्यों में कोई वृद्धि हुई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार बाज़ार

घटता-बढ़ता रहता है। जहां तक उपभोक्ता का फुटकर मूल्यों से सम्बन्ध है मैं समझता हूं कोई उल्लेखनीय वृद्धि मूल्यों में नहीं हुई है। इस के विपरीत मुझे बतलाया गया है कि मूल्यों में पर्याप्त कमी आ गई है।

श्री केलप्पन : ऊपर बतलाए गए आंकड़ों में क्या हथकरघे का कपड़ा भी सम्मिलित है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक निर्यात के आंकड़ों का प्रश्न है, ये सम्मिलित आंकड़े हैं। किन्तु हथकरघों के वस्त्र के अलग आंकड़े भी हम बतला सकते हैं।

श्री केलप्पन : क्या मैं जान सकता हूं कि हथकरघा कपड़े के निर्यात में कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचरी : मैं पूर्व सूचना चाहूंगा।

भारतीय जूट मिल संघ द्वारा प्रचार

*१६१५. **श्री बी० के० दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अमरीका में जूट के माल को लोकप्रिय बनाने के लिये भारतीय जूट मिल संघ द्वारा क्या प्रचार किया जाता है;

(ख) क्या इसी प्रकार का प्रचार अन्य देशों में भी किया जाता है; और

(ग) क्या प्रचार कार्य को बढ़ाने के परिणामस्वरूप मांग में कोई वृद्धि हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) अमरीका में भारतीय जूट मिल संघ द्वारा अगस्त, १९५२ में एक जन सम्पर्क आन्दोलन प्रारम्भ किया गया था जिस का आशय मोटे केनवैस के विक्रय को बढ़ाना जूट के स्थानापन्नों द्वारा ले लिए गए बाजार की पुनः प्राप्ति करना था। यह आन्दोलन मुख्यतया व्यापार विज्ञापनों तथा रेडियो और टेलीविज़न द्वारा किसान समुदाय के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों के जरिए किया जाता है।

(ख) संघ इसी प्रकार का प्रचार इंग्लैण्ड में भी करने का विचार कर रहा है। इसी प्रकार के एक प्रचार मिशन पर उन का एक प्रतिनिधि-मण्डल आस्ट्रेलिया और न्यू जीलेंड गया हुआ है।

(ग) इतना शीघ्र इस आन्दोलन का परिणाम बतलाना सम्भव नहीं है।

श्री बी० के० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रचार में उक्त संघ का कुल व्यय क्या होगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : गत वर्ष का व्यय लगभग १००,००० डालर था; इस वर्ष १०,००० डालर और बढ़ जाने की सम्भावना है।

श्री बी० के० दास : इस संघ के अमरीका में प्रचार के लिए २५,००० डालर का विशेष अनुदान देने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : उन्हें प्रचार में अधिक रुपया लगाने को उत्साहित करने के लिए जिस से अंततोगत्वा इस देश के अर्थतंत्र और राजकोष को भी लाभ होगा।

श्री बी० के० दास : क्या यह अनुदान संघ द्वारा मांगा गया था अथवा सरकार ने स्वयं अपने आप दिया ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : ये बातें बताना अत्यन्त कठिन हैं। इस विशिष्ट कार्यवाही का कारण और प्रभाव इस प्रकार था। यह इशारा आया होगा कि वे लोग सरकारी सहायता चाहते हैं और सरकार ने उदारतापूर्वक यह सहायता दे दी।

श्री बी० के० दास : इस अनुदान के साथ कोई शर्त्त भी है अथवा संघ अपनी इच्छानुसार प्रचार कार्य पर इसे व्यय कर सकता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं समझता हूं कि उन के किसी प्रकार का प्रचार करने का यह प्रश्न नहीं है। प्रचार की रूपरेखा निर्धारित कर दी जाती है और सरकार को यह मालूम रहता है; किन्तु अनुदान के साथ कोई शर्त्त नहीं है ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या अमरीका में हमारे ग्राहक अन्य देशों की ओर मुड़ रहे हैं और यदि हां तो उसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : आन्दोलन मुख्यतया लोगों को पुनः मोटे केनवेस के प्रयोग पर लाने का है और इस दृष्टिकोण से यह सफल हुआ है क्योंकि सन् १९५१ और १९५२ के आंकड़े मोटे केनवेस के उपभोग में ६० से ७० प्रतिशत तक वृद्धि प्रदर्शित करते हैं । किन्तु जहां तक अमरीका का अन्य देशों की ओर जाने का प्रश्न है, यह मूल्य का मामला है और इस मामले में हमें अन्य देशों का मुकाबला करना होगा ।

श्री टी० के० चौधरी : बोरे के बाज़ार की स्थिति क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रचार के अतिरिक्त भारतीय पटसन समिति का चाय विकास बोर्ड की भांति कोई पटसन विकास बोर्ड भी नियुक्त करने का विचार है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक मुझे विदित है, ऐसी कोई बात विचाराधीन नहीं है ।

धातुओं का निर्माण

*१६१७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में सन् १९५१–५२ और १९५२–५३ में कितने मूल्य की धातुओं का निर्माण हुआ ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : एक विवरण सदन पटल पर रक्खा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट १०, अनुबंध संख्या २१]**

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस विवरण में वर्णित धातुओं का कच्चा माल भी विदेशों को निर्माण कार्य के लिए निर्यात किया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे लिए इस प्रकार के अत्यन्त सामान्य प्रकृति के प्रश्न का उत्तर देना कठिन है । यदि माननीय सदस्य कोई विशिष्ट प्रश्न रक्खें तो मैं उत्तर दे सकूंगा । विवरण में हम ने ५ वस्तुएं दिखलाई हैं और मुझे नहीं मालूम कि कच्ची धातु के निर्यात के सम्बन्ध में इन में से किस से उनका मतलब है ।

डा० राम सुभग सिंह : ऐसी कौन-कौन सी धातुएं हैं जिन्हें निर्मित करने का संयंत्र भारत में बिल्कुल नहीं है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं नहीं समझ सका कि 'निर्मित करने' से उन का आशय क्या है—परिष्कृत करने से अथवा धातु में से बनाने के लिए ।

डा० राम सुभग सिंह : परिष्करण ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हम यहां जस्ते का परिष्करण नहीं कर सकते ।

सिंचाई विकास (मार्गोपाय) निधि

*१६१८. **श्री एल० एन० मिश्र** : (क) क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा

करेंगे कि योजना आयोग के सुझावानुसार सिंचाई विकास (मार्गोपाय) निधि की स्थापना के लिए क्या पग उठाए गए हैं ?

(ख) यह निधि केवल राज्य सरकारों की ही होगी अथवा दोनों राज्य और संघ सरकारों की ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) एक सिंचाई विकास (मार्गोपाय) निधि की स्थापना का प्रस्ताव बम्बई, मद्रास, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पच्छिमी बंगाल, हैदराबाद, मैसूर, त्रावनकोर-कोचीन की सरकारों द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है मध्य प्रदेश ने भी सन् १९५२–५३ में १० लाख रुपए प्रति वर्ष की छोटी राशि से एक असमाप्य निधि की स्थापना की थी । किसी अन्य राज्य ने अभी इस प्रकार की निधि नहीं स्थापित की है ।

(ख) योजना आयोग द्वारा किए गए प्रस्ताव के अनुसार, सिंचाई विकास (मार्गोपाय) निधि में सामान्य राजकोष से अंशदान, उपकारार्थ शुल्क की प्राप्तियां, राज्यों द्वारा उगाहे गए ऋण की प्राप्तियां तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाने वाली राशियां सम्मिलित करने का विचार था ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि इस के अंतर्गत इकट्ठी की गई राशियां केवल उत्पादक सिंचाई कामों में ही खर्च की जायेंगी अथवा अनुत्पादक सिंचाई कार्यों में भी खर्च की जायेंगी ?

श्री हाथी : ये विस्तृत ब्यौरे के प्रश्न हैं, इन पर विचार नहीं किया गया है ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि इस निधि की स्थापना से सिंचाई परियोजनाओं की वर्त्तमान वित्तीय तथा लेखा प्रक्रिया में भी कोई परिवर्त्तन होगा ?

श्री हाथी : इससे लेखा व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

श्री एम० सी० सामन्त : क्या इस विकास निधि में उन लोगों से लिए गए ऋण भी सम्मिलित होंगे जिनको कि लाभ पहुंचेगा जैसा कि योजना आयोग में अपेक्षा की गई है ?

श्री हाथी : इसमें सामान्यतः यह सम्मिलित होगा ।

श्री एन० एल० जोशी : जिन जिन राज्यों में यह फंड बन चुके हैं, उनमें अभी तक केन्द्रीय सरकार ने कितनी सहायता दी है ?

श्री हाथी : यह निधि केवल मध्य प्रदेश द्वारा स्थापित की गई है, किसी अन्य राज्य ने इसे अभी स्थापित नहीं किया है ।

श्री ए० एम० टामस : इस निधि में अभी तक कुल कितना रुपया आया है ।

श्री हाथी : केवल मध्य प्रदेश में यह निधि है और प्रारम्भ में लगभग १० लाख रु० उसने दिए हैं ।

श्री बी० के० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि उपकारार्थ शुल्क का कोई आधार निर्धारित किया जाएगा ?

श्री हाथी : यह स्वयं राज्यों पर निर्भर रहेगा ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या इस निधि का निर्माण उपकारार्थ शुल्क, जल शुल्क तथा सिंचाई शुल्क से मिल कर होगा ?

श्री हाथी : जी हां, वे इस उपकारार्थ निधि का भाग होंगे ।

श्री एन० सोमाना : इस निधि को प्रतिशत अनुदान कितना दिया जाएगा ?

श्री हाथी : यह सबसे पहले प्रत्येक विशिष्ट योजना पर निर्भर रहेगा ।

कलमी शोरे का उद्योग

*१६१९. **श्री एम० एन० सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में इस समय कलमी शोरे के उद्योग की दशा ;

(ख) द्वितीय युद्ध से पूर्व, युद्ध के दौरान में और युद्ध के पश्चात बाहर से कितना कलमी शोरा आयात किया गया और इसी काल में कितना देश में उत्पादित किया गया ; और

(ग) इस उद्योग की तथा इसमें काम करने वाले मजदूरों की दशा सुधारने के लिए सरकार क्या पग उठाने का विचार रखती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). एक विवरण सदन पटल पर रक्खा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबंध संख्या २२]**

श्री धूसिया : क्या मैं जान सकता हूं कि यह उद्योग आत्म-निर्भर है, और यदि नहीं तो इसे आत्म-निर्भर बनाने में क्या क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि "आत्मनिर्भरता" का यह तात्पर्य है कि हम पोटेशियम नाइट्रेट आयात करते हैं या नहीं, तो मैं बतला दूं कि यद्यपि हमने इसके आयात का ४० प्रतिशत कोटा दिया हुआ है, तथापि इसका बिल्कुल आयात नहीं होता। स्पष्टतः जो कुछ यहां उत्पादित किया जाता है, पर्याप्त होता है, हम कुछ मात्रा निर्यात भी करते हैं। सन् १९५०-५१ में हमने २१५ टन निर्यात किया था। सन् १९५१-५२ में हमने ९९ टन निर्यात किया था और इसके बाद के छः मासों में २८ टन। किन्तु उत्पादन का प्राक्कलित सम्भावनाएँ लगभग ५,००० टन के आस पास हैं। वास्तविक उत्पादन इससे कम है और ३,००० टन या उससे कम होता है। मैं जो कुछ कह सकता हूं वह यह है कि इस समय हमारे काम के लिए पर्याप्त पोटेशियम नाइट्रेट प्रतीत होती है, यद्यपि हम एक भिन्न प्रकार की नाइट्रेट, जो चिलियन नाइट्रेट कहलाती है, कृषि तथा औद्योगिक कामों के लिए आयात करते हैं।

चाय की पेटियां

*१६२०. **श्री एस० सी० सामन्त**: (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्लाइवुड उद्योग को चाय की पेटियां बनाने के लिए अंडमन की लकड़ी पर्याप्त मात्रा में मिल रही है ?

(ख) यदि हां तो, सन् १९५१-५२ में इस उद्योग को कितनी लकड़ी दी गई थी ?

(ग) भारत के प्लाइवुड उद्योग द्वारा अन्य देशों को कब तक चाय की पेटियां निर्यात करने की आशा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). १०,६७८ टन अंडमन के प्लाई लट्ठे दिए गए थे जो कलकत्ता क्षेत्र की फैक्टरियों की लगभग ३५ प्रतिशत आवश्यकता की पूर्ति करते थे।

(ग) चाय की पेटियों का निर्यात खुली सामान्य अनुज्ञप्ति में सम्मिलित है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या भारत का प्लाइवुड उद्योग अंडमन लकड़ी के अतिरिक्त भी कोई लकड़ी प्रयुक्त कर रहा है और क्या वह लकड़ी भी आयात की हुई लकड़ी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ने बतलाया कि अंडमन लकड़ी से हमारे उद्योग की केवल ३५ प्रतिशत पूर्ति ही होती है जिसका अर्थ यह हुआ कि अन्य लकड़ी भी

प्रयुक्त की जा रही है, किन्तु मेरा ख्याल है कि अधिकतर देश में उत्पादित लकड़ी ही प्रयोग में आ रही है।

श्री एस० सी० सामन्त : माननीय मंत्री जी ने कहा कि चाय की पेटियों का निर्यात खुली सामान्य अनुज्ञप्ति में रखा गया है। क्या लंका को इनका कोई निर्यात किया गया है और निर्यातित सामान को लंका द्वारा अस्वीकृत करने का क्या कारण है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं पूर्व-सूचना चाहूंगा।

श्री सरमा : क्या भारत की अपनी चाय की पेटियों की सम्पूर्ण आवश्यकता यहां के निर्माण से पूरी हो जाती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : चालू आधे वर्ष तक हम इनके आयात की अनुमति नहीं दे रहे हैं। इसलिए इसका यह अर्थ हुआ कि हम जो कुछ उत्पादित करते हैं वह पर्याप्त होता है।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या सरकार को इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि हमारी चाय की पेटियां निर्यात की धक्के-धुक्की नहीं सह सकतीं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार को कोई विशिष्ट शिकायतें नहीं प्राप्त हुई हैं, किन्तु अखबारों में सरकार ने शिकायतें देखी हैं।

श्री पुन्नूस : क्या मैं जान सकता हूं कि देश में उपलब्ध प्लाइवुड का पूरा-पूरा उपयोग किया जाता है और क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि किन किन राज्यों से यह आती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रथम प्रश्न के सम्बन्ध में, यह अपने अपने मत का सवाल है। यदि कोई प्लाइवुड आयात नहीं की जाती, तो स्पष्टतः ही देश में उपलब्ध प्लाइवुड का अधिकतम प्रयोग होता है। यदि माननीय सदस्य राज्यवार उत्पादन के आंकड़े चाहते हैं तो उसके लिए मैं पूर्व-सूचना चाहूंगा।

श्री एन० एम० लिंगम् : क्या यह सच है कि अमरीका जैसे देशों में हमारी चाय के विक्रय पर हमारी चाय की पेटियों की खराब किस्म का विपरीत प्रभाव पड़ता है, और यदि हां, तो सरकार द्वारा हमारी चाय की पेटियों की किस्म सुधारने के लिए क्या प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : भारतीय प्रमाप संस्था ने चाय की पेटियों के लिए कुछ प्रमाप स्थिर किए हैं और यह देखने के लिए कि निर्धारित किस्म में कोई खराबी नहीं आए, जांच की जाती रहती है। मैंने हमारे देश की चाय पेटियों के सम्बन्ध में शिकायतें देखी हैं, विशेषकर इंगलैण्ड के अखबारों में। इसके साथ साथ मैं ने विशेषज्ञों द्वारा हमारे प्लाइवुड उद्योग की ऊंची प्रशंसा भी सुनी है। हाल में टेकनीकल सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेषज्ञ श्री क्रेमर आए थे। वह सब जगह बोलते रहे हैं और उनके भाषण अखबारों में छपे हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय प्लाइवुड की कस्म उतनी ही अच्छी है जितनी कि किसी अन्य देश की।

श्री मात्तन : त्रावनकोर और कोचीन की प्लाइवुड फैक्टरियों की लकड़ी की सम्पूर्ण आवश्यकता उसी क्षेत्र से पूरी हो जाती है अथवा वे आयातित लकड़ी पर भी निर्भर कर रही हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : क्षेत्र-विशेषों के सम्बन्ध में विशिष्ट प्रश्नों के लिए मुझे पूर्व-सूचना की आवश्यकता है।

सामुदायिक परियोजनाएं

***१६२१. श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जिन सामुदायिक परियोजनाओं पर काम हो रहा है वहां कुल कितनी राशि अब तक खर्च की जा चुकी है और प्रत्येक मामले में क्या परिणाम निकला है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारत सरकार को ये शिकायतें मिली हैं कि सामुदायिक परियोजनाओं के लिए रुपए की स्वीकृति में विलम्ब होता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) ३१ दिसम्बर, १९५२ तक सामुदायिक परिजयोनाओं पर कुल १५,१५,९२८ रुपए व्यय किए गए। प्रत्येक परियोजना ब्लौक की तिमाही रिपोर्ट का संक्षेप सदन पटल पर रखा जाता है **[पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या एस० ४१/५३]**

(ख) प्रारम्भ में कुछ शिकायतें आई थीं।

(ग) राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत चर्चा करने के पश्चात कार्यक्रम तथा आयव्ययक निर्धारित किए गए हैं। परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति देने के प्रयोजन से अधिकतर राज्यों में विकास आयुक्तों को अधिकार सौंप दिए गए हैं। अन्य राज्यों से, जिन्होंने अधिकार नहीं सौंपे हैं इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करन को कहा गया है।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या यह सच है कि अंतर-विभागीय सहकार की कमी तथा वस्तुओं और सामान की कमी के कारण सामुदायिक परियोजनाओं की प्रगति में बाधा पहुंची है ?

श्री हाथी : प्रारम्भ में कुछ कठिनाई पड़ी थी। इसके पश्चात, केवल दो मास बाद ही, विकास आयुक्तों को अधिकार सौंप दिए गए और तत्पश्चात अधिकतर मामलों में संतोषजनक प्रगति रही है।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि योजना आयोग ने इन परियोजनाओं में किए गए कार्य का कोई आगणन किया है, और यदि हां, तो उस की उपपत्तियां ?

श्री हाथी : योजना आयोग ने एक आगणन शाखा स्थापित की है। इस शाखा के पदाधिकारी सब स्थानों में पर्यटन कर के परिणाम देखेंगे और मालूम करेंगे कि कितना काम और किया जाना शेष है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या परियोजना पदाधिकारियों ने विद्यार्थियों के इन परियोजनाओं में भाग लेने के सम्बन्ध में कॉलेजों के प्राधिकारियों से कोई सम्पर्क किया है, और यदि हां, तो क्या मैं जान सकती हूं कि ऐसे विद्यार्थियों के ठहरने, भोजन तथा यातायात का कोई प्रबन्ध सरकार द्वारा किया गया है ?

श्री हाथी : जी हां। परियोजना पदाधिकारियों तथा राज्य सरकारों ने विद्यार्थियों से सम्पर्क किया है। वास्तव में एक राज्य में तो इंजीनियरिंग तथा मेडीकल विद्यार्थी परियोजना क्षेत्र भी देखने गए। उन्हों ने इस के इंजीनियरिंग भाग तथा स्वास्थ्य भाग में कार्य किया।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि कितने कॉलेजों ने इस प्रकार भाग लिया ?

श्री हाथी : म ठीक-ठीक संख्या तो नहीं बतला सकता, किन्तु दो या तीन कॉलेजों ने भाग लिया।

श्री ए० एम० टामस : यह कहा गया है कि प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि आसाम ने सर्वाधिक प्रगति की है। क्या इस के कोई विशेष कारण हैं ? क्या मैं जान सकता हूं कि अन्य राज्य क्यों पीछे रहे, विशेष कर जब कि सब जगह एक सा स्वरूप और नियंत्रण है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : आसाम में किए गए कार्य के लिए मैं ने प्रशंसा व्यक्त की थी। यही मत मेरा कई अन्य केन्द्रों के सम्बन्ध में भी है। इस मामले में कोई तुलना करना कठिन है किन्तु सब रिपोर्टों को देखने के पश्चात् मैं यह कहूंगा कि मोटे रूप से २५ प्रतिशत सामुदायिक परियोजना केन्द्र असाधारण रूप से अच्छी प्रगति कर रहे हैं। लगभग ३० प्रतिशत अच्छी प्रगति कर रहे हैं; और अन्य ३० से ३५ प्रतिशत काफी ठीक प्रगति कर रहे हैं जब कि दस प्रतिशत खराब काम कर रहे हैं। यह मेरी सामान्य धारणा है।

श्री पुन्नूस : जो परियोजना केन्द्र बुरा कार्य कर रहे थे क्या अब वे अपेक्षाकृत अच्छा कार्य कर रहे हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जब मैं ने कहा कि वे बुरी तरह से हैं तो मेरा मतलब केवल यह था कि वहां कोई काम नहीं हो रहा है। बुरे होने का तो प्रश्न ही नहीं। इस का मतलब केवल यह है कि कोई प्रगति नहीं हो रही।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या यह सच है कि सामुदायिक परियोजनाओं के साथ साथ एक स्थायी संगठन के रूप में विकास सेवा प्रारम्भ की जा रही है ? यदि हां, तो उस संगठन का काम सामुदायिक परियोजनाओं के साथ कैसे चलाने का विचार है ?

श्री हाथी : जी हां, एक विकास सेवा का संगठन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय विकास सेवा का एक गहन कार्यक्रम सामुदायिक परियोजनाएं होंगी।

श्री एल० एन० जोशी : क्या लाल फीताशाही के कारण रुपये की स्वीकृति में देर होने से आजकल कम्युनिटी प्राजेक्ट के कई काम रुके हुए हैं ?

श्री हाथी : अब नहीं, प्रारम्भ में ऐसी बात थी, जैसा कि मैं ने बताया।

श्री मात्तन : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि सरकार ट्रावनकोर-कोचीन में दो सामुदायिक परियोजनाओं की प्रगति को सन्तोषजनक समझती है—क्या वे कार्यक्रम के अनुसार चल रही हैं ?

श्री हाथी : मेरा विचार है कि उन का काम ठीक चल रहा है। परन्तु यदि आप ब्यौरा चाहते हों तो मैं मालूम करूंगा।

बाबू रामनारायण सिंह : जिन कम्युनिटी प्राजेक्ट में अच्छा काम हो रहा है, जैसा अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा, वहां पर तलब पाने वाले केवल सरकारी अफ़सर ही काम करते हैं या वास्तव में लोगों के सहयोग से सुन्दर काम हो रहा है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : दोनों बातें हैं जब दोनों का जोड़ होता है तब गाड़ी तेज चलती है।

सूत के गुण प्रकार की जांच

*१६२२. **श्री तुलसीदास :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कपड़ा कमिश्नर का दफ्तर मिलों द्वारा तैयार किए गए सूत के गुण प्रकार की जांच करता है जिस से यह मालूम हो सके कि सूत उतने ही काउंट का है जितना कि बंडल पर लिखा है और उतना ही मजबूत है, जितना कि होना चाहिए ?

(ख) क्या कपड़ा कमिश्नर को सूत के खरीदारों तथा व्यापारियों से इस सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं कि सूत काउंट में या मजबूती में घटिया था ?

(ग) यदि हां, तो कपड़ा कमिश्नर ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) कपड़ा कमिश्नर के निरीक्षक समय समय पर जांच करते हैं। प्रत्येक मिल में बराबर जांच करना सम्भव नहीं है ।

(ख) तथा (ग) । ऐसी शिकायतें समय समय पर मिलती रहती हैं। ऐसे मामलों में जहां खराब सूत खरीदार या व्यापारी को दिया जा चुका हो और यह मालूम पड़े कि मिल ने जान बूझ कर ऐसा नहीं किया, तो उस मिल से कहा जाता है कि सूत लौटा ले और उस के दाम वापिस कर दे तथा सूत पर निर्धारित मूल्य की मुहर फिर लगादे। मिल की बुरी नियत का पक्का पता चल जाने पर, उस पर सूती कपड़ा (नियंत्रण) आज्ञा, १९४८ के उपबन्धों के अधीन मुकदमा चलाने के लिए कार्यवाही की जाती है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि पिछले वर्ष में कितने मामलों में ऐसी कार्यवाही की गई ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास लगभग २१ मामलों की सूची है जिन में विभिन्न प्रकार की कार्यवाही की गई।

कपड़े के गुण प्रकार की जांच

*१६२३. **श्री तुलसीदास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा कमिश्नर का दफ्तर इस बात की उपयुक्त जांच करता है कि मिलों द्वारा दिए गए कपड़े के नमूने, मूल्य निर्धारित करने से पहले बताए गए ब्यौरे के अनुसार होते हैं;

(ख) क्या इस की तैयारी के दिनों में इस बात की पड़ताल करने के लिए कोई निगरानी की जाती है कि जो कपड़ा तैयार किया जाता है वह उस नमूने तथा ब्यौरे के अनुकूल होता है जो कि मूल्य निर्धारित करने के लिए दिया गया; और

(ग) इस बात का प्रबन्ध करने के लिए क्या कार्यवाही की जाती है कि बाज़ार में जो कपड़ा बेचा जाता है वह कपड़े के नमूने के अनुकूल होता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) तथा (ख)। कपड़ा कमिश्नर के अधिकारी समय समय पर जांच करते हैं जिस से कि यह प्रबन्ध किया जा सके कि तैयार किया जाने वाला कपड़ा पहले से दिए गए ब्यौरे के अनुकूल है और उस के नमूने मिलों द्वारा भरे जाने वाले मूल्य-फार्म में दिए गए ब्यौरे के अनुकूल हैं।

(ग) कपड़ा कमिश्नर के अधिकारी प्रयोगात्मक निरीक्षण करते हैं । जनता से मिली शिकायतों की जांच की जाती है और उपयुक्त कार्यवाही की जाती है ।

श्री तुलसीदास : क्या मैं जान सकता हूं कि ब्यौरे की जांच के लिए और क्या कार्यवाही की जा रही है क्योंकि कपड़े के गुण प्रकार के सम्बन्ध में, विशेषतया निर्यात के बारे में, कई शिकायतें मिली हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, निर्यात के सम्बन्ध में भी वैसी ही कार्यवाही करने का विचार है और कुछ मामलों में की जाती है। कई बार हम अपनी निर्यात नियंत्रण व्यवस्था से काम लेते हैं जो कि पहले थी--अब भी लाइसेंस देने की बात है--जिस से कि निर्धारित गुण प्रकार से घटिया कपड़ा तैयार करने वाली मिलें अपना कपड़ा बाहर न भेजने पाएं। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि बाहर भेजे जाने वाले कपड़े के गुण प्रकार पर नियंत्रण रखा जाय, इस प्रश्न पर सूती

कपड़ा निधि समिति और सम्बद्ध हितों के बीच बातचीत हो रही है ।

श्री तुलसीदास : क्या कपड़ा कमिश्नर द्वारा इस जांच पड़ताल के फलस्वरूप बाहर भेजे जाने वाले कपड़े की किस्म पहले से सुधर गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मेरा विचार है कि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में मेरी अपेक्षा अच्छी तरह अपना विचार प्रकट कर सकते हैं क्योंकि वे व्यापार के उस पहलू को भली प्रकार जानते हैं जिस पर मेरा नियंत्रण कम है । सच तो यह है कि सरकार का नियंत्रण उद्योग पर है, व्यापार पर नहीं । माननीय सदस्य व्यापार से अधिक अच्छी तरह परिचित हैं । परन्तु यह कहना कठिन है कि ये शिकायतें बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं । इस समय हमारी निर्यात स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और मेरा विचार है कि इस में दिलचस्पी रखने वाले लोग इस बात को महसूस करेंगे कि घटिया माल भेजने से स्थिति बिगड़ती ही है । मैं यह नहीं कह सकता कि लोग इस बात को महसूस करते हैं या नहीं ।

श्री केलप्पन : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि सरकार का ध्यान ऐसे किसी मामले की ओर दिलाया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यही तो किया जा रहा है । उस विहित फार्म के साथ, जो कि मिल द्वारा कपड़ा कमिश्नर के दफ्तर को भेजा जाता है, ६″ × ६″ का कपड़ा लगा हुआ होता है । उस को परखा जाता है । जहां कहीं सन्देह हो जाय, प्रयोगशाला में इस का परीक्षण किया जाता है और यदि हमें पता चले कि १८ × १८ की बजाय यह १८ × १५ है और मूल्य वही लिया जाता है तो मिल से इस बात का कारण पूछा जाता है । कई बार इस के फलस्वरूप मुकदमा चलाया जाता है ।

श्री केलप्पन : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि किसी मिल के विरुद्ध ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में लाया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस प्रश्न का तात्पर्य मेरी समझ में नहीं आ रहा । जैसा कि मैं ने कहा यह कार्यवाही तो बराबर चलती है । यह कोई अलग मामला नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वे यह जानना चाहते हैं कि किसी खरीदने वाले ने कोई शिकायत की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं यह बताना चाहता हूं कि एक मिल के मामले में, हम ने पिछले साल उसे कपड़ा बाहर भेजने की अनुमति नहीं दी । उसे कुछ समय दिया गया और उस के बाद उस ने अपने मामले पर पुनः विचार किए जाने की प्रार्थना की जो कि अब किया जा रहा है । जब कोई शिकायत सरकार के ध्यान में लाई जाती है और उस की पुष्टि का प्रमाण दिया जाता है, प्रत्येक मामले में उपयुक्त कार्यवाही की जाती है ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या मैं यह पूछ सकती हूं कि विदेशों में हमारे राजनीतिक प्रतिनिधियों ने सरकार का ध्यान हमारे कपड़े की घटिया किस्म की ओर दिलाया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी हां । कभी कभी हमें शिकायतें मिलती हैं । सच तो यह है कि हम ने कपड़ा कमिश्नर के दफ्तर का एक अधिकारी दक्षिण पूर्वी एशिया का दौरा करने के लिए भेजा था और इस सदन में उस अधिकारी की रिपोर्ट के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे गए थे । रिपोर्ट में यह कहा गया था कि ऐसी शिकायतें मिली हैं, कि कपड़े की किस्म उस के नमूने जैसी नहीं होती ।

श्री गणपति राम : क्या मैं जान सकता हूं कि कुछ मिलों को धोती और साड़ी के प्रोडक्शन के लिए छुट दे दी गयी है ?

श्री तुलसीदास : क्या मैं यह जान सकता हूं कि जांच पड़ताल की व्यवस्था किए जाने के बाद ये शिकायतें कम हो गई हैं या बढ़ गई हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं यह नहीं बता सकता श्रीमान् । मैं ने शिकायतों की संख्या गिनी नहीं है । यदि माननीय सदस्य एक प्रश्न रखें तो मैं उस का उत्तर देने की चेष्टा करूंगा ।

कपड़ा

*१६२४. **श्री तुलसीदास** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कपड़ा कमिश्नर के दफ्तर को ऐसे मामलों का पता चला जब कि बाज़ार में बेचा गया कपड़ा, कपड़े पर दी गई क्रमानुसार संख्या के अनुकूल नहीं था ?

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने वाली मिलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(ग) क्या कपड़ा कमिश्नर को व्यापारियों से कपड़े की किस्म तथा उस के दोषों के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं ?

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (घ) । एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २३]**

इमारती लकड़ी का आयात

*१६२५. **श्री संगण्णा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों से भारत में मंगाई गई इमारती लकड़ी का कितना मूल्य था ;

(ख) क्या यह लकड़ी, भारत में उपलब्ध इमारती लकड़ी की मात्रा बढ़ाने के लिए मंगाई गई; और

(ग) क्या विदेशी इमारती लकड़ी इस विचार से मंगाई जाती है कि उस का स्तर अच्छा होता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है ।

(ख) तथा (ग). मुख्यतः इसलिए कि देश में इमारती लकड़ी की मात्रा बढ़े और कुछ इसलिए भी कि उस की किस्म अच्छी होती है ।

विवरण

(विदेशों से मंगाई गई इमारती लकड़ी का मूल्य)

वर्ष	मूल्य
१९५०–५१	२,७९,१५,६१८ रुपये
१९५१–५२	५,५६,०३,८९४ "
१९५२–५३	१,७३,८५,१७१ "
(अप्रैल से दिसम्बर १९५२)	

श्री संगण्णा : श्रीमान्, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि भारत की इमारती लकड़ी की तुलना में विदेशी इमारती लकड़ी का मूल्य कैसा है ?

श्री करमरकर : यह देशी इमारती लकड़ी से महंगी होती है ।

श्री मात्तन : श्रीमान् क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री रेल तथा केन्द्रीय निर्माण विभाग जैसे केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों को इस बात पर राजी करने की कृपा करेंगे कि वे दक्षिणी भारत की सागवान की लकड़ी अधिकाधिक मात्रा में खरीदें जिस से कि विदेशों से सागवान का आयात घटाया जा सके ?

श्री करमरकर : जहां भी सम्भव हो, देसी सागवान काम में लाई जाती है ।

श्री भक्त दर्शन : मैं जानना चाहता हूं कि किस किस प्रकार की इमारती लकड़ी

किस किस देश से आयात की जाती है और क्या इस से हमारे देश के लकड़ी व्यापार को हानि नहीं पहुंच रही है ?

श्री करमरकर : जी नहीं, हम बर्मा से लकड़ी मंगाते हैं और जिस किस्म की टीक हमें चाहिये उसी किस्म की और जितनी चाहिये उतनी ही मंगाते हैं ।

श्री ए० एम० टामस : क्या जन-निर्माण विभाग इस बात पर जोर देता है कि देशीय सागवान की बजाय बर्मा का सागवान ही काम में लाया जाय ?

श्री करमरकर : मेरा विचार है कि जन-निर्माण के प्रभारी मेरे माननीय साथी, इस प्रश्न का मेरी अपेक्षा अधिक अच्छी तरह उत्तर दे सकते हैं ।

श्री थानुपिल्ले : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि भारत से इमारती लकड़ी बाहर भी भेजी जाती है ?

श्री करमरकर : जी हां, थोड़ी सी ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं यह जान सकता हूं कि अब अण्डमान की इमारती लकड़ी को पोर्ट ब्लेयर में सुखा कर काम में लाने योग्य बनाया जा रहा है और यदि हां तो यह बर्मा से मंगाए गए सागवान की तुलना में कैसी है ?

श्री करमरकर : सुखाने के सम्बन्ध में मैं पूर्व सूचना चाहता हूं । परन्तु इस समय तो यह समझा जाता है कि विशेष किस्मों का बर्मी सागवान, भारतीय सागवान से अच्छा है ।

आदिम जाति जनता के सम्बन्ध में फिल्में

*१६२६. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कि भारत की आदिम जाति जनता तथा अन्य परिगणित वर्ग के रहन सहन तथा उन की कला व संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर फिल्म बनाने के लिये भारत सरकार द्वारा सरकारी तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों का एक दल भेजा गया है ;

(ख) कि आदिम जाति तथा परिगणित क्षेत्रों में, वहां के निवासियों को, जीवन के उच्चतर रहन सहन, तथा अन्य स्थानों के वर्तमान बातों से परिचित कराने के लिये, फिल्मों के द्वारा कोई शिक्षाप्रद प्रचार किया जाता है; तथा

(ग) कि आदिम जाति तथा परिगणित विद्यार्थियों को वर्तमान घटनाओं की सूचना देने के लिये परिगणित आदिम जाति क्षेत्रों में बिना शुल्क रेडियो सेट से सुसज्जित हाई स्कूलों का प्रावधान करने की कोई प्रस्थापना है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) हां श्रीमान् । समय समय पर फिल्म डिवीज़न के यूनिटों को इस कार्य के लिये नियुक्त किया गया है ।

(ख) तथा (ग) । इन बातों का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है; फिर भी यह बताया जाता है कि फिल्म डिवीज़न द्वारा बनाई गई प्रलेखीय फिल्में इन क्षेत्रों में प्रदर्शित की जाती हैं जब कि कुछ क्षेत्रों में रेडियो कार्यक्रम प्रसारित करने के लिये सामुदायिक रेडियो भी लगा दिये गये हैं ।

भारत तथा बरमा के प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन

*१६२८. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **प्रधान मंत्री** बताने की कृपा करेंगे :

(क) उस मुख्य प्रयोजना की मोटी रूपरेखा जिस के लिये भारत तथा बर्मा के दोनों प्रधान मंत्री भारत की पूर्वी सीमा पर परस्पर एक दूसरे से मिले; तथा

(ख) कि उस वार्ता में उभयनिष्ट सीमा की सुरक्षा, सीमा के दोनों ओर नागाओं के विकास तथा दोनों देशों की सीमा का निर्धारीकरण--इन प्रश्नों पर भी बातचीत हुई थी ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तथा (ख) । बर्मा के प्रधान मंत्री के आमंत्रण पर सम्मेलन हुआ था । यह एक अनियमित बैठक थी तथा इसका मुख्य उद्देश्य दोनों सरकारों तथा जनता के मध्य जो परस्पर मैत्री के सम्बन्ध बड़ी प्रसन्नता का विषय हैं, उन को और अधिक बढ़ाना था । सीमा के दोनों ओर आदिम जाति जनता के कल्याण तथा विकास सम्बन्धी प्रश्नों पर भी बातचीत हुई थी । सीमापवर्ती क्षेत्र के सुरक्षा सम्बन्धी उपायों अथवा सीमा के निर्धारीकरण सम्बन्धी प्रश्नों पर कोइ वार्ता नहीं हुई ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत-बर्मा सीमापवर्ती क्षेत्रों के आदिम जाति निवासियों के विकास के सम्बन्ध में दोनों प्रधान मंत्री किन्हीं निर्णयों पर पहुंचे यदि पहुंचे तो वे निर्णय क्या हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : किसी निर्णय पर पहुंचने का कोई प्रश्न ही नहीं है । प्रश्न तो यह देखने का था कि सीमा दोनों ओर कार्य कैसे किये जाते हैं तथा सामूहिक रूप से उन से शिक्षा प्राप्त करने का ही प्रश्न था ।

श्री रिशांग किशिंग : सूचना प्राप्त हुई थी कि माननीय प्रधान मंत्री ने कोहिमा के अपने व्याख्यान में बाहर वालों पर नागाओं को भ्रमित करने का आरोप लगाया है । क्या मैं जान सकता हूं कि यह बाहर वाले कौन हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं कहीं और इस विषय पर विस्तार के साथ निर्देश कर चुका हूं । मेरे लिये एक प्रश्न के उत्तर में यह बताना कठिन है--मैं किसी एक व्यक्ति की तरफ़ इंगित करके नहीं कह सकता कि यह है । यह उत्तर हमें इतने पहले ले जायगा जब कि यहां ब्रिटिश शासन था, किसी प्रकार ब्रिटिश अधिकारी कुछ बातों को प्रोत्साहन देते थे तथा किस प्रकार बाद में कुछ और व्यक्ति इन्हीं बातों को प्रोत्साहन देते गये ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि दोनों प्रधान मंत्रियों के बीच किसी विकास कार्यक्रम पर वार्ता हुई थी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि न तो सरकार दूसरी सरकार के कार्यों में हाथ डालना चाहती है और न कोई सामूहिक कार्यक्रम है । हमारे कार्य करने के ढंग भिन्न हैं तथा हम एक दूसरे से सीखते हैं । जो कुछ हम ने वहां देखा उस से हमें कुछ विचार मिले कि हम यहां क्या कर सकते हैं; जो कुछ बरमा के प्रधान मंत्री ने हमारे देश में देखा उस से उन को कुछ विचार मिले ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि ब्रिटिश अधिकारियों के अतिरिक्त बाहर-वाले, जिन की ओर प्रधान मंत्री ने अभी अभी निर्देश किया है, अब भी उस क्षेत्र में हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं व्यक्तियों की ओर निर्देश नहीं कर रहा हूं । यदि कोई व्यक्ति ऐसा करे तो वह तुरन्त वहां से निकाल दिया जाय । मैं समूहों के सम्बन्ध में कह रहा हूं । यह स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति अनुचित व्यवहार करेगा तो उसे वहां अधिक दिनों तक नहीं रहने दिया जायगा ।

श्री बीरेन दत्त : क्या वह कुछ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं यदि किये गये हैं तो क्या मैं जान सकता हूं क्या वे इसी प्रकार के हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं नहीं जानता हूं कि माननीय सदस्य किस समाचार की ओर

निर्देश कर रहे हैं। मैं ने समाचार-पत्र में कुछ सूचनायें देखी हैं जो कि, यदि मुझे कहने की आज्ञा दी जाय तो नितान्त अशुद्ध हैं—असल मामले से उन का कोई सम्बन्ध नहीं है। कुछ स्थानीय गड़बड़ी हुई हैं—और किसी बात से कोई सम्बन्ध नहीं है—तथा कुछ स्थानीय गिरिफ्तारियां की गई हैं। एक मामले में कुछ गड़बड़ी थी, दो दलों के बीच कोई झगड़ा था। इसी सब को राजनैतिक घटना का रंग दिया जा रहा है। अब तक तीन चार गिरफ़्तारियां हुई हैं—मुझे ठीक संख्या नहीं मालूम, परन्तु बहुत स्वल्प संख्या है तथा साधारण विधि के अन्तर्गत। परन्तु इस का कोई सम्बन्ध इस नागा प्रश्न से नहीं है।

श्री एच० एन० मुखर्जी: क्या यह सत्य है कि जब प्रधान मंत्री कोहिमा में एक मीटिंग में व्याख्यान दे रहे थे कुछ नागा संस्थाएं प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन देना चाहती थीं तथा मंडलायुक्त द्वारा, किन्हीं कारणों से, इस ज्ञापन को प्रस्तुत करने की आज्ञा नहीं दी गई ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : नहीं यह सत्य नहीं है। मेरे समझ में जो घटना हुई वह यह थी कि मण्डलायुक्त ने उन्हें सूचित किया कि यदि वह कोई ज्ञापन देना चाहते हैं तो यह—एक सार्वजनिक मीटिंग—उस के लिये एक उचित स्थान नहीं है, मीटिंग के पश्चात् वे आ सकते हैं और ज्ञापन प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : हमने सुना है कि एक विशेष व्यक्ति की गिरफ़्तारी हुई है जो नागा राष्ट्रीय कानफ्रेंस का सचिव है। क्या मैं जान सकती हूं कि इस की कोई राजनैतिक पृष्टिभूमि है या यह गिरफ़्तारी किसी व्यक्तिगत झगड़े के कारण हुई है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं इस के सम्बन्ध में विशेष रूप से नहीं कह सकता। परन्तु ऐसा ही है तो अवश्य ही उन पर फ़ौजदारी विधि के अन्तर्गत कोई अपराध आरोपित किया गया होगा। जहां तक मुझे मालूम है कोई भी व्यक्ति केवल इसलिये नहीं गिरिफ्तार किया गया है कि वह किसी प्रकार के आन्दोलन इत्यादि में भाग ले रहा था वरन् इसलिये कि उस ने किसी विधि के अनुसार कोई अपराध किया है।

बाबू रामनारायण सिंह : एक प्रश्न।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। मैं इस प्रश्न पर अनेक अनुपूरक प्रश्नों की आज्ञा दे चुका हूं।

कोसी घाटी में मिट्टी का संरक्षण

*१६२९. **श्री एस० एन० दास :** (क) क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोसी नदी के द्वारा होने वाले मिट्टी के भारी बहाव को कम करने के सम्बन्ध में कोसी परामर्शदाता समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार अब तक कोई उपाय किये गये हैं यदि किये गये हैं तो वह क्या हैं ?

(ख) इस प्रयोजन में किया जाने वाला समग्र आगणित व्यय क्या है ?

(ग) क्या बिहार तथा नैपाल की सरकारों से इस कार्य में सहायता करने को कहा गया है ?

(घ) यदि कहा गया है तो वे किस रूप में सहयोग दे रही हैं ?

(ङ) वह समग्र व्यय क्या है जो अब तक इस सम्बन्ध में किया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) अभी तक कोसी उद्गम क्षेत्र में मिट्टी के बहाव को रोकने के कोई वास्तविक उपाय नहीं किये गये हैं। केवल प्रारम्भिक परिमाप किया गया है तथा उद्गम क्षेत्र में मिट्टी के बहाव को रोकने की एक व्यवहारिक योजना बनाने के लिये और विस्तृत परिमापों की आवश्यकता है।

विस्तृत परिमापों के प्रस्थापन का सरकार योजना आयोग के परामर्श की सहायता से परीक्षण कर रही है ।

(ख) आगणित व्यय का अभी तक हिसाब नहीं लगाया गया है ।

(ग) अभी नहीं ।

(घ) तथा (ङ) । यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में नैपाल की सरकार तथा बिहार की सरकार से परामर्श किया गया है तथा इस सम्बन्ध में उन से कुछ उपाय करने को कहा गया है ?

श्री हाथी : बिहार सरकार से परामर्श किया गया है । जहां तक नैपाल की सरकार का सम्बन्ध है अभी से ऐसा करना पूर्वकालिक होगा ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि आय-व्यय लेखा में इस कार्य के लिये कोई धन राशि आवंटित की गई है ?

श्री हाथी : आगणन अभी नहीं किया गया है । अभी इस में कुछ और समय लगेगा ।

कर्घा उद्योग

*१६३०. **श्री के० पी० सिन्हा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि इस वर्ष संचालित कर्घों की संख्या घट गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : सरकार के पास इस की कोई निश्चित सूचना नहीं है ।

श्री पुन्नूस क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार द्वारा कर्घा उद्योग को सहायता करने के कौन से व्यवहारिक उपाय किये गये हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम तो इस से दूर जा रहे हैं ।

श्री पुन्नूस : सरकार द्वारा संचालित कर्घों की संख्या बढ़ाने के कौन से उपाय किये गये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि माननीय सदस्य कोई वृक्ष लगाना चाहते हैं तथा उस प्रयोजन के लिये धर्ती में बीज गाड़ते हैं तो उन्हें ध्यान रखना चाहिये कि यह बीज धर्ती में प्रवेष कर जाय उन को यह नहीं चाहिये कि वह धर्ती को खोदें और देखें कि प्रस्फुटित हुआ है या नहीं । माननीय सदस्य को कुछ समय तक राह देखना चाहिये ।

दुष्प्राप्य कच्ची सामग्रियों का आवंटन

*१६३१. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री उस संगठन के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे जो विभिन्न उद्योगों को कच्ची सामग्रियों के आवंटन के सम्बन्ध में निर्णय करने के लिये निर्मित की गई है ?

(ख) विभाजन की कसौटी क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) । मुझे भय है कि प्रश्न विस्तृत तथा अनिश्चित है । स्वभावतः उद्योगों को किये जाने वाले दुष्प्राप्य कच्ची सामग्रियों के विभाजन के प्रबन्ध की प्रकृति, निर्भर करेगी दुष्प्राप्यता की मात्रा पर, विभिन्न प्रयोजनों की सापेक्ष आवश्यकता पर जिन के लिये इन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है तथा उन के स्थान पर दूसरे पदार्थों के प्रयोग करने की सम्भाव्यता इत्यादि पर । यह सारे तत्व समय समय पर बदला करते हैं तथा इन के अनुसार आवश्यक हेर फेर करना होता है । मैं इस अति सामान्य प्रश्न के उत्तर में और अधिक कहने में असमर्थ हूं परन्तु यदि माननीय सदस्य किसी विशेष कच्ची सामग्री के सम्बन्ध में जानना चाहते हों तो वे एक अलग प्रश्न कर सकते हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मेरे प्रश्न के खण्ड (ख) का कोई उत्तर नहीं मिला ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : दुष्प्राप्य सामग्रियों के विभाजन के सम्बन्ध में प्रयोग की जाने वाली कसौटी किसी विशेष दुष्प्राप्य सामग्री पर निर्भर करती है तथा उस समय पाई जाने वाली दुष्प्राप्यता की मात्रा तथा प्रकृति पर । उदाहरण के लिये मैं कह सकता हूं कि आजकल स्पात के विभाजन के सम्बन्ध में हम पर्याप्त रूप से उदार हैं क्योंकि कुछ प्रकार के स्पातों की उठाई जाने वाली मात्रा बहुत अधिक नहीं है तथा यह स्थिति हर तीन महीने में बदला करती है । कच्चे लोहे के सम्बन्ध में स्थिति थोड़ी भिन्न है क्योंकि यह वस्तु दुष्प्राय हो रही है सभी स्थान के संयंत्र अधिक कच्चे लोहे का प्रयोग कर रहे हैं तथा हमारे देश की कच्चा लोहा निकालने की क्षमता पर्याप्त नहीं है । इस प्रकार तांबे के सम्बन्ध में इस पदार्थ का विभाजन कठिन था । आजकल यह सामग्री दुष्प्राप्य नहीं है यही बात गंधक के सम्बन्ध में है । गत वर्ष यह अत्यन्त दुर्लभ वस्तु थी तथा हमारे कई संयंत्रों को, जो गंधक का प्रयोग करते थे, उत्पादन घटाना पड़ा । आजकल गंधक दुष्प्राप्य नहीं है तथा उस के विभाजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है । अतः मैं, श्रीमान्, दुष्प्राप्य सामग्रियों के विभाजन के लिये कोई निश्चित कसौटी कैसे बना सकता हूं ?

कुछ माननीय सदस्य खड़े हो गये—

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य प्रश्न है तथा इस का सामान्य उत्तर दे दिया गया है ।

हाथ की बनी वस्तुओं का विक्रय सम्बन्धी सम्मेलन

*१६३२. **श्री एम० एल० अग्रवाल :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या फरवरी १९५३ में त्रिवेन्द्रम में, हाथ की बनी वस्तुओं के विक्रय के सम्बन्ध में एक सम्मेलन हुआ था ?

(ख) किस के कहने पर यह सम्मेलन बुलाया गया था और इस का उद्देश्य तथा परिणाम क्या हुआ ?

(ग) सम्मेलन कितने घण्टे तक होता रहा ?

(घ) इस सम्मेलन पर कितना खर्च हुआ ?

(ङ) क्या इस की कार्यवाही लिखी गई ?

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार है कि इस कार्यवाही की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाय ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) यह सम्मेलन अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड के कहने पर, दस्तकारी के उत्पाद को भारत तथा विदेशों में बेचने के प्रश्न पर विचार करने के लिए किया गया था इस सम्मेलन ने यह सिफारिश की कि दस्तकारी के उत्पादों के विक्रय के लिए एक केन्द्रीय समायोजन संस्था बनाई जाय ।

(ग) लगभग चार घण्टे ।

(घ) यह सम्मेलन दस्तकारी बोर्ड की बैठक के फौरन ही बाद हुआ था और दस्तकारी बोर्ड के इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों ने बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता तथा दैनिक भता लिया था, इसलिए इस सम्मेलन के सम्बन्ध में यात्रा तथा दैनिक भत्ते पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं किया गया ।

(ङ) जी हां ।

(च) सम्मेलन की कार्यवाही की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है [**पुस्तकालय में रख दी गई—देखिए नम्बर एस–४३/५३**]

श्री एम० एल० अग्रवाल : क्या मैं इस सम्मेलन में भाग लेने वाले राज्यों के नाम जान सकता हूं ? क्या यह सच है कि कुछ राज्य इसलिए भाग नहीं ले सके कि जहां सम्मेलन हुआ वह कोई मध्यवर्ती स्थान नहीं था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास इस सम्मेलन में भाग लेने वालों की सूची मौजूद है। मैं ने राज्य-वार इस का विशलेषण कराया है। सम्भव है कि कुछ राज्यों ने स्थान की दूरी के कारण भाग न लिया हो परन्तु यह महसूस किया गया था कि यह क्षेत्र इतना महत्व रखता है कि सम्मेलन यहीं किया जाना चाहिए।

श्री एम० एल० अग्रवाल : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि सम्मेलन में एक राय से निर्णय किए गए और उन में से किन निर्णयों को कार्यरूप में परिणत किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं माननीय सदस्य को यह सुझाव दूंगा कि सदन पटल पर रखी गई इस सम्मेलन की कार्यवाही को पढ़ डालें। उस के बाद वे स्वयं किसी परिणाम पर पहुंच सकते हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं यह पूछ सकती हूं कि क्या यह बोर्ड बन गया है ? यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में यह—अर्थात् विक्रय बोर्ड—बनेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : ऐसा कोई विक्रय बोर्ड नहीं है। मेरा विचार है कि वे चाहते थे कि एक केन्द्रीय विक्रय बोर्ड बने। हम ने यह बनाया नहीं है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या विक्रय बोर्ड बनान के सम्बन्ध में कोई निश्चित फ़ैसला किया गया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसा कि मैं ने कहा, मैं माननीय सदस्य को यह सुझाव दूंगा कि पहले कार्यवाही पढ़ डालें और तब उन्हें पता चल जायगा कि क्या कहा गया था। वे तो प्रस्थापनाएं सी हैं, जिन की सरकार को जांच करनी है।

श्री पुन्नूस : यह कहा गया था कि कुछ राज्यों ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया क्योंकि यह बड़ी दूर के स्थान पर हुआ था। क्या मैं इस सम्मेलन में भाग लेने वाले राज्यों के नाम जान सकता हूं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास सम्मेलन में भाग लेने वाले राज्यों की सूची है, मैं ने तो केवल इतनी सी बात मानी थी कि सम्भव है कि दूरी के कारण कुछ राज्यों ने इस सम्मेलन में भाग न लिया हो। जो भी हो, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि उन के राज्य ने इस सम्मेलन में पूर्णतया भाग लिया होगा।

मशीनों के पटे

*१६३३. **प्रो० डी० सी० शर्मा :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मशीनों के रबड़, रुई, बालों और चमड़े के पटे भारत में बनते हैं ?

(ख) भारत में बने मशीनों के पटों के मूल्य विदेशी पटों के मूल्यों की तुलना में कैसे हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां।

(ख) देसी पटे विदेशों से मंगाए गए पटों की तुलना में सस्ते होते हैं।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या भारत में सभी प्रकार के पटे बनते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य ने कई प्रकार के पटों के नाम लिए हैं, जैसे रुई, बालों तथा चमड़े के बने हुए। रुई तथा बालों के बने पटों का महत्वपूर्ण केन्द्र कलकत्ता ही मालूम होता है। चमड़े के पटों के सम्बन्ध में कलकत्ते का इतना महत्व नहीं। कुछ लोग इस सम्बन्ध में कानपुर को महत्व देते हैं और कुछ मद्रास को। इस के बाद जहां तक रबड़ के पटों का सम्बन्ध है, कलकत्ता ही उन के लिए महत्वपूर्ण केन्द्र है।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि भारत में इन प्रकारों के पटों का आयात भी किया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं चाहता हूं कि आप अपने प्रश्न को दोहराएं।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या मैं यह जान सकता हूं कि भारत में बने ऐसे पटों के दाम सस्ते होने पर भी इस प्रकार के पटे विदेशों से मंगाए जाते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कुछ पटे बाहर से मंगाए जाते हैं। केवल दामों का ही प्रश्न नहीं है। गुण प्रकार का सवाल है। भारत में बनने वाला चमड़े का पटा उतना अच्छा नहीं होता और हम इस बात की सम्भावना पर विचार कर रहे हैं कि स्थानीय निर्माताओं को विदेशी कारीगर या पूंजी लगा कर अपने माल के गुण प्रकार में सुधार करने का प्रोत्साहन दिया जाय। पटों के सम्बन्ध में मुख्य उद्देश्य यह नहीं कि यह उद्योग चालू रहे बल्कि वे उद्योग चालू रहें जिन में पटे प्रयुक्त किए जाते हैं।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या मैं यह जान सकता हूं कि मंत्रालय पटों की प्रकार सुधारने के लिए क्या विशेष कार्यवाही कर रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे माननीय मित्र अपने शब्दों को बहुत नाप तोल कर बोलते हैं और यदि वे बता दें कि वे किस प्रकार के पटे के सम्बन्ध में सूचना चाहते हैं, तो मैं बड़ी खुशी से उत्तर दूंगा।

शिमले में भवन

*१६३४. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : क्या **निर्माण गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिमले में भारत सरकार के भवनों का मूल्य लगभग कितना है ; और

(ख) सरकार, पंजाब्र सरकार के शिमले से चण्डीगढ़ चले जाने पर इन भवनों का क्या उपयोग करने का विचार रखती है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) लगभग २३४ लाख रुपये

(ख) इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि शिमले में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के निवास स्थानों—जैसे वायसरीगल लाज का कैसे उपयोग किया जायगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री बुरागोहिन : यह तो कल्पनात्मक प्रश्न है। मेरा विचार है कि जो कार्यालय दिल्ली से हटाये जा सकते हों, शिमले में खोल दिए जायेंगे।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या मैं यह जान सकता हूं कि शिमले में जो फालतू निवास स्थान बच जायेंगे उन का उपयोग कैसे किया जायेगा ?

श्री बुरागोहिन : यदि हम कुछ कार्यालयों को शिमले जाने के लिए राज़ी करने पर तैयार हो गए तो कुछ निवास स्थान उन के लिए उपलब्ध होंगे।

प्रो० डी० सी० शर्मा : वायसराय तथा गवर्नर-जेनरल के निवास स्थान का क्या विशेष उपयोग किया जाएगा ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या वायसराय के भवन में कोई आरोग्य धाम या कालिज खोलने की प्रस्थापना है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो कार्यवाही-करने का सुझाव है ।

डाक्टरी चीर-फाड़ के औज़ार

*१६३५. **प्रो० डी० सी० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में डाक्टरी चीर-फाड़ के औज़ार बनाए जाते हैं;

(ख) क्या इन के मूल्य तथा गुण प्रकार विदेशी औज़ारों का मुकाबिला कर सकते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी०टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) कहा जाता है कि नहीं ।

(ग) कहा जाता है कि इस के कुछ ये कारण भी हैं कि ठीक कच्चा माल नहीं मिलता और पानी चढ़ाने और निकल प्लेट करने का उचित प्रबन्ध नहीं है ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या मैं यह जान सकता हूं कि ये औज़ार बनाने के कौन कौन से केन्द्र हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरा विचार है, पंजाब ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या उन का निर्माण कुटीर उद्योग के आधार पर होता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सम्भव है, परन्तु कुटीरों में नहीं ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या यह सच है कि बटाला इन औज़ारों के निर्माण का केन्द्र मशहूर था और क्या मैं जान सकता हूं कि इस उद्योग को गुरदासपुर ज़िले में बटाला नामक स्थान पर पुनः स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सम्भव है, मुझे तो पंजाब सरकार से सूचना मिली है, वह सोनीपत में एक विकास केन्द्र खोल रही है ।

तम्बाकू का निर्यात व्यापार

*१६३६. **श्री सी० आर० चौधरी :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५० से १९५३ तक के वर्षों में प्रति वर्ष, प्रत्येक राज्य से कितने मूल्य का तम्बाकू बाहर भेजा गया ?

(ख) १९५१–५२ तथा १९५२–५३ में तम्बाकू का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

(ग) क्या सरकार ने तम्बाकू का निर्यात व्यापार बढ़ाने की गुंजाइश का पता लगाने के लिए पूर्व या पश्चिम में अपना कोई व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल भेजा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). आप का ध्यान १६ मार्च, १९५३ को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या ५५७ के भाग (क) तथा (ग) और ९ मार्च, १९५३ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ५९४ के भाग (क) के उत्तरों की ओर दिलाया जाता है । १९५३ के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं । निर्यात के आंकड़े, उत्पादन क्षेत्रों के हिसाब से तैयार नहीं किए जाते ।

(ग) जी नहीं ।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि यह जानने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि तम्बाकू की १९५२ की

फसल का कितना भाग गोदामों में इसलिए पड़ा हुआ है कि देश में तथा विदेशों में उस के विक्रय की सुविधाओं का अभाव है ?

श्री करमरकर : मैं खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में अपने आदरणीय साथी से विचार-विमर्श कर के माननीय सदस्य को बता दूंगा ।

श्री दाभी : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इस देश से तम्बाकू के आयात की मात्रा पर कोई निर्बन्ध है ?

श्री करमरकर : मेरा विचार है कि नहीं; मैं पड़ताल करूंगा ।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि १९५२ की फसल का जो भाग विभिन्न स्थानों पर गोदामों में पड़ा है, उस देश में तथा विदेशों में बेचने के सम्बन्ध में क्या विशेष दिलचस्पी ली जा रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : बात यों है । जहां तक तम्बाकू के निर्यात में सामान्य वृद्धि का प्रश्न है, जो कुछ व्यवस्था हमारे पास मौजूद है, उस की सहायता से हम अपनी ओर से पूरी-पूरी कोशिश कर रहे हैं । हम ने विदेशों से जितने व्यापारिक समझौते किए हैं, लगभग उन सब में तम्बाकू को सम्मिलित किया गया है । तम्बाकू के व्यापार पर इस समय जो दबाव पड़ रहा है, उसे दूर करने के लिए ठीक-ठीक क्या कदम उठाए जायें यह बात विचारणीय है । यह ठीक है कि १९५२ में १९५१ की अपेक्षा कम निर्यात हुआ, और सम्भवत: यह उसी शिकायत के कारण है जो हमें प्राप्त हो रही है कि आयातक इस तम्बाकू की किस्म को पसन्द नहीं कर रहे हैं । यदि मेरे माननीय मित्र खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा १६ मार्च को अतारांकित प्रश्न संख्या ५५७ के उत्तर को देखें तो उन्हें विदित होगा कि कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। हम इस मामले पर खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के साथ विचार कर रहे हैं । मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय दोनों इस उद्योग के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है, करेंगे ।

श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् : सदन के सम्मुख रक्खे गए विवरण की दृष्टि में, क्या मैं जान सकता हूं कि आई० एन० टी० डी० कम्पनी तथा गुंटूर ज़िले के अन्य बड़े-बड़े तम्बाकू के कारखानों ने तम्बाकू समिति के बाज़ारांगन में हुए नीलामों में भाग नहीं लिया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं पूर्व-सूचना चाहूंगा ।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि अन्य देशों में बाज़ार की दशा का अध्ययन करने के लिए सरकार का इरादा कोई प्रतिनिधि-मण्डल बाहर भेजने का है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सम्बन्धित हितों से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है । यदि विशिष्ट रूप से कोई ऐसा प्रस्ताव आए तो हम उस पर अनुकूल रूप से विचार करेंगे ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या यह सच है कि इंग्लैण्ड या पेरिस में--मुझे ठीक नहीं मालूम कि वह कहां है--एक पदाधिकारी यह देखने के लिए है कि भारतीय तम्बाकू के निर्यात की सुविधाओं में वृद्धि हो ? क्या मैं जान सकता हूं कि उस पदाधिकारी को इस बात से सूचित रक्खा गया है कि १९५२ का बहुत सा स्टॉक पड़ा हुआ है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ठीक नहीं कह सकता कि प्रधान प्रदेष्टा के कार्यालय में अब कोई ऐसा पदाधिकारी है या नहीं । किन्तु मैं समझता हूं कि हमारे तम्बाकू हितों को

भली प्रकार के देखने के लिए प्रधान प्रदेष्टा के कार्यालय में पर्याप्त कर्मचारी-वर्ग है। जैसा मैं ने बतलाया, हमारे निर्यात में कमी आने का एक कारण यह भी है कि हमें तम्बाकू की किस्म के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन मामलों पर विचार किया जा रहा है। जैसा मैं ने कहा, यदि इस उद्योग से कोई विशिष्ट प्रतिनिधान प्राप्त हो, तो खाद्य तथा कृषि मंत्रालय और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय जो कुछ कर सकते हैं अवश्य करेंगे।

श्री राम चन्द्र रेड्डी : क्या यह सत्य है कि विदेशी बाजारों को निर्यात की जाने वाली उच्च श्रेणी की तम्बाकू वरजीनिया तम्बाकू कहलाती है और निम्न श्रेणी की निर्यात की जाने वाली तम्बाकू विदेशी बाज़ारों में भारतीय तम्बाकू कहलाती है?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : ठीक-ठीक उत्तर देने के लिए मैं पूर्व-सूचना चाहूंगा।

श्री सातन : क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि भारत में जापानी तम्बाकू आयात की जाती है और क्या वे उस का आयात बन्द कर के भारतीय तम्बाकू की सहायता नहीं कर सकते?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह एक भिन्न प्रश्न है। एक प्रश्न पूछा गया था और उस का उत्तर दे दिया गया।

श्री नानादास : हम अपना तम्बाकू किन किन देशों को निर्यात करते हैं?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि मैं अपने नोट्स देखूं तो यह सूचना दे सकता हूं। मैं ठीक-ठीक बात बतलाना चाहता हूं। यदि माननीय सदस्य एक पृथक् प्रश्न पूछें तो यह सूचना दी जा सकती है।

जर्मनी से युद्ध हर्जाना

*१६३७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जर्मनी से भारत को युद्ध-हर्जाने (विश्व-युद्ध द्वितीय) के रूप में क्या भाग मिला है?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : जर्मनी से युद्ध-हर्जाने के रूप में अब तक प्राप्त ये चीजें हैं :

(१) भारत के अधिकार क्षेत्र में स्थिति वैदेशिक जर्मन परिसम्पत्ति, तटस्थ तथा पूर्व-शत्रु देशों में जर्मन परिसम्पत्ति का परिसमापन और सोवियत रूस से जर्मनी का पारस्परिक बदला जाने वाला सामान।

(२) औद्योगिक मशीनें तथा जर्मनी से हटाया गया अन्य सामान। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य का ध्यान १५ अप्रैल, १९५३ को लोक सभा में श्री एल० एन० सिंह के अतारांकित प्रश्न संख्या १०४५ का निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर की ओर आकर्षित करूंगा। भारत को जर्मनी से सामान्य प्रयोजन की, मशीनी औज़ारों की और औद्योगिक पूंजी माल की १०,४३१ चीज़ें मिली हैं।

युद्ध क्षति पूर्ति की इन चीज़ों का कुल मूल्य १० करोड़ रुपए आंका गया है।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत को मिले मशीनी-औज़ारों तथा औद्योगिक सामान में पाकिस्तान का भी युद्ध-क्षतिपूर्ति का हिस्सा शामिल था या पाकिस्तान को अपना हिस्सा अलग से मिला?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : इस सम्बन्ध में उस दिन एक प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है, नामतः पाकिस्तान द्वारा किया गया यह दावा कि भारत ने उसे उस का हिस्सा नहीं दिया है। इस सम्बन्ध में इस से अधिक कुछ और नहीं कहा जा सकता।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या जर्मनी से युद्ध क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के दो जरिये हैं—पूर्वी और पच्छिमी जर्मनी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं प्रश्न समझ नहीं सका। यदि अलग से प्रश्न रखा जाए तो मैं उत्तर दे सकूंगा।

श्री जी० पी० सिन्हा : यह देखते हुए कि पूर्व जर्मनी रूसी क्षेत्र में है और पच्छिमी जर्मनी अमरीकी क्षेत्र में, क्या हमें दोनों क्षेत्रों से अलग-अलग क्षति-पूर्तियां मिलती हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तर्क उपस्थित कर रहे हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सारी चीज़ एक अंतर-मित्रराष्ट्रीय युद्ध क्षतिपूर्ति संस्था के अन्तर्गत है। क्षतिपूर्ति के आवंटन में स्वभावत: ही, जहां कि सामान पूर्वी क्षेत्र में है, तो जिन देशों की वहां पहुंच है उन्हें वह सामान दे दिया जाएगा जो वहां उपलब्ध है।

संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय

*१६३८. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय में काम करने वाले भारतीयों की संख्या :

(ख) नियुक्ति सामान्यत: किस के द्वारा की जाती है; और

(ग) सन् १९५० के बाद से कितने व्यक्तियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की नौकरी से त्याग-पत्र दिया ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) ५२।

(ख) संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में काम ढूंढने वाले लोग वहां के महा सचिव को सामान्यत: या तो सीधे अथवा भारत सरकार के जरिए अथवा न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र के स्थायी भारतीय प्रतिनिधि के जरिए आवेदन पत्र भेजते हैं। नियुक्त करने का अधिकार महा सचिव को है।

(ग) भारत सरकार को कोई सूचना नहीं है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या संयुक्त राष्ट्र में नियुक्त भारतीयों को पूर्ण कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त है अथवा उन पर अमरीका के कानून लागू होते हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : संयुक्त राष्ट्र के सब प्रमुख अधिकारियों को कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नावधि समाप्त हो चुकी है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का मुद्रणालय

*१६१६. **सरदार हुक्म सिंह :**
श्री बहादुर सिंह : (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पूर्व वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के मुद्रणालय का नियंत्रण स्टेशनरी व प्रिन्टिंग विभाग को कब हस्तान्तरित किया गया ?

(ख) क्या इस से खर्चे में मितव्ययता हुई है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) २ जनवरी, १९५२ को।

(ख) जी हां।

भारत में अहमदियों का प्रवेश

*१६२७. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि पश्चिमी पाकिस्तान के कुछ अहमदिया मुसलमान

पश्चिमी पंजाब के हाल के उपद्रवों के पश्चात् सीमा पार कर के भारत आना चाहते थे और उन्हें सीमा पर रोक दिया गया था; और

(ख) क्या कुछ अहमदिया मुसलमान भारत में प्रविष्ट हो गये हैं अथवा उन्होंने इस के लिए आवेदन किया है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) और (ख). जहां तक सरकार को विदित है, भारत में प्रविष्ट होने के कोई ऐसे प्रयत्न नहीं किये गये हैं ।

परियोजना क्षेत्रों के लिये फ़िल्म

*१६३९. **श्री एल० जे० सिंह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सूचनात्मक तथा प्रशिक्षात्मक फिल्में, कुछ परियोजना क्षेत्रों के लोगों के लिए कहानियों तथा मनोरंज़न मालाओं के रूप में, जिनमें कि परियोजनाओं पर किया गया कार्य होगा, उत्पादित की जायेंगी;

(ख) क्या सरकार ने इन फिल्मों को हिन्दी, बंगाली, तामिल तथा तेलगू के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं में उत्पादित करने के मामले पर विचार किया है;

(ग) क्या सरकार ने इन फिल्मों को राज्यों की प्रादेशिक भाषाओं में उत्पादित करने की वांछनीयता पर विचार किया है; और

(घ) सरकार का इन फिल्मों को किन-किन भारतीय भाषाओं में उत्पादित करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (ग). जी हां ।

(घ) हिन्दी, बंगाली, तामिल और तेलगू के अतिरिक्त, जिनमें कि इस समय फिल्में उत्पादित की जाती हैं, इन फिल्मों को मलयालम, कन्नड़, गुजराती और मराठी में उत्पादित करने का विचार है । चुनी हुई फिल्मों को आसामी, पंजाबी और उड़िया में भी बनाया जा सकता है ।

मांस और मछली का निर्यात

*१६४०. **श्री बलवन्त सिंह मेहता** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत से प्रति वर्ष कितने मूल्य के तथा कितनी मात्रा में मांस, मछली और अंडों का निर्यात किया जाता है; और

(ख) किन-किन देशों को इन का निर्यात किया जाता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). सरकारी आंकड़ों में मांस और अंडों के निर्यात को अलग-अलग नहीं लिखा जाता । गत तीन वर्षों में देशवार मछलियों का निर्यात दिखलाते हुए एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २४]**

मनीपुर के लिये राज्य विकास समिति

*१६४३. **श्री एल० जे० सिंह** : (क) क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मनीपुर राज्य में सामुदायिक परियोजनाओं तथा पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई अन्य परियोजनाओं का अनुवीक्षण करने के लिए एक राज्य विकास समिति की स्थापना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस समिति में कौन-कौन लोग हैं ;

(ग) कच्छ की तरह, क्या इस समिति में उक्त राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद्-सदस्यों को लिया गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का उस में लेने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

पक्के कुएं

*१६४४. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या **योजना** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई ऐसी योजना है जिस के अनुसार, ऐसे विभिन्न राज्यों में जहां नहर से या ट्यूब वेल से सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध करने का इस योजना में कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है पक्के कुएं बनाने के लिये आर्थिक सहायता दी जाय ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम के अन्तर्गत कुएं बनाने की योजनाओं के लिये समस्त लागत के २५ प्रतिशत की अधिकतम सहायता दिये जाने का प्रबन्ध है । इस सहायता का भार केन्द्र तथा राज्य बराबर बराबर सहन करते हैं ।

प्रति वर्ष, इस आधार पर, राज्य सरकारें एक कार्यक्रम बनाती हैं तथा भारत सरकार की स्वीकृति के पश्चात् उसे कार्यान्वित करती हैं ।

राज्यों की पंचवर्षीय योजनाएं

*१६४५. **श्री बलवन्त सिंह मेहता** : (क) क्या **योजना** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि कुछ राज्यों ने भी अपने अपने राज्यों की पंचवर्षीय योजनाएं बनाई हैं ?

(ख) यदि बनाई हैं तो, कितने राज्यों ने अपने योजनाओं को अन्तिम रूप दिया है तथा प्रकाशित किया है ?

(ग) क्या यह योजनाएं योजना आयोग के परामर्श से बनाई गई हैं ?

(घ) क्या अपने प्राकृतिक संसाधनों की संभाव्यताएं तथा अपने राज्यों में कुछ आधारभूत तथा महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थिति के सम्बन्ध में निश्चय करने के लिये केन्द्र से प्रविधिक विशेष परामर्श मांगा गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) देश की समस्त राज्य सरकारों की पंचवर्षीय योजनायें योजना आयोग द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय योजना की ही एक अंग हैं ।

(ख) अभी तक उपलब्ध सूचना के अनुसार ११ राज्य सरकारों ने, अब तक, अपनी राज्य विकास योजनाओं के सम्बन्ध में विशेष प्रकाशन निकाले हैं । सभी राज्यों की योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ।

(ग) हां ।

(घ) जब योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा था, केन्द्रीय सरकार के प्रविधिक विशेषज्ञों ने योजना आयोग तथा राज्य सरकारों में होने वाली चर्चा में भाग लिया था ।

विदेशी बाज़ार जहां भारतीय चाय नहीं बिकती है

*१६४६. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२-५३ में कौन सी विदेशी बाज़ारें ऐसी थीं, यदि कोई हों, जहां भारतीय चाय नहीं बिकी ;

(ख) हानि की मात्रा तथा उस के कारण ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). १९५२-५३ में ईरान तथा आयरलैण्ड को निर्यात की जाने वाली चाय की मात्रा बहुत कम हो

गई है। गत दो वर्षों में इन देशों को किया जाने वाला निर्यात इस प्रकार था :—

	१९५१–५२	१९५२–५३
	(१००० पाउंड)	
ईरान	१०,९३८	८८२
आयरलैण्ड	२४१०५ .	११,९८७

ईरान को किये जाने वाले निर्यात की कमी उस देश के तेल के झगड़े से उत्पन्न विनिमय की कठिनाइयों के कारण हुई है। आयरलैण्ड ने १९५०–५१ तथा १९५१–५२ में अपनी आवश्यकता से अधिक भारतीय चाय का आयात किया था तथा इसी लिये १९५२–५३ में यह अतिरिक्त आयात प्रयोग किये जा रहे थे। इसी लिये इस वर्ष का आयात कम हो गया है।

माचिस उद्योग

*१६४१. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५२–५३ में माचिस उद्योग से कुल कितना उत्पादन शुल्क प्राप्त किया गया ?

(ख) १९५१–५२ तथा १९५२–५३ में इस उद्योग के लिये कौन से कच्चे पदार्थों का आयात किया गया तथा उनका समग्र मूल्य क्या है ?

(ग) क्या १९५१–५२ तथा १९५२–५३ में माचिसों की कोई मात्रा आयात तथा निर्यात की गई ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) अस्थायी अंक ९.२८ करोड़ रुपया है। स्थायी अंकों की गणना अभी समाप्त नहीं हुई है।

(ख) फ़ास्फ़ोरस, पुटाशियम क्लोरेट, गंधक, गोंद, स्टार्च, तथा माचिस का काग़ज माचिस उद्योग द्वारा उपयोग किये जाने वाले इन कच्चे पदार्थों के आयात मूल्य की सूचना तत्क्षण उपलब्ध नहीं है।

(ग) हां, श्रीमान्। निर्यात हुए थे तथा अत्यन्त स्वल्प मात्रा में आयात भी ए थे।

संयुक्त राष्ट्र सेना के अतिरिक्त स्टोर

*१६४८. **श्री एच० एन० मुखर्जी :** (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र सेना के ऐसे स्टोर के कारण जो भारत में लाया गया तथा द्वितीय विश्वव्यापी युद्ध की समाप्ति पर अतिरिक्त पाया गया, सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ की सीमा क्या है ?

(ख) सरकार द्वारा इस स्टोर को कहां तक प्रयोग म लाया गया है ?

(ग) आज की तिथि तक इस स्टोर का वास्तविक हानि तथा लाभ का लेखा क्या है ?

(घ) क्या ऐसे सारे गोदामों का जो बन्द कर दिये गये हैं हिसाब किताब समाप्त हो चुका है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) तथा (ग). १९४६ के भारत-संयुक्त राष्ट्र समझौते के निबन्धनों के अन्तर्गत। ३० जन १९४८ तक होने वाले विक्रय के सम्बन्ध में, संयुक्त राष्ट्र की सरकार, रुपये में भुगतान की जाने वाली, पांच करोड़ डालर के बराबर मूल्य की धन राशि के अतिरिक्त, इस स्टोर के विक्रय की आय की आधी धनराशि पाने का अधिकारी होगा। अमरीकन आधिक्य के विक्रय का अन्तिम सन्तुलन पत्र अभी तक तय्यार नहीं हुआ है।

(ख) फरवरी १९५३ के अन्त तक १२.७९ करोड़ रुपये (लगभग) के विक्रय मूल्य के स्टोर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रयोग में लाये जा चुके हैं।

(घ) हां, श्रीमान्, उन थोड़े से गोदामों को छोड़ कर जो हाल ही में बन्द किये गये हैं जिनका हिसाब किताब अन्तिम रूप से किया जा रहा है।

विश्व धनागार के इंजीनियरों का प्रतिवेदन

*१६४९. **श्री ए० एन० विद्यालंकार:** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि पुनर्निर्माण तथा विकास के अन्तर्राष्ट्रीय धनागार के इंजीनियरों के दल का प्रतिवेदन, जो निरीक्षण यात्रा करने आया था, प्रस्तुत हो चुका है तथा सरकार द्वारा प्राप्त किया जा चुका है;

(ख) क्या उस प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी जायगी; तथा

(ग) उन की सिफ़ारिशें क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) पुनर्निर्माण तथा विकास के अन्तर्राष्ट्रीय धनागार के तीन इंजीनियर इण्डस बेसिन वर्किंग पार्टी की बैठक में भाग लेने के लिये तथा क्षेत्र अवलोकन यात्रा में इस पार्टी के साथ जाने के लिये पिछले शरद् में भारत तथा पाकिस्तान आये थे। धनागार के इंजीनियरों का कार्य प्रतिवेदन तय्यार करना नहीं था तथा कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं किया गया है।

(ख) तथा (ग). यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

मांस और मछली का आयात

१२१३. **श्री बलवन्त सिंह मेहता :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में प्रति वर्ष विदेशों से डिब्बों में बन्द अथवा अन्य प्रकार की मछली, मांस तथा इसी प्रकार के अन्य खाद्य पदार्थ कितने मूल्य के ोर कितनी मात्रा में आयात किये जाते हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सदन पटल पर रखा है। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनबन्ध संख्या २५**]

कुटीर उद्योगों की शिक्षा

१२१४. **श्री बादशाह गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) देहली तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों में स्थित, केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित तथा सहायता प्राप्त विभिन्न कुटीर तथा लघु परिमाप उद्योगों की शिक्षा देने वाले विभिन्न विद्यालयों के नाम;

(ख) इन विद्यालयों में प्रवेश के लिये अपेक्षित शिक्षा सम्बन्धी तथा अन्य योग्यताएं; तथा

(ग) इन विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की प्रकृति ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग). सदन पटल पर एक विवरण रखा है [**पुस्तकालय में रखा गया--देखिये संख्या एस-४२/५३**]

राजस्थान की सीमा पर पाकिस्तानी धावे

१२१५. **श्री बलवन्त सिंह मेहता :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान की सीमा पर १९५१ और १९५२-५३ में पाकिस्तान की ओर से कितने धावे हुए;

(ख) उन स्थानों के नाम जहां यह धावे किये गये हैं; और

(ग) इन धावों में जान, माल और पशुओं की, जिन में भेड़ें आदि भी सम्मिलित हैं, कुल कितनी हानि हुई ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) राजस्थान की सीमा पर पाकिस्तानियों द्वारा किये जाने वाले धावे इस प्रकार हैं :—

१९५१—१२ } छै मास छोड़ कर सारे वर्ष के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना के अनुसार। पूरी सूचना
१९५२—१५८ } मंगाई गई है।
१९५३—३० १५ फरवरी तक।

(ख) निम्नलिखित थानों की सीमा के अन्दर धावे किये गये :—

१९५१: ज़िला गंगानगर :

केसर सिंह पुर, हिन्दू मल कोट, रामगढ़, करनपुर, रायसिंहनगर, सदर गंगापुर

ज़िला जैसलमेर :

नोख, साम

ज़िला बरमेर : राम सार

ज़िला जालोर : बखासार, बखतसार

१९५२ : रामगढ़; गंगानगर; सदर गंगानगर; मोहनगढ़; बखासार; करनपुर; केसरी सिंह पुर; नोख; जैसलमेर; पदमपुर; रायसिंहपुर; सिन्दूमलकोट पूगल; अनूपगढ़; साम; जिराब; चौतोन; इन्द्रगढ़; महतरा

१९५३ : (१५ फरवरी तक)

पदमपुर, रायसिंह नगर; मखासार; सेदवा; हिन्दू मल कोट; अनूपगढ़; केसरी सिंह पुर; करनपुर; घरसाना

(ग) निम्नलिखित सारणी सूचना देती है :—

वर्ष	भारतीय नागरिक जो मारे गये	आ- हत	अभि- हृत	पशु जो उठा ले जाये गय	आगणित हानि रुपये में
१९५१	१०	३	१२	७०२	१,६०,५६४
१९५२	२	५	१४	३२७२	२,४१,५०३
१९५३ (१५ फरवरी तक)	...	१	५	४२६	२३,२२१

विदेशों में मुद्रण प्रशिक्षा

१२१६. **श्री बहादुर सिंह** : (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५१–५२ में भारत सरकार के मुद्रणालयों के कुछ पदाधिकारी विदेशों में मुद्रण तथा अन्य साथ वाले व्यापारों में प्रशिक्षण के लिए भेजे गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या उन में से कोई अपना प्रशिक्षण पूरा कर के वापस आ गया है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) जी हां, भारत सरकार के मुद्रणालय का एक सहायक मैनेजर।

(ख) अभी नहीं।

चम्बल परियोजना

१२१७. **श्री आर० सी० शर्मा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) चम्बल नदी घाटी परियोजना में किस प्रकृति का कार्य हो रहा है;

(ख) परियोजना के कार्य में कितने पदाधिकारी, क्लर्क और मज़दूर, नियुक्त हैं; और

(ग) इस परियोजना को पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित किए जाने से पूर्व मध्य भारत तथा राजस्थान सरकारें इस पर कितना रुपया खर्च कर चुकी थीं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी):

(क)—

गांधी सागर बांध	राजस्थान
बांध की नींव डालने की खुदाई हो रही है। बांध में फिट किया जाने वाला उपरी भाग तथा पानी के दरवाज़े एक जर्मन फर्म द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं। निर्माण की आवश्यक सामग्री जुटाई जा रही है। बिजली घरों के लिए बिजली के जेनरेटरों के टेंडर आमंत्रित किए जा रहे हैं। **नहरें**—नहरें मिलाने तथा आर-पार नाले बनाने के संभव स्थानों का परिमाप हो रहा है। नहर प्रणाली के विस्तृत ब्यौरे तथा प्राक्कलन तैयार किए जा रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर कुछ कर्मचारी-क्वार्टर निर्माणाधीन हैं। **भूमि आवाप्ति**—आवश्यक अभिलेख तैयार किए जा रहे हैं।	बांध के स्थानों का भूतत्वीय परिमाप तथा कोट बांध से नहरों को मिलाने सम्बन्धी जांच।
(ख) इस समय लगभग २१ पदाधिकारी, ९४ क्लर्क और ७०० मज़दूर हैं।	१ एक्जीक्यटिव इंजीनियर, १ मिकेनीकल इंजीनियर, ४ असिस्टेंट इंजीनियर, क्लर्क, २८ सबोरडीनेट (टेक नीकल), ४२ श्रेणी ४ के कर्मचारी और ३०० मज़दूर
(ग) (१) ८० स्थायी इमारत (२) भानपुर नगर से बां -स्थान तक ३२ मील की पक्की सड़क (३) ट्रंक सुविधाओं सहित डाक, तार तथा टेलीफोन सेवाएं। (४) नदी के तट पर भूतत्वीय परिमाप। (५) बांध के डिज़ाइन तथा प्राक्कलन तथा परियोजना का पूर्ण ब्यौरा। (६) आवश्यक मशीनों का क्रय तथा बांध के दरवाजों का आर्डर। (७) ८५ मील मिलाने वाली नहरों का अंतिम परिमाप।	(१) रावलभट्टा हाउसिंग कोलोनी (२) कोटा-रावलभट्टा सड़क (९ मील अभी पूरी होनी शेष है।)
दिसम्बर, १९५२ के अन्त तक १.३० करोड़ रुपय।	दिसम्बर, १९५३ के अन्त तक ३७.९४ लाख रुपये।

उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेंसी

१२१८. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) लोगों को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने के प्रयोजन से उत्तर-पूर्वी सीमान्त एजेंसी के भीतरी भाग में कितने व्यापारिक डिपो स्थापित किए गए हैं;

(ख) जरूरी चीज़ों का मूल्य और प्रत्येक डिपो में वार्षिक रक्खी जाने वाली चीज़ों का नकद मूल्य; और

(ग) इस व्यवस्था से लोगों की आवश्यक जरूरियात कहां तक पूरी होती ह ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तीन ।

(ख) डिपुओं में रक्खी जाने वाली सोलह वस्तुओं का नाम दर्शाते हुए एक विवरण सदन पटल पर रक्खा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २६]**

वार्षिक नकद मूल्य इस प्रकार है :

किमीन	५,००० रु०
सगाली	१०,००० रु०
ज़िरो	१५,००० रु०

(ग) ऊपर भाग (ख) में वर्णित चीज़ें वहां के लोगों को मैदानी भाग से कम दरों पर दी गई थीं क्योंकि व्यापारिक डिपो 'न लाभ–न हानि' के आधार पर चलाई जाती हैं। जरूरियात की अधिकतर चीज़ें दी गई थीं और निकटवर्ती क्षेत्रों के जनजाति के लोगों की भी मांगें पूरी की गईं। अन्य स्थानों पर सामान्य निजी दुकानें हैं जो लोगों की आवश्यकता पूर्ति करती हैं।

उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेंसी में चिकित्सकीय सुविधाएं

१२१९. **श्री गोहेन :** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर-पूर्वी सीमान्त एजेंसी में कितने अस्पताल, चिकित्सालय और स्वास्थ्य सम्बन्धी एकक हैं ?

(ख) १९५५–५६ तक कितने अस्पताल, चिकित्सालय और स्वास्थ्य एकक और खोले जायेंगे ?

(ग) इस योजना पर कितनी राशि व्यय की जायगी ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) ५ अस्पताल, ४१ चिकित्सालय जिस में ३ आयुर्वेदिक चिकित्सालय भी सम्मिलित हैं और १६ सचल स्वास्थ्य एकक इस समय उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेंसी में हैं।

(ख) पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत ९ अस्पताल, जिनमें २ आधार अस्पताल भी सम्मिलित हैं, २२ चिकित्सालय और ६ सचल स्वास्थ्य एकक ३ वर्ष के दौरान में, अर्थात् १९५३–५४ से १९५५–५६ तक स्थापित किए जायेंगे।

(ग) विकास योजना के अन्तर्गत स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए पांच वर्ष (१९५१–५६) में ६५ लाख रुपए खर्च करने का विचार है। इस में आदिम जाति के लोगों में से २५ डाक्टरों, १५ कम्पाउन्डरों और १५ दाइयों को भी प्रातेशित करना सम्मिलित है और पहले स्थापित की गई तीन कुष्ट-रोगी बस्तियों के अतिरिक्त एक और ऐसी बस्ती तथा एक मलेरिया नाशक एकक और एक रतिज-रोग नाशक एकक भी स्थापित किए जायेंगे।

बिहार को नमक का आवंटन

१२२०. **श्री झूलन सिन्हा :** क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५१–५२ और १९५२–५३ में बिहार राज्य के लिए विभिन्न प्रकारों के नमक का कितना-कितना कोटा निर्धारित किया गया था;

(ख) उक्त वर्षों में इन में से कितना-कितना कोटा उठाया गया; और

(ग) निर्धारित कोटा से क्या बिहार राज्य की नमक की समस्त आवश्यकता पूरी हो गई ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) और (ख). एक विवरण सदन पटल पर रक्खा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २७]**

(ग) १९५१–५२ के दौरान में, बिहार राज्य की कुल आवश्यकता का ९४ प्रतिशत पूरा हो गया था और १९५२–५३ में कोटा से अधिक नमक उठाया गया अर्थात् ११५ प्रतिशत।

त्रिपुरा के लोगों के लिये वैदेशिक पासपोर्ट

१२२१. श्री दशरथ देव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२–५३ में त्रिपुरा से कितने लोगों ने वैदेशिक पासपोर्टों (पाकिस्तान को छोड़कर) के लिए आवेदन पत्र दिया और कितनों को पासपोर्ट अस्वीकृत कर दिया गया ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : १९५२–५३ के दौरान में ६ लोगों ने त्रिपुरा से अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था। इनमें से चार को पासपोर्ट दे दिया गया, एक को अस्वीकृत कर दिया गया और एक का मामला विचाराधीन है।

मोटरें जोड़ने का उद्योग

१२२२. श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में मोटर जोड़ने के उद्योग में कितना भारतीय और विदेशी रुपया विनियोजित है;

(ख) इन कारखानों द्वारा निर्मित माल की मात्रा जो कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा खरीदा गया है; और

(ग) ५०० से अधिक वेतन पाने वाले भारतीय कर्मचारियों की संख्या तथा इसी प्रकार के विदेशी कर्मचारियों की संख्या ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) क्रमश: लगभग १० करोड़ और १ करोड़ रुपया।

(ख) मात्रा सम्बन्धी सूचना उपलब्ध नहीं है। किंतु १९५१–५२ में सरकार द्वारा आर्डर दिए गए माल (ट्यूब और टायरों को छोड़कर) का मूल्य ७८.६६ लाख रु० था और अप्रैल १९५२ से जनवरी १९५३ तक खरीदे गए माल का मूल्य ३५ ९२ लाख रुपये।

(ग) पहली जनवरी, १९५२ को क्रमश: २४४ और ९९ ये आंकड़े १२ में से दस फर्मों के हैं। दो के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

सोमवार,
२७ अप्रैल, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

सोमवार, २७ अप्रैल, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिए भाग १)

९–१५ म० पू०

सभापति तालिका

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम ८ के उप-नियम (१) के अधीन माननीय अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित सदस्यों, को सभापति तालिका में, पहले नाम-निर्दिष्ट सदस्यों के स्थान में नाम निर्देशित किया है :

(१) पंडित ठाकुर दास भार्गव
(२) श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन
(३) श्री हरि विनायक पाटस्कर
(४) सरदार हुक्म सिंह
(५) श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
(६) श्रीमती बी० खोंगमेन

पटल पर रखे गए कागज़

विशेषज्ञ समिति (उत्पादकर) की रिपोर्ट

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं विशेषज्ञ समिति (उत्पादकर) की रिपोर्ट की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं जैसा कि १८ जुलाई, १९५२ को तारांकित प्रश्न संख्या १८७० के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में वचन दिया गया था । [पुस्तकालय में रख दी गई । देखिए नं० ४ पी० ओ० (२५)]

स्थगन प्रस्ताव

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : स्थगन प्रस्ताव का क्या बना ?

उपाध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणी मैं ने पहले ही भेज दी है ।

श्री सारंगधर दास (धेनकनाल-पश्चिमी कटक) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम है । माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिए कि जब भी किसी सदन प्रस्ताव की सूचना दी जाती है, उस के रखे जाने के लिए अध्यक्ष महोदय की अनुमति की आवश्यकता होती है । यदि वे अनुमति न दें और अपना निर्णय बता दें तो यदि सदस्य और अभ्यावेदन करें तो मैं उस पर विचार करूंगा और यदि मैं अपना निर्णय बदल दूं तो अगले दिन इस को रखा जायगा । इसलिए जिन सदस्यों को कोई कठिनाई हो या जिन्हों ने कोई सुझाव देना हो, वे मुझे बाद में मिल लें ।

सदन का कार्यक्रम–

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । क्रम पत्र में यह लिखा है कि आज, यदि समय हुआ, निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९५३ पर विचार किया जायगा । कठिनाई यह है कि इस में कई अधिनियमों की ओर संकेत है और कई परिवर्तन किये जाने हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सूची में यह सब से पहले है ?

श्री एच० एन० मुखर्जी : जी, नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब हम इस तक पहुंचेंगे तो मैं इस बात पर विचार करूंगा ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : हम थोड़ा बहुत आश्वासन चाहते हैं कि इस पर आज विचार नहीं होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो माननीय सदस्य का क्या सुझाव है कि इस पर कब विचार किया जाय ? आखिर यह तो केवल औपचारिक बात है ।

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर) : मुख्य अधिनियम को पढ़े बिना इसे समझा ही नहीं जा सकता । और यहां कोई उद्धरण नहीं दिए गए हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री मुखर्जी को यह सुझाव दूंगा कि मैं इस प्रश्न पर विचार करूंगा यदि इस विषय पर कल विचार किया जाय तो कोई अधिक देर नहीं हो जायगी ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : बात यह है कि हम कुछ सूचना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम ऐसा ही करेंगे । मैं सब को पर्याप्त अवसर दूंगा ।

क्या वित्त मंत्री अपना प्रस्ताव पहले रखना चाहते हैं ।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : यह अच्छा होगा कि पहले श्री अलगेशन अपना कार्यक्रम रख । मुझे एक दो काम करने हैं ।

भारतीय व्यापारिक नौपरिवहन (संशोधन) विधेयक

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"लन्दन में दिनांक १० जून, १९४८ को हस्ताक्षरित, समुद्रयात्रा में प्राण-रक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय को कार्यान्वित करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन से, भारतीय व्यापारिक नौपरिवहन अधिनियम, १९२३ के प्राण-रक्षा उपकरण और बेतार व रेडियो नाविक सहायता तथा उक्त अभिसमय से प्रभावित अन्य विषयों से सम्बन्धित उपबन्धों में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

जैसे कि शीर्षक में संकेत किया गया है तथा उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में स्पष्ट किया गया है इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय व्यापारिक नौपरिवहन अधिनियम, १९२३ में ऐसे संशोधन करना है जो कि १९४८ के उक्त अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय को कार्यरूप देने के लिए आवश्यक है । इस विधेयक की विषय-वस्तु बहुत ही टैक्नीकल प्रकार की है तथा विवादग्रस्त नहीं है । मैं इस विधेयक की पृष्ठभूमि देने का प्रयत्न करूंगा तथा १९४८ के प्राण-रक्षा अभिसमय की कुछ मुख्य बातों को साधारण भाषा में स्पष्ट करूंगा ।

इस समय जहाजों की रक्षा तथा उन पर सवार व्यक्तियों की रक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मामले १९२९ के अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय द्वारा अधिशासित हैं । इस अभिसमय का सम्बन्ध जहाज़ों के निर्माण, प्राण रक्षा यंत्रों तथा वायरलैस उपकरणों के बनाने, नौपरिवहन की सुरक्षितता तथा अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता के अभिसमय-प्रमाणपत्रों को जारी करने से है । इस अभिसमय का भारत समेत लगभग सारे सामुद्रिक देशों नें अनुसमर्थन किया । भारत ने १९३३ के भारतीय व्यापा-

रिक नौपरिवहन अधिनियम का संशोधन कर के इस अभिसमय को कार्यरूप दे दिया। गत विश्वयुद्ध की समाप्ति पर ब्रिटेन की सरकार ने १९२९ के अभिसमय पर पुनर्विचार करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया। यह सम्मेलन २३ अप्रैल तथा १० जून १९४८ के बीच लन्दन में हुआ तथा इस में भारत समेत ३० देशों ने भाग लिया। नया अभिसमय जो वहां पास किया गया १९ नवम्बर १९५२ से लागू हुआ। भारत सरकार ने १८ अन्य देशों के साथ साथ नये अभिसमय का अनुसमर्थन किया तथा यह उस दिनांक से भारत पर भी लागू होता है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से भारतीय नौपरिवहन का बहुत भारी विकास हुआ है। तथा इस समय समुद्र में जाने वाले जहाज़ों का कुल वजन ४००,००० जी० आर० टी० है जब कि १९४६ में यह लगभग १५०,००० था। भारतीय जहाज अब नियमित रूप से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग ले रहे हैं तथा विश्व के लगभग सभी महत्वपूर्ण सामुद्रिक देशों के जहाज अब भारतीय बन्दरगाहों पर आते हैं। इसलिए यह न केवल वांछनीय है अपितु आवश्यक भी है कि भारतीय व्यापारिक जहाज़ों को रक्षा के सम्बन्ध में स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर बनाये रखा जाना चाहिये। भारतीय राष्ट्रीय पोत मालिक सन्था से मश्वरा किया गया है तथा उस की राय है कि भारत को नये अभिसमय में भाग लेना चाहिये। इस कारण से तथा अन्य कारणों से भारत सरकार ने १९४८ के अभिसमय का अनुसमर्थन करने का निश्चय किया है।

अब मैं नये अभिसमय की मुख्य बातों पर प्रकाश डालूंगा तथा यह दिखाने का प्रयत्न करूंगा कि इस में तथा पुराने अभिसमय में क्या कुछ अन्तर है। नये अभिसमय का सम्बन्ध उन्हीं विषयों से है कि जो कि पुराने अभिसमय में दिये गए हैं, परन्तु इस का क्षेत्र अधिक विस्तत है तथा यह पुराने अभिसमय से प्रगत अवस्था पर है। नये अभिसमय का सम्बन्ध भी अन्तर्राष्ट्रीय यात्राओं में संलग्न जहाज़ों से है। इस के १५ अनुच्छेद हैं तथा इस के अलावा बहुत से विनियम इस के साथ अनुबन्धित हैं जो कि इस के अविभाज्य अंग हैं। विनियमन छः खंडों में बटे हुये हैं।

खंड १ में पर्यालोकन तथा प्रमाण-पत्रों के जारी करने से सम्बन्धित साधारण उपबन्ध दिए गए हैं। जब कि १९२९ का अभिसमय १६०० टन अथवा उस से अधिक वज़न वाले सभी माल जहाज़ों अथवा मुसाफिर जहाज़ों पर लागू होता था, १९४८ का अभिसमय ५०० टन अथवा उस से अधिक वजन वाले सभी माल जहाज़ों अथवा मुसाफिर जहाज़ों पर लागू होता है। १९४८ के अभिसमय में माल उठाने वाले जहाज़ों के सम्बन्ध में रक्षा उपकरण-प्रमाण-पत्र जारी करने का उपबन्ध रखा गया है तथा माल उठाने वाले जहाज़ों पर यह दायित्व डाला गया है कि वह अपने साथ प्राण-रक्षा उपकरण रखा करेंगे। पहले ऐसी कोई पाबन्दी नहीं थी।

खंड २ यात्री जहाज़ों के निर्माण से सम्बन्ध रखता है तथा यह जहाज़ों के कम्पार्टमेंटों के विशिष्ट स्तरों का उपबन्ध रखता है जिस से कि यह, यदि इन्हें नुक्सान पहुंचे, अपने तैराव का सामर्थ्य रख सकें। इस में माल जहाज़ों अथवा यात्री जहाज़ों में आग बुझाने तथा आग से बचने से सम्बन्धित उपकरणों की व्यवस्था है। यह स्थायित्व विनियमों को पुरःस्थापित करता है जिस से कोई जहाज नुक्सान के दुष्प्रभावों को सहन कर सके। यह उपबन्ध माल उठाने वाले जहाज़ों पर पहले लागू नहीं होते थे। १९४८ के अभिसमय में एक नई बात यह है कि प्रत्येक नया जहाज अपने स्थायित्व के सम्बन्ध में ऐसी सूचना अपने साथ रखेगा जो कि जहाज के चालक (मास्टर) को उस के सक्षम संचालन के लिए आवश्यक हो।

[श्री अलगेशन]

खंड ३ प्राण-रक्षण उपकरण निश्चित करता है तथा इन उपबन्धों को पहली बार माल उठाने वाले जहाज़ों पर लागू करता है। खंड ४ का सम्बन्ध रेडियो तार तथा रेडियो टेलीफोन के उपबन्धों से तथा इस बात से है कि जहाजों पर किस प्रकार की निगरानी रखी जाये। ५०० टन अथवा उस से अधिक वज़न वाले किन्तु १६०० टन से कम वज़न वाले जहाज़ों को रेडियो टेलीफोन की व्यवस्था अथवा रेडियो तार की व्यवस्था जैसे कि मालिकों की इच्छा हो रखनी होगी। खंड ५ नौपरिवहन के साधारण रक्षण के साथ सम्बन्ध रखता है तथा विपत्ति संदेश आदि भेजने की व्यवस्था रखता है। पहले तो ५००० टन अथवा उस से अधिक वज़न वाले यात्री जहाज़ों को दिशा-सूचक यंत्र अपने पास रखने पड़ते थे; अब १६०० टन अथवा उससे अधिक वज़न वाले सभी जहाज़ों को यह यंत्र अपने पास रखने पड़ेंगे। अन्तिम खंड अर्थात् खंड ६ प्रचुर मात्रा में अनाज ले जाने से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय विनियमों का उपबन्ध रखता है तथाइस बात को सुनिश्चित करता है कि अनाज एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उचित सावधानी बर्ती गई है। खतरनाक वस्तुओं के ले जाने के सम्बन्ध में भी ऐसे ही उपबन्ध रखे गए हैं तथा सम्बन्धित सरकारों को यह अधिकार दे दिया गया है कि इनके लाने ले जाने से सम्बन्धित विनियम जारी किये जायें।

एक मामले में भारत को विशेष रूप से दिलचस्पी है। नये अभिसमय में यह बात मानी गई है कि ऐसे जहाज़ों के सम्बन्ध में जिन में कि तीर्थयात्री यात्रा कर रहे हों तथा जिन में कि यात्रियों की बहुत बड़ी संख्या के लिए बर्थों की कोई व्यवस्था न हो, प्राण-रक्षण उपकरणों आदि से सम्बन्धित अभिसमय की अपेक्षाओं को पूर्णतया लागू करना अव्यवहार्य होगा, इसलिए अभिसमय में इस प्रकार के जहाज़ों के लिए कुछ शर्तों के साथ उन्मुक्तियों का उपबन्ध रखा गया है। एक शर्त यह है कि अन्य सम्बन्धित सरकारों के परामर्श से इस बारे में सामान्य नियम बनाने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए। इस समय नौपरिवहन का यह पहलू १९३१ के शिमला नियमों द्वारा विनियमित है। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय करार है जो कि सम्बन्धित सरकारों में हुआ है। यह नियम १९२९ के अभिसमय के अनुसार १९३१ में शिमला में बनाये गए थे। इन में इन जहाज़ों के निर्माण के सम्बन्ध में तथा प्राण-रक्षण उपकरणों के सम्बन्ध में निम्नतम स्तर निश्चित किये गए हैं। डैक यात्री समिति, जो कि सरकार ने १९५० में नियुक्त की थी, ने शिमला नियमों में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया है। भारत ने प्रस्तावित सम्मेलन बुलाने में पहल की है तथा इस मामले में अग्रेतर कार्यवाही यथासम्भव शीघ्र ही किये जाने का विचार है क्यों कि १९४८ के अभिसमय का अब अनुसमर्थन हुआ है तथा यह लागू हुआ है।

यह विधेयक भारतीय व्यापारिक नौपरिवहन अधिनियम, १९२३ में निम्नतम संशोधन करना चाहता है जिस से कि सरकार को उक्त अभिसमय के उपबन्ध लागू करने का अधिकार प्राप्त हो। इस विधेयक के उपबन्ध सामान्यतया भारतीय जहाज़ों पर लागू होंगे तथा विदेशी जहाज़ों पर उस समय लागू होंगे जब कि वह भारतीय समुद्रों में परिवहन कर रहे हों। विषय-वस्तु इतना टैक्नीकल है कि सविस्तार व्यवस्था को नियमों पर ही छोड़ना होगा। विधेयक में नियम बनाने की शक्ति का उपबन्ध है तथा हमारे टैक्नीकल विशेषज्ञ पहले से ही नियम बना रहे हैं। कुछ मामले में यह शक्ति उस से आगे बढ़ जानी चाहिये जो कि हमें अभिसमय को क्रियान्वित

करने के लिए आवश्यक है, ताकि सरकार अभिसमय द्वारा निश्चित किये गए स्तरों को हमारे तटीय व्यापार में संलग्न जहाज़ों पर भी यथा सम्भव लागू कर सके। भारतीय व्यापारिक नौपरिवहन अधिनियम, १९२३ के अन्तर्गत तटीय व्यापार में संलग्न भारतीय जहाज़ों को प्राण-रक्षण उपकरण अपने साथ रखने पड़ते हैं, यद्यपि अभिसमय के इस आशय के उपबन्ध पहले तो केवल माल उठाने वाले जहाज़ों पर ही लागू होते हैं। फिर भी नियम बनाते समय हमारा विचार यह है कि निम्न स्तरों के लिए उपबन्ध रखा जाये अथवा तटीय व्यापार में संलग्न जहाज़ों की कठिनाइयों का निवारण करने के लिए उन्हें उचित उन्मुक्तियां अथवा ढीलें दी जायें।

विधेयक के बहुत से खंड उन खंडों के आनुषंगिक है जो कि नये अभिसमय के अनुसार पुरःस्थापित किये गए हैं। इस अभिसमय को कार्यरूप दे के भारत विश्व के महान सामुद्रिक देशों में अपना उचित स्थान प्राप्त कर सकेगा। यद्यपि मैं ने अपने भाषण के आरम्भ में कहा कि यह विधेयक विवादग्रस्त नहीं है, फिर भी इस से इस का महत्व कुछ कम नहीं होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदन इस विधेयक को स्वीकार करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री नम्बियार (मयूरम): हमें इस अभिसमय का अनुसरण करना चाहिए जो कि समुद्री जीवन को संरक्षण प्रदान करता है। और मैं कहूंगा कि इस समस्त उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में लेते हुए एक विस्तृत विधेयक लाया जाना चाहिए। हम जानते हैं कि नौपरिवहन उद्योग में भारत में लगभग एक लाख मज़दूर लगे हुए हैं। किन्तु अन्य देशों के मुकाबले में भारतीय नौपरिवहन उद्योग बहुत कमज़ोर है।

अब जब कि हम नई युक्तियों और प्रणालियों को अपना रहे हैं तथा मुसाफिरों की आवश्यकताओं की ओर देख रहे हैं, तो समस्त उद्योग के कर्मचारियों की ओर भी हमें देखना चाहिए। उदाहरणार्थ, सीटल अभिसमय ने मज़दूरों की दशा में अनेक सुधारों की सिफारिश की थी जैसे कि मजूरी-वृद्धि, अधिक-समय काम करने सम्बन्धी उपबन्ध, काम के घंटों में सुधार इत्यादि। किन्तु भारत सरकार ने इन में से कोई प्रश्न नहीं लिया है। यह जान कर आश्चर्य होगा कि शेखानी तथा अन्य मज़दूर सप्ताह में ८४ घंटे कार्य कर रहे हैं। इसलिए ऐसे विधान की आवश्यकता है जो कि उन के काम के घंटे ४४ प्रति सप्ताह सीमित कर दे।

समुद्री यात्रियों की प्राणरक्षा का १९४८ का अभिसमय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यात्रा को इस प्रकार परिभाषित करता है:

"ऐसे देश से जहां कि प्रस्तुत अभिसमय लागू होता है, उस देश के बाहर एक ऐसे पत्तन को समुद्री यात्रा अथवा ऐसे पत्तन से उस देश को समुद्री यात्रा।"

इस का अर्थ यह हुआ कि भारत के किसी भी भाग से भारत के बाहर किसी भी पत्तन को समुद्री यात्रा। तो यदि करांची से चिटगोंव को समुद्री यात्रा की जाए, जो कि पाकिस्तान को एक भाग से पाकिस्तान के दूसरे भाग को यात्रा है, तो जीवन-रक्षा सम्बन्धी किन्हीं युक्तियों की आवश्यकता नहीं है जब कि चिटगांव से कलकत्ते तक की यात्रा में, जो कि बहुत थोड़ा फासला है, ये युक्तियां लागू की जायेंगी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमें छोटे फासलों के लिए इन नियमों का इतनी कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता नहीं है। लम्बे सफर पर जीवन-रक्षा सम्बन्धी युक्तियों पर अधिक ज़ोर देने की आवश्यकता है। इस असंगति को दूर करना चाहिए। छोटे फासले के बीच में चलने वाले जहाज़ों के सम्बन्ध में इन नियमों को कड़ाई से लागू

[श्री नम्बियार]

कर ने पर इस उद्योग की वर्तमान स्थिति को और धक्का पहुंचेगा।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं उस भेदाभाव के व्यवहार के विषय में जो हमारे भारतीय नौपरिवहन उद्योग को विदेशी नौपरिवहन उद्योग की तुलना में दिया जाता है। जब हमारे जहाज़ विदेशों को जाते हैं तो उन्हें सुरक्षित स्थान प्रदान करने आदि की सुविधाएं नहीं दी जाती जब कि भारतीय पत्तनों में आने वाले विदेशी जहाज़ों को ये सब सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। भारतीय नौ परिवहन उद्योगपतियों ने बार बार इस भेदभाव के विषय में शिकायत की है। किन्तु सरकार कोई पर्वाह नहीं करती। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अन्यथा यदि सरकार इन नियमों को तो कड़ाई से लागू करे और उद्योग की अन्य वाजिब सुविधाओं की ओर ध्यान दे तो उद्योग को हानि पहुंचेगी।

अभी हाल में सरकार कलकत्ते में यह नियम लागू करना चाहती थी कि समुद्रियों द्वारा की जाने वाली प्रत्येक समुद्री यात्रा के लिए एक 'डाक्टरी प्रमाण-पत्र' होना चाहिए। इस पर वहां हड़ताल हो गई। सरकार ने अस्थाई तौर से इसे स्थगित कर दिया है किन्तु पूर्वस्थिति अभी लागू नहीं की है। उस का कहना है कि सीटल अभिसमय में यह सिफारिश है। सीटल अभिसमय की अन्य समस्त सिफारिशों की उपेक्षा करते हुए केवल यह सिफारिश सरकार ने चुन ली है जो कि समुद्रियों के विरुद्ध प्रयुक्त की जा सके। परिस्थिति पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

फिर वीसा का प्रश्न है। प्रत्येक समुद्री को अपने वीसा के साथ सी० डी० सी० प्रमाण-पत्र लाने को कहा जाता है। और कलकत्ता पत्तन में एक लम्बी लाइन लग जाती है। यह कहा जाता है कि जो लोग लाइन में आगे खड़े होते हैं उन्हें २ रुपए की घूस दी जाती है जिस से कि वे लाइन से बाहर हो जाएं। सरकार को इन चीज़ों के प्रति अपनी आंखें खुली रखनी चाहियें।

अन्त में मुझे यही कहना है कि सरकार को एक विस्तृत विधान इस सम्बन्ध में लाना चाहिए। इस से काम नहीं चलेगा।

श्री दामोदर मेनन (कोजिकोडे) : हम सब को इस विधेयक का समर्थन करना चाहिये। इस विधेयक की धारा २८ के अनुसार मछुओं के पोतों पर इस के उपबन्ध लागू नहीं हैं। मैं इस के कारण जानना चाहता हूं। ऐसे अनेक बड़े बड़े जहाज़ होते हैं जो केवल मच्छीमारी के लिये ही उपयोग में लाये जाते हैं। और ऐसी भी अनेक देशी डोंगियां होती हैं जो अरब राष्ट्रों के पत्तनों तक माल पहुंचाती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इन बड़े जहाज़ों तथा छोटी डोंगियों पर प्राण रक्षा के क्या प्रबन्ध रखे जाते हैं। मैं सरकार से यह भी जानना चाहता हूं कि नाविकों की सेवा की शर्तें उचित स्तर पर रखने के लिये सरकार क्या करने जा रही है। इसी प्रकार हमारे अपने पोतों में विदेशियों की जगह भारतीय राष्ट्रकों को भर्ती करने के बारे में सरकार क्या कर रही है? मलबार तथा त्रिवांकुर-कोचीन के लोग स्वभावतः समुद्रप्रेमी होते हुए भी वहां नाविकों की भर्ती का कोई केन्द्र नहीं है। वहां के लोगों की भर्ती के लिए कलकत्ता, बम्बई या विशाखापट्टनम जाना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री से कोचीन में भर्ती तथा प्रशिक्षण का केन्द्र खोलने की प्रार्थना करता हूं।

श्री अलगेशन : माननीय सदस्यों के बहुमूल्य सुझावों के लिए मैं उन का आभारी हूं। श्री नंबियार द्वारा उल्लिखित मज़दूर-दशा की बात को आपने कृपया अप्रासंगिक बता दिया था, पर सरकार उस दिशा में भी सतर्क है। श्री नंबियार सीटेल में हुए अभिसमय का निर्देश

कर रहे थे, जहां तक निजी परिवहन का प्रश्न है, यह मालिकों और नाविकों के समझौते और बातचीत का विषय है, पर सरकार कामकरों को उन का प्राप्य दिलाने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। फिर कलकत्ता और चिटगांव तथा करांची और चटगांव के बीच की सामुद्रिक यात्राओं की बात थी—इन में चिटगांव और करांची दोनों पाकिस्तान में हैं और आशा है उस अभिसमय को मंजूर कर लेने के कारण पाकिस्तान सरकार उसे कार्यान्वित करने के लिए कुछ करेगी।

सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों के विषय में हम जोर देते हैं कि तटीय पोत भी इन को रखा करे; उन पर विशेष बोझ न हो जाए, अतः कुछ ढील रखी जाती है। दूसरे अपने नौपरिवहन उद्योग के नए होने के कारण अभिसमय के पूर्ण प्रवर्तन में कुछ देर लगेंगी।

रहा झंडे के विभेद का प्रश्न, विदेशी बन्दरगाहों पर सुविधाओं के सम्बन्ध में ऐसा कोई विभेद नहीं है; फिर इस सुकोमल विषय की विशेष चर्चा उलटे हम को ही प्रभावित करेगी। जब हमारे जहाज-मालिक और हमारी सरकार विदेशों से झंडे के विभेद की बात करेंगे, तो वे भी हम से वही चाहेंगे। कुछ शक्तिशाली नाविक-देशों से यह सिद्धान्त उठा था और उस के परिणामों को बिना समझे भारत में भी कुछ लोगों ने इसे उठाया है। यह हमारे साथ भेदभाव होने का प्रश्न नहीं, बल्कि हम विदेशी जहाज उद्योग की तुलना में अपने जहाज-उद्योग की जो सहायता करना चाहेंगे, उस की गलत व्याख्या है जिस से हमें बचना होगा। मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि विदेशी बन्दरगाहों पर सुविधाओं के विषय में भारतीय जहाजों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता और जहाज-मालिकों ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की है।

श्री दामोदर मेनन ने देशी जहाज़ों की बात करते हुए कहा कि मछलियोंवाले छोटे जहाजों को इस का अपवाद क्यों समझा जाता है। वे ५०० टन से हलके होने और सवारियों को न ले जाने के कारण पृथक् रखे गए हैं। चालू-जहाज-समिति ने देशी जहाजों की सुरक्षा के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं और समिति के सभापति उन पर कुछ सुधार कर रहे हैं।

मेरे माननीय मित्र ने त्रावणकोर कोचीन से नाविकों की भरती की बात कही। खलासियों के प्रशिक्षण के लिए दो केन्द्र विशाखापट्नम् और कलकत्ते में हैं। पहले में मद्रास, त्रावणकोर-कोचीन और बम्बई वासी लिए जाते हैं और दूसरे में अन्य राज्यों वाले और अधिकांशतः विस्थापित व्यक्ति लिए जाते हैं। सौराष्ट्र में एक तीसरा केन्द्र खोलने का विचार है, तब विशाखापटनम् में त्रावणकोर-कोचीन आदि दक्षिणी राज्यों से अधिक लोग लिये जा सकेंगे। त्रावणकोर-कोचीन में पृथक् केन्द्र खोलने का विचार नहीं है, क्योंकि उक्त तीन केन्द्रों से लगभग २००० प्रति वर्ष की संख्या पूरी हो जाएगी। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नम्बियार: श्रीमान्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा। क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंडल की पेरिस में हाल ही में समवेत होने वाली समुद्र-यातायात-समिति के सभापति सर एंडरसन ने 'भारतीय नौपरिवहन उद्योग' पर एक ऐसा रेडियो-भाषण नहीं दिया था, जिस से भारतीय उद्योग को बहुत दुख पहुंचा था। झंडे सम्बन्धी भेदभाव के विषय में माननीय मंत्री को कोई शिकायत न मिली हो, पर 'इंडियन शिपिंग' पत्रिका तक में यह असंतोष प्रकट किया गया है। क्या मंत्री को यह विदित है और क्या उन्हों ने इस विषय में कुछ किया है?

श्री अलगेशन: मेरे पास उक्त भाषण और भारत में तद्विषयक प्रतिक्रिया के

[श्री अलगेशन]

विवरण नहीं है, पर मैं आश्वासन देता हूं कि मैं इस पर ध्यान दूंगा ।

बाबू राम नारायण सिंह (हजारीबाग पश्चिम) : नाविक कैसे भरती किए जाते हैं; क्या राज्यों में भरती-केन्द्र हैं ?

श्री अलगेशन : राज्यों में भरती केन्द्र नहीं हैं, अधिकांश भरती बम्बई, कलकत्ते में और कुछ मद्रास में होती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : दो प्रशिक्षण केन्द्र हैं और भरती बन्दरगाहों पर होती है । प्रश्न यह है कि :

"लन्दन में दिनांक १० जून, १९४८ को हस्ताक्षरित समुद्रयात्रा में प्राण-रक्षा सम्बन्धी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय को कार्यान्वित करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन से भारतीय व्यापारिक नौपरिवहन अधिनियम, १९२३ के प्राणरक्षा-उपकरण और बेतार व रेडियो नाविक सहायता तथा उक्त अभिसमय से प्रभावित अन्य विषयों से सम्बन्धित उपबन्धों में संशोधन करने वाले विधेयक को विचारार्थ ग्रहण किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डों पर विचार करेंगे । मैं देखता हूं कि खण्ड १ से ३० तक कोई संशोधन नहीं है ।

खण्ड १ से ३० तक विधेयक का अंग बना लिये गये ।

खण्ड ३१—अन्तर्कालीन उपबन्ध

श्री अलगेशन : मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यह अभिसमय उन्नीस देशों के द्वारा जिन के जहाज चलते हैं स्वीकार कर लिया गया है तथा वह १९ नवम्बर १९५२ से कार्यान्वित हो गया है । चूंकि हम उस तिथि के पूर्व इस विधेयक को पारित नहीं कर सके, हम यह संशोधन कराना चाहते हैं ।

संशोधन किया गया ।

"पृष्ठ ११ की पंक्ति १६ व १७ में "the date of commencement of this Act" (इस अधिनियम की प्रारम्भ की तिथि) के स्थान में "the 19th day of November 1952" (नवम्बर १९५२ के उन्नीसवें दिन) इन शब्दों को आदिष्ट किया जाय । "

[श्री अलगेशन]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ३१, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ३१, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना लिया गया ।

शीर्षक तथा अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बना लिये गये ।

श्री अलगेशन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाय"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाय"

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : इस वाद विवाद में हस्तक्षेप करने का मेरा कोई विचार नहीं था परन्तु कुछ ऐसी बातों की ओर संकेत किया गया है, जिन के सम्बन्ध में और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है ।

सब से पहले मैं माननीय उपमंत्री द्वारा दिये गये उस आश्वासन की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिस में

उन्हों ने विश्वास दिलाया था कि हमारे नौ-परिवहन उद्योग में काम करने वालों के रहन-सहन की परिस्थितियों के सम्बन्ध में एक और विधि बनाया जायगा । मैं जानता हूं कि डाक्टरी परीक्षा के कुछ कट्टर नियमों को तुलनात्मक रूप से शिथिल करने के सम्बन्ध में सरकार ने जो कार्यवाई की है उस का कलकत्ते में स्वागत किया गया है परन्तु कुछ अन्य महत्वपूर्ण कठिनाइयां हैं जिन को दूर करना है ।

सिएटिल प्रथा की ओर संकेत किया गया है । इस के अनुसार डाक्टरी परीक्षा को कठोर बना दिया गया है परन्तु जहाज़ियों की सुविधाओं के सम्बन्ध में इस के जो प्रबन्ध हैं उन पर कोई विचार नहीं किया गया है । परन्तु मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने इस के सम्बन्ध में आश्वासन दिया है कि इन बातों से सरकार अनभिज्ञ नहीं है तथा निकट भविष्य में इस के उपाय किये जायेंगे ।

इस वाद विवाद में मेरे भाग लेने का एक और कारण है वह यह कि मेरे माननीय, श्री दामोदर मेनन ने उन अभारतीय नागरिकों की ओर संकेत किया है जो प्रधान रूप से हमारे इस नौपरिवहन उद्योग में भाग ले रहे हैं । इस में कोई सन्देह नहीं कि जहां तक हो सके भारतीय नागरिकों द्वारा ही हमारे पोतों का परिचलन होना चाहिये परन्तु कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कारणों से पाकिस्तानी नागरिक हमारे नागरिकों का एक बहुत बड़ा भाग हैं । उदाहरणार्थ कलकत्ते के बन्दरगाह में ८० प्रतिशत से अधिक नाविक पाकिस्तान से आते हैं । वे पीढ़ियों से इसी प्रकार जीवकोपार्जन हेतु कलकत्ता आते रहे हैं । उनके लिये पाकिस्तान या भारत के विभाजन एक कृत्रिम वस्तु है तथा जहां तक उन के कार्य का सम्बन्ध है वे स्वप्न में भी कभी विचार नहीं करते हैं कि अभारतीय नागरिक हैं । आजकल के भारत पाकिस्तान सम्बन्धों की दृष्टि से हमारे लिये यह ध्यान देने योग्य बात है ।

हमारे देश के विभाजन की इस हाल की घटना से वे चकित हैं तथा उनकी नौकरी सम्बन्धी साधारण परिस्थितियों में यदि हम कोई विघ्न उत्पन्न करेंगे तो यह व्यर्थ न केवल मानवता के दृष्टिकोण से ही वरन् भारत पाकिस्तान सम्बन्धों के भी दृष्टिकोण से अत्यन्त वाञ्छनीय होगा ।

इस के अतिरिक्त पीढ़ियों के अनुभव से इन व्यक्तियों ने नौकारोहण में ऐसा कौशल अर्जित किया है जिस का उदाहरण नहीं मिल सकता । जहां तक कौशलपूर्ण होने के साथ सस्ते होने का सम्बन्ध है मेरा विचार है कि वे संसार में अद्वितीय हैं । अतः यह लोग पुनः आश्वासन के अधिकारी हैं ।

इस समय पर इन के पासपोर्ट या विज़ा के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां हैं । इन्हें सी० डी० सी० नाम का कोई प्रमाणपत्र अभी मिलता रहा है जो अन्तर्राष्ट्रीय चलन में पासपोर्ट अथवा विज़ा के समान समझा जाता रहा है । परन्तु किसी विशेष जहाज़ में अपनी नौकरी की अवधि समाप्त करने के पश्चात् जब वे अपने निवासस्थान को चले जाते हैं तथा उस के बाद लौट कर भारत आने पर उन्हें जो कठिनाइयां भोगनी पड़ती हैं उन के सम्बन्ध में मैं ने सुना है कि एक अभ्यावेदन दिया गया है । कलकत्ते आने वाले इन पाकिस्तानी नाविकों को विज़ा मिलने में जो देरी होती है उस की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । हमारे नौपरिवहन उद्योग का सफल संचालन एक बड़ी सीमा तक इन पाकिस्तानी नाविकों पर निर्भर है । यह व्यक्ति केवल अपने जीवकोपार्जन के लिये कलकत्ता आते हैं । इन की दृष्टि में देश के विभाजन कोई वास्तविकता नहीं रखता है । हमें चाहिये कि जितना अधिक हो सके भार-

[श्री एच० एन० मुखर्जी]

तीय नाविकों को भर्ती करें पर हमें कोई ऐसा काय नहीं करना चाहिये जिस से इन अत्यन्त कौशलपूर्ण पाकिस्तानी नाविकों के विचारों में कोई भय उत्पन्न न हो। इस लिये मैं चाहता हूं कि सरकार हमारे उद्योग में कार्य करने वाले नाविकों के रहन सहन की परिस्थितियों के सम्बन्ध में अपने आश्वासन को पुनः दुहरावे तथा कोई ऐसा कार्य न किया जो हमारे बन्दरगाहों में कार्य करने वाले इन पाकिस्तानी नाविकों की सद्भावनाओं को ठेस पहुंचावे। मैं यह भी चाहता हूं कि सरकार उन कठिनाइयों को दूर करने के सम्बन्ध में इन्हें डाक्टरी परीक्षा तथा पासपोर्ट प्राप्त करने के सम्बन्ध में होती हैं आश्वासन दिलावे कि उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा ।

श्री नम्बियार : मैं उपमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या नाविकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में विशेषकर काम के घंटों के सम्बन्ध में क्या कोई व्यापक विधान प्रस्तुत किया जायगा ?

श्री अलगेशन : मैं सदन को बिना किसी संकोच के बता सकता हूं कि हम एक व्यापक विधान प्रस्तुत करने का विचार रखते हैं । मैं सदन को यह भी बता सकता हूं कि इस में सीटल अभिसमय के कुछ उपबन्ध भी शामिल होंगे। इस समय तो मैं यह नहीं कह सकता हूं कि हम इस सम्बन्ध में कहां तक जा सकेंगे परन्तु जब भी यह प्रस्तुत होगा तो माननीय सदस्यों को इस के परीक्षण के लिए काफी समय मिलेगा ।

जहां तक श्री एच० एन० मुखर्जी के सवाल का सम्बन्ध है यह एक परस्पर विरोधी बात जैसी लगती है। एक ओर वह यह चाहते हैं कि भारतीय प्रजाजनों को जहाजों में भरती करने में कोई विलम्ब न हो तथा दूसरी ओर वह पाकिस्तानी नाविकों को विस्थापित नहीं करना चाहते हैं । इन दोनों बातों का समन्वय करना कठिन है । निस्सन्देह इस बारे में चिन्ता प्रकट की गई है कि हमें अपने सारे नाविक भारतीय प्रजाजनों में से भरती करने चाहियें । हम भी इस बात के लिए उत्सुक हैं तथा इस उद्देश्य के लिए हम ने रंगरूटों के नाम सी० डी० सीज़ (निरन्तर सेवा मुक्ति प्रमाणपत्र) जारी किये हैं ताकि वह वापस आ सकें। बहुत से भूतपूर्व जहाज़ियों के नाम भी ऐसे नये प्रमाण पत्र जारी किये गए हैं ।

मैं ने कलकत्ता तथा विशाखापटनम् में खोली गईन ाविक प्रशिक्षण परियोजनाओं की ओर पहले ही निर्देश किया है। इन दो केन्द्रों से इस समय तक लगभग १९८२ व्यक्तियों ने ट्रेनिंग पाई है। हम इस प्रकार का और भी एक केन्द्र खोलने का विचार रखते हैं तथा शीघ्र ही हम लगभग २००० प्रशिक्षार्थियों को प्रति वर्ष तयार कर सकते हैं । वह धीरे धीरे विदेशी प्रजाजनों को प्रतिस्थापित करते रहेंगे ।

जहां तक प्रवास पत्रों का सम्बन्ध है मुझे सूचना दी गई है कि इस बारे में कोई कठिनाई नहीं। हम उन पाकिस्तानियों पर कोई अनावश्यक प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहते हैं जो कि हमारे जहाज़ों में काम करते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"यह विधेयक संशोधित रूप में पास किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संसद पदाधिकारियो का वेतन तथा वेतन भत्ता विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"संसद के कुछ पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्तों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को विचारार्थ ग्रहण किया जाये ।"

विधेयक सदन में पारित एक पुराने अधिनियम तथा मन्त्रियों के वेतन तथा भत्ता अधिनियम का अनुसरण करता है । स्थिति यह है कि संविधान की अनुच्छेद ९७ के अन्तर्गत लोक सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और राज्य परिषद के सभापति तथा उप-सभापति के वेतन तथा भत्ते संसद द्वारा नियम बना कर निश्चित हो सकते हैं, और जब तक उस सम्बन्ध में कोई ऐसा उपबन्ध न बने तब तक उन्हें ऐसे वेतन और भत्ते जैसे कि द्वितीय अनुसूची में दिये गये हैं, दिये जायेंगे । द्वितीय अनुसूची (भाग ग) के यथोचित भाग में कहा गया है कि :

"लोक सभा के अध्यक्ष तथा राज्य परिषद के सभापति को वही वेतन तथा भत्ते दिय जायेंगे जो इस संविधान के लागू होने के पूर्व तुरन्त भारतीय अधिराज्य में विधान सभा के अध्यक्ष को दिये जाते थे, और लोक सभा के उपाध्यक्ष तथा राज्य परिषद के उप-सभापति को वही वेतन तथा भत्ते दिये जायेंगे जो तुरन्त इस के पूर्व भारतीय अधिराज्य में विधान सभा के उपाध्यक्ष को दिये जाते थे ।"

इन उपबन्धों के अन्तर्गत अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, और सभापति तथा उप-सभापति के वेतन तथा भत्ते राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा निश्चित किये गये । अध्यक्ष का वेतन ३,००० रुपये प्रति मास निश्चित किया गया और ५०० रुपये का भोज-भत्ता तथा बिना किराये के सुसज्जित बंगला दिया गया । राज्य परिषद के सभापति को भी ऐसी ही सुविधा दी गई । उपाध्यक्ष तथा उप-सभापति सम्बन्धी उपबन्धों में भिन्नता है, स्वाभावत: जैसा कि पिछले प्रबन्ध के अन्तर्गत उपाध्यक्ष तथा उप-सभापति को १,५०० रुपये प्रति मास वेतन और वह भत्ता दिया जाता था जो उन्हें मिलता था, परन्तु उन्हें और कोई विशेष सुविधा नहीं दी गई ।

विधेयक में वर्तमान धारणा का रूप रेखण किया गया है । यहां मैं यह बता दूं कि जिस समय मन्त्रियों का वेतन ३,००० रुपये से घटा कर २,२५० रुपये किया गया था, तब लोक सभा के अध्यक्ष तथा राज्य परिषद के सभापति ने अपने वेतनों में स्वत: उतनी ही कमी कर ली जितनी कि मन्त्रियों के वेतन में की गई थी । अब सदन के समक्ष विधेयक में बताई गई स्थिति यह है कि अध्यक्ष राज्य परिषद के सभापति के वेतन मन्त्रियों के वेतन के बराबर होने चाहिएं और विशेष सुविधायें जो उन्हें बिना किराये का सुसज्जित बंगला तथा भोज-भत्ता देकर दी जाती हैं, जैसा कि केबिनेट के मन्त्रियों को दी जाती हैं, उन्हें दी जायेंगी । उपाध्यक्ष तथा उप-सभापति के सम्बन्ध में अब स्थिति यह है कि उन्हें २,००० रुपये प्रति मास वेतन दिया जायेगा और रहने के बंगले के सम्बन्ध में उन्हें वही सुविधायें दी जायेंगी जो मन्त्रियों तथा उप-मन्त्रियों और अध्यक्ष तथा राज्य परिषद् के सभापति को दी जाती हैं । परन्तु उन्हें भोज-भत्ता का अधिकार नहीं होगा । अन्य सुविधायें जैसे यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधायें, कार लेने के लिये ऋण आदि मन्त्रियों के वेतन तथा भत्ता अधिनियम, १९५२ का अनुसरण करती हैं ।

विधेयक की मेरे द्वारा और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्थिति काफी स्पष्ट है । माननीय सदस्यों को पहिले की स्थितियों तथा आजकल की स्थितियों का पूर्ण ज्ञान है । मैं देखता हूं कि कुछ संशोधन पटल पर रखे गये हैं । मैं समझता हूं कि आप संशोधनों को, जब मैं उन्हें स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाऊं, अनुमति देते हैं । परन्तु मैं नहीं चाहता कि संशोधनों के रखने में कोई प्राविधिकतायें उत्पन्न हों । मेरे माननीय मित्र श्री पुन्नूस द्वारा रखा गया एक संशोधन मेरे विचार से अनियमित है ।

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

माननीय सदस्य सुझाव देते हैं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति और उप-सभापति सब राजनीतिक दलों बिल्कुल सम्बन्ध तोड़ दें। मेरे विचार से यह बात यहां पर, उपयुक्त नहीं है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं विशुद्ध प्राविधिक कारण की आड़ नहीं लेना चाहता। इन संशोधनों के विचार से असहमत नहीं होना चाहता, यदि आप उस पर विचार करना उपयुक्त समझें। पर मैं नहीं समझता कि मैं उन में से किसी को स्वीकार कर सकूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :

"संसद के कुछ पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्तों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को विचारार्थ ग्रहण किया जाये।"

श्री पुन्नूस : मैं ने बड़े साहस के साथ इस विधेयक के सम्बन्ध में जो संशोधन रखा था उस पर माननीय मंत्री प्राविधिक आपत्ति उठाते हैं। इस अवसर पर मैं अपने संशोधन द्वारा अपने प्रजा तंत्रीय तथा संसदीय जीवन के पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। आशा है सदन उस पर विचार करेगा। मैं स्पष्ट कह दूं कि मैं किसी व्यक्ति, किसी घटना, या किसी बात का लांछनपूर्ण निर्देश करना नहीं चाहता हूं। मैं एक संविधानिक प्रश्न उठा रहा हूं कि संसद् के पदाधिकारी राजनीतिक दलबन्दी से पृथक रहें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांवा) : श्रीमान् एक औचित्य प्रश्न पर। इस विधेयक का सम्बन्ध वेतन और भत्तों से है। माननीय सदस्यों द्वारा उठाई जाने वाली बात संविधान बनते समय उठनी चाहिए थी। वह प्रस्तुत विधेयक क्षेत्र से बाहर है।

श्री पुन्नूस: मेरा निवेदन है कि संविधान संसद को वेतन और भत्तों का निर्णय करने की शक्ति देता है और संसद उन पदाधिकारियों की नियुक्ति के समय यह कह सकती है कि वह उन से यह आशा करती है कि इस में कोई सांविधानिक उलझन नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह सभापति या अध्यक्ष के पद के लिए एक अनहर्ता और बढ़ा देता है। इस प्रयोजन से एक पृथक विधेयक भले ही रखा जा सके पर यह प्रस्तुत विधेयक के क्षेत्र से बाहर है।

श्री पुन्नूस : माननीय मित्र की बात मैं समझ नहीं सका क्योंकि अभी किसी दल का सदस्य इन पथों के लिए खड़ा हो सकता है, पर एक बार चुने जाने के बाद उसे सभी दलों का सम्मान प्राप्त होगा तथा दल विशेष की सदस्यता को छोड़ देना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक इस औचित्य प्रश्न का सम्बन्ध है माननीय सदस्य कोई भी संशोधन रख सकते हैं। इस विशिष्ट संशोधन के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि यह किसी भी व्यक्ति के लिए अनहर्ता बन जाती है। यदि कोई सदस्य अवैतनिक रूप से काम करना चाहे तो वेतन ही के कारण किसी को आशंकित दल सम्बन्धी प्रचार से विरत नहीं किया जा सकता। यह उन का मूल्य कम लगाने वाली बात होगी। विद्यमान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वकील होने के नाते कुछ तो कमा ही सकते हैं फिर वह दल विशेष के विरुद्ध प्रचार क्यों करेंगे। यह स्वतन्त्र बात है कि जिस पर संविधान के बनते समय विचार नहीं किया गया था। यह तो ऐढ़ि द्वारा ही स्थापित किया जा सकेगा पर इस से सम्बन्धित होने के नाते मैं इस पर कोई निर्णय नहीं देना चाहता।

श्री गाडगिल (पूना-मध्य) : माननीय सदस्य अपनी पूरी बात कहें। कृपया इसे अनियमित नहीं ठहराइये क्योंकि इस में आप निजी

रूप से सम्बद्ध हैं। हमारे पास जोरदार उत्तर हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि और कोई सभापति है तो मैं उसे अध्यक्ष पद पर बिठा कर चला जाऊंगा, ताकि वह कोई विनिर्देश सुनाये। मैं तो यही कहूंगा कि इस प्रश्न को नहीं उठाया जाय। जब भी संशोधन की स्थिति आ जाय, तो और कोई माननीय सदस्य यानी सभापति, यह पद धारण करेंगे और विनिर्देश देंगे जिस से इस विषय पर उन का स्वतंत्र न्याय चलेगा।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल) : यदि आप उस माननीय सदस्य के लिये जिस ने अभी औचित्य प्रश्न उठाया, कुर्सी खाली करें तो उस औचित्य प्रश्न से सभापति के लिये भी इसी प्रकार की कठिनाई प्रस्तुत होगी।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अनुच्छेद ९७ के उपबन्ध अनिवार्य हैं। हो सकता है कि सदन एक रुपये का नाममात्र वेतन निश्चित करे। किन्तु यदि ऐसी बात न हो तो इस का यह अर्थ है कि अब जो दूसरी अनुसूची के अन्तर्गत हो रहा है वही आगे के लिये भी होगा। वह अनुच्छेद ९७ के अभिप्राय को ठुकरा तो नहीं सकते। वह यह कह कर उस में मिलावट कर सकते हैं कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति तथा उप-सभापति एक एक रुपया लेंगे। किन्तु उन्हें यह कहना पड़ेगा कि कोई नाममात्र वेतन होगा, ठोस नहीं होगा। यह तो कहना पड़ता है। इसे नकारात्मक भाषा में नहीं कहा जा सकता। मेरा विचार है कि मेरे मान्य मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा उठाया गया प्रश्न ठीक था।

श्रीमान्, जहां वेतन का कोई भी प्रश्न नहीं हो, वहां आप को मात्र परेशानी नहीं होगी। वस्तुतः प्रश्न यह है कि क्या अनुच्छेद ९७ को, जहां तक हमारा सम्बन्ध है, इन बातों का प्रतिनिधि समझा जाना चाहिये। और यदि हम वेतन निश्चित करने का अपना अधिकार प्रयोग में नहीं लाते, तो आगे के लिये भी यही बात रहेगी जो आज तक रही है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिस में अध्यक्ष की निजी बातों का कोई भी वास्ता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा निजी विचार यह है कि यदि सदन अथवा देश इस बात को चाहता हो तो इस अनर्हता को संविधान में स्थान मिलना चाहिये। और जहां तक संसद् द्वारा अनर्हता लगाने का, जब कि संविधान में इस प्रकार की कोई अनर्हता नहीं है, प्रश्न है, यह एक ऐसा मामला है जिस के लिये हमें प्रचार करना पड़ेगा।

अनर्हता के रूप में इसे उस विधेयक में उपप्रश्न के रूप में पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता। इस तरह और भी कई बातें कही जा सकती हैं कि अध्यक्ष दस भाषायें जानता हो, तथा औचित्य-प्रश्न तथा नियमों के सम्बन्ध में उस ने कोई परीक्षा पास की होनी चाहिये, आदि —और इन सभी पाबन्दियों को लगाया भी जा सकता है। प्रश्न यह है कि क्या वे बातें इस विधेयक से संगत हैं। स्वयं मैं इस अनर्हता को स्वीकार करने के पक्ष में हूं। सामान्य चर्चा के समय इस बात को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। संशोधनों के समय मैं इस बात पर विचार करूंगा कि क्या किया जाना चाहिये।

श्री पुन्नूस : श्रीमान्, इस स्पष्टीकरण के लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूं। श्री गाडगिल के शब्दों में मैं सदन को यही बतलाना चाहता हूं कि हमें इस प्रकार की कोई ऐसी परम्परा बनानी चाहिये जिस से संसद्-पदाधिकारी दलगत सम्बन्धों से स्वतन्त्र हों। इस मामले में हमारे पास हाऊस आफ कामन्ज का उदाहरण है। मैं यह नहीं कहता कि हम हाऊस आफ कामन्ज़ का अन्धानुकरण करें, किन्तु यहां ऐसी बात अवश्य होनी चाहिये जो अनुभव-सिद्ध हो। अब, इंगलैंड में शताब्दियों के बाद

[श्री पुन्नूस]

वहां की लोक सभा की यह स्थिति है, और अब इतने समय बाद वहां की सभा का अध्यक्ष दलगत राजनीति से बहुत ऊंचा है।

माननीय अध्यक्ष ने जिस रोज़ वह निर्वाचित हुये थे, यहां सदन में उन बातों की ओर निर्देश करते हुये और हमारी बधाइयों का उत्तर देते हुये यह कहने के कृपा की थी कि शताब्दियों के स्वतन्त्रता-संग्राम के बाद इंगलैंड की लोक सभा के अध्यक्ष को उसी प्रकार की पदस्थिति प्राप्त हुई है। इतिहास उन सारी बातों का साक्षी है, और वहां की जनता ने ही उसे इतना अधिकार दिया है। यदि लोकतंत्र की अन्य सभी बातें भी उस परम्परा के साथ रहीं तो वह निस्सन्देह एक आदर्श परम्परा होगी। तो उन्हों ने इस बात को स्वीकार किया कि हमें उसी आदर्श के लिये प्रयत्नशील होना चाहिये। श्रीमान्, मैं राज्य-परिषद् के सभापति के उन शब्दों को उद्धृत करता हूं जब उन्हों ने कहा था : "मैं किसी पार्टी का नहीं अतः सदन की प्रत्येक पार्टी का हूं। मैं यही प्रयत्न करूंगा कि संसद् लोकतंत्र की परम्परा बनी रहे और मैं किसी के प्रति द्वेषरहित तथा प्रत्येक के प्रति सद्भावना सहित, हर एक पार्टी के साथ सच्चा तथा निष्पक्ष व्यवहार करूंगा।"

इस के बाद वह हाऊस आफ कामन्ज की स्थिति समझते हुये दोनों सरकार तथा विरोधी दल से इस प्रकार का आचरण रखने को कहते हैं जिस से इस देश में स्वस्थ लोकतंत्र का पेड़ पनपने लगे। मुझे यहां और इंगलैंड के उपाध्यक्ष की स्थिति में कोई अन्तर दीखता है। ठीक तौर पर, इंगलैंड के हाऊस आफ कामन्ज में इस प्रकार का कोई भी पदाधिकारी नहीं जिसे उपाध्यक्ष (डिपुटी-स्पीकर) कहा जाता हो। वहां वेज़ एण्ड मीन्ज़ कमेटी का चेयरमैन होता है जो डिपुटी स्पीकर का कार्य करता है। और मे की पार्लामेंटरी प्रैक्टिस के अनुसार वह तभी कार्य करता है जब वहां का स्पीकर (अध्यक्ष) अनुपस्थित हो। स्थायी आदेश संख्या ९६ के अनुसार वहां का स्पीकर वेज़ एण्ड मीन्ज़ के चेयरमैन को अपनी जगह पर कार्य करने का अधिकार प्रदान करता है किन्तु ऐसे करने से पहले स्थायी आदेश संख्या २९ और ३१ के अन्तर्गत स्पीकर की अनुपस्थिति की घोषणा की जानी चाहिये।

वहां का स्पीकर सदन को बताये बिना अध्यक्ष पद छोड़ कर चला जा सकता है किन्तु जिस समय वेज़ एण्ड मीन्ज़ कमेटी का चेयरमैन अध्यअ पद पर बैठने के लिये आता है तो सभी के सार्जेन्ट या क्लर्क को इस बात की घोषणा करनी चाहिये कि किन्हीं अनिवार्य कारणों से स्पीकर उपस्थित नहीं हो सके, तभी डिपुटी-स्पीकर अध्यक्ष पद पर बैठ सकता है। इस घोषणा से पहले वह कई महत्वपूर्ण मामलों पर विनिर्णय भी नहीं दे सकता। किन्तु यहां इस प्रकार के प्रतिबन्ध नहीं हैं। यहां तो उपाध्यक्ष जी उतना ही विश्वसनीय है जितना अध्यक्ष महोदय। अतः इस सभा के उपाध्यक्ष और हाऊस आफ कामन्ज के डिपुटी स्पीकर की तुलना करना असंगत है।

कुमारी आनी मस्करीन (त्रिवेन्द्रम्) : क्या हमें अंग्रेज़ी विधान का इतना अन्धानुकरण करना है ?

श्री वैलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : यह एक अधिक अच्छी व्यवस्था हो सकती है।

श्री पुन्नूस : मुझे निश्चय है कि और आगे चल कर इस पर अधिक प्रकाश पड़ेगा। अतः, हमें इन पदाधिकारियों पर विश्वास करना पड़ेगा। प्रारम्भ में हाऊस आफ कामन्ज के स्पीकर की स्थिति सम्राट् के नामनिर्देशित पदाधिकारी या डिपुटी की थी, किन्तु उस में भी धीरे धीरे परिवर्तन

होने लगा । आजकल वह सदन के सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों का संरक्षक है, और उसे सभी दलों से अलग रखा जाता है। और यहां के माननीय सदस्य का कहना है कि हमारी संसद् का वही आदर्श होगा। मैं आशा करता हूं कि स्पीकर तथा डिपुटी स्पीकर के पदों में इस प्रकार कोई भी अन्तर नहीं होगा। किन्तु मैं यह अनुभव करता हूं कि इस धारणा और वास्तविक व्यवहार में अन्तर है। हो सकता है कि इस में किसी का दोष न हो, लेकिन यह बात तो है ही, और अब यह हमारा काम है कि धारणा और वास्तविक व्यवहार को एक स्तर पर ले आयें। माननीय अध्यक्ष ने बधाइयों का उतर देते हुए एक और बात भी कही थी : "अभी हमें राजनीतिक दलों और स्वस्थ अभिसमयों को जन्म देना है....." और "इस दृष्टिकोण से तथा मेरी अपनी विचारधारा के अनुसार मैं उस भारतीय कांग्रेस से अलग नहीं हो सकता, जिस के झण्डे के नीचे मैं ४० वर्ष तक सेवा करता रहा। अतः एक मैं इसी तरह एक कांग्रेसी हूं जिस तरह कोई हिन्दू, मुसलमान या पारसी होता है--और जहां तक राष्ट्रीय प्रश्नों का सम्बन्ध है, उस व्यक्ति के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह भारतीय है।"

ऐसे स्थल पर एक कठिनाई आती है। वह यह है कि इस संस्था जिसे इण्डियन नेशनल कांग्रेस (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) कहा जाता है और उन की ओर से काम करने वाली पार्टी के बीच क्या सम्बन्ध है? यही बात हमारी समझ में नहीं आती। मैं आप को माननीय प्रधान मंत्री--सदन-नेता--के कई एक ऐसे वक्तव्य दिखा सकता हूं जो उन्हों ने प्रधान मंत्री तथा कांग्रेस-अध्यक्ष के नाते दिये हैं, और यह कहा है कि कांग्रेस एक पार्टी बन रही है, और अब वह आन्दोलन से दूर होता जा रहा है। सभी बातों में आजकल भारतीय नैशनल कांग्रेस देश की शासक पार्टी है, और अध्यक्ष जी कहते हैं कि मैं भी अपनी पुरानी विचार धारा के अनुसार और सोच-विचार के बाद कांग्रेस से बाहर नहीं रह सकता। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या एक कांग्रेस-सदस्य के लिये उस के कार्यक्रम तथा उद्देश्यों का झण्डा ऊंचा करना उस का एक कर्तव्य नहीं है। और यदि ऐसी बात है तो मुझे इस में सन्देह लग रहा है कि अध्यक्ष जी अपने कर्तव्यों से भाग नहीं सकते।

इस के पश्चात्, हम ने अभी उस दिन उपाध्यक्ष जी के सम्बन्ध में पढ़ा था कि वह कांग्रेस की संसद् पार्टी की कार्यपालिका समिति में निर्वाचित हुये हैं। मेरे पास इस संसद् पार्टी के संविधान की एक प्रति है और कार्यपालिका समिति के कई विशेष कार्य हैं। इस समिति के केवल कई एक गिने-चुने कर्मठ सदस्य ही रहते हैं तो पार्टी के हर पहलू में साथ रहते हैं। कार्यपालिका समिति के कई एक कार्य हैं जिन का विशिष्ट रूप से यहां उल्लेख किया गया है। कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा निर्वाचित पन्द्रह सदस्य लोक सभा के सदस्य हैं और कांग्रेस पार्टी द्वारा निर्वाचित छः सदस्य संसद् में कांग्रेस पार्टी की कार्यपालिका समिति बनायेंगे। यह भी बतलाया गया है कि कार्यपालिका समिति को इस बात का अधिकार प्राप्त होगा कि वह भारत-संसद् में किसी भी सदस्य द्वारा पुरःस्थापित अथवा पुरःस्थापित किये जाने वाले प्रस्तावों, संशोधनों या विधेयकों की जांच करेंगे, और कांग्रेस की नीति तथा कार्यक्रम के अनुसार या विरुद्ध उस को स्वीकार या अस्वीकार करेंगे अथवा उस में रूपभेद करेंगे। तो यहां भी आप ने देख लिया होगा कि यह पार्टी की नीति तथा उस के कार्यक्रम के अनुसार सभी कुछ कर लेंगे। माननीय उपाध्यक्ष के लिये यह अनिवार्य है कि वह कार्यपालिका समिति के सदस्य के नाते हर एक प्रस्ताव, संशोधन तथा विधेयक एवं संकल्प पर अपना न्याय सुनाये। अब

[श्री पुन्नूस]

आप ही बताइये कि क्या इस तरह सदनोचित विष्यक्षता से काम लिया जा सकता है।

स्थिति यह है कि हमारे देश में अभी बहुत सी ऐसी समस्यायें हैं, जो ब्रिटिश पार्लामेंट को शताब्दियों तक भी कभी देखनी नहीं पड़ीं। हमें समस्याओं का सामना करने को कहा जाता है। पार्टी के झगड़ों और वर्गगत झगड़ों की बातें भी हमारे सामने आई हैं। तो ऐसी स्थिति में, इस देश में लोकतंत्रात्मक आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिये, और इतने महंगे लोकतंत्र को सुरक्षित करने के लिये हमें अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद से यह विश्वास प्राप्त होना चाहिये कि किसी भी क़ीमत पर अन्याय नहीं होगा। हम आप के पास आते हैं, और मंच पर आप से बात कर लेते हैं। किन्तु, श्रीमान्, जब कांग्रेस पार्टी के सचेतक मंच पर चढ़ जाते हैं तो मैं कांपता हूं क्यों कि वह उसी पार्टी के सचेतक हैं जिस पार्टी के सदस्य उपाध्यक्ष जी भी हैं। क्या ऐसी स्थिति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये ?

हम ने आप को बहुत निकट से देखा है, और कभी कभी मैं ने यह भी अनुभव किया है कि संसार में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद ऐसे हैं जो बहुत ही अधिक अवाञ्छनीय हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कभी भी अवाञ्छनीय नहीं कहे जा सकते।

श्री पुन्नूस: मैं उपाध्यक्ष जी के पास प्रायः गया हूं, और मैं अपना काम कहे बिना ही उन के कमरे से बाहर आया हूं, क्यों कि मैं देखता रहा हूं कि वह समस्याओं और सदन-कार्य-सूची से प्रायः परेशान रहते रहे हैं। सदन को उन के समय का उपयोग करने का पूरा पूरा अधिकार है। श्रीमान्, मैं क्षण मात्र के लिये भी इस बात को ठीक नहीं समझता, और अनुभव करता हूं कि उन की इतनी बड़ी पदस्थिति को सत्तारूढ़ दल ने किस ढंग से प्रयुक्त किया है। मैं सिद्धान्त तथा व्यावहारिक आवश्यकता पर अपने इस प्रश्न को आधारित करता हूं। सिद्धान्त की दृष्टि से इसलिये, क्योंकि आप कहते हैं, कि साम्यवादियों को संसदीय लोकतंत्र में कोई श्रद्धा नहीं, और वे लोकतंत्र-वादी नहीं हैं, और यह कि अन्य पक्ष में आप अजीब लोकतंत्रवादी हैं। (एक माननीय सदस्य : अजीब ?) हां। आप को चाहिये कि इन श्रद्धाहीनों में श्रद्धा पैदा करें। मैं सचेतकों की बात को नहीं उठाता। अतः यह असम्भव है कि अध्यक्ष जी तथा उपाध्यक्ष जी किसी पार्टी के सदस्य होते हुये, संसद् का कार्य भी कर लें।

श्री के० सी० सोधिया (सागर) : श्रीमान्, मुझे दो मिनट दिये जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले श्री गाडगिल को बुलाऊंगा, उन के बाद अन्य सदस्यों को।

श्री गाडगिल (पूना मध्य) : मैं ने अपने सहयोगी का भाषण सुना है, और मैं समझता हूं कि वह मुझ से इस बात में सहमत होंगे कि सामान्य चुनावों में जब कोई पार्टी बहुमत से निर्वाचित होती है, तो उस से कई एक राजनीतिक तथा संसदीय परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि सदन में के आचरण के नियमों तथा संविधान के अनुसार पार्लामेंट के कई एक पदों के लिये चुनाव किया जाने वाला हो तो उस में यह सर्वविदित बात होती है कि बहुमत का विशेष राजनीतिक दलसे सम्बन्ध होता है। और यदि आप कोई ऐसा प्रस्ताव रखेंगे कि यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद पर का कोई उम्मीदवार किसी विशेष पार्टी का है तो उसे निर्वाचन लड़ने नहीं दिया जाय, अथवा यदि चुना भी गया, तो उसे वह नहीं दिया जाय, (कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं) अथवा, इस प्रकार का कार्य करने के बदले, वह उस विशेष पार्टी के स्तीफा दे दे.....

श्री पुन्नूस : श्रीमान्, क्या मैं अपना स्पष्टीकरण दूं ?

श्री गाडगिल : बात इस प्रकार है कि मान लीजिये मेरा मोटर चलाने वाला अपना काम अच्छी तरह से करता है, किन्तु क्या मैं उसे इसीलिये नौकरी से निकाल दूं कि वह मज़दूर-संघ अथवा साम्यवादी पार्टी का सदस्य है । कितनी ही बेहूदा बात है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : औचित्य के प्रश्न के सम्बन्ध में मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य की मोटर चलाने वाले और अध्यक्ष की यह तुलना ठीक है ?

श्री गाडगिल : खेद है कि मेरे मित्र मज़ाक को नहीं समझते । इंगलैंड में स्पीकर को जो भी गौरव प्राप्त हुआ है, वह कोई एक दिन की बात नहीं। हमारी भी अपनी परम्परा और यहां का संविधान बनने में भी समय लग चुका है । यहां भी ऐतिहासिक परम्परा है । इस संसद् के बनने से पहले एक केन्द्रीय सभा थी, और उस के सभापतित्व अथवा उप-सभापतित्व के चुनाव के लिये राजनीतिक बातों को विचार में रखा जाता था । देखना यह होता था कि क्या वह मनुष्य जो इस ऊंचे पद पर पहुंचे, सदन में व्यवहार-आचरण में निष्पक्ष अथवा अनिष्पक्ष है । और जहां तक मैं ने अपने मित्र को समझा है, वह यही बताना चाहते हैं कि पदप्राप्ति के बाद कर्तव्य और हितों के कारण कोई संघर्ष न हो ।

श्री पुन्नूस : यहां तो कर्तव्य के मुकाबले में कर्तव्य आता है । और वह कर्तव्य भी क्या है :—कांग्रेस पार्टी की कार्यपालिका का सदस्य होते हुए वह उपाध्यक्ष भी है, अतः हमेशा इन दो पदों और इन से जनित ज़िम्मेदारियों की टक्कर होती है ।

श्री गाडगिल : किसी दल का व्यक्ति होने के नाते हित । मैं तो यही समझा ।

बाबू रामनारायण सिंह (हज़ारीबाग पश्चिम) : किसी भी पार्टी का आदमी हमेशा उसी पार्टी का रहेगा, और पार्टीबाज़ी की बातें करेगा ।

श्री गाडगिल : इंगलैंड और भारत की प्रथा की तुलना कीजिये । क्या हमारा अध्यक्ष बिना प्रतियोगिता के निर्वाचित हुआ था ? साधारण निर्वाचन में भी इन का विरोध हुआ था । इंगलैंड में यह प्रथा कि यदि पद से मुक्त होने वाला अध्यक्ष पुनः चुनाव लड़ना चाहे तो उस का विरोध नहीं किया जाता । उसे अध्यक्ष चुना जाता है । यहां क्या हुआ ? आम चुनावों में विरोध किये जाने के बाद वह निर्वाचित होकर आया । और जब बहुमत वाली पार्टी ने ठीक ढंग से उस का नाम रखा, तो पुनः उस का विरोध हुआ । अब, आप ठीक ढंग से इंगलैंड की परम्परा की सारभूत बातों का अनुसरण न करते हुये ऊपर वाली बातों का अनुकरण करना चाहते हैं। मैं आप से सहमत हूं कि आप संसदीय परम्परा के लिये ही इतना कुछ करना चाहते हैं, किन्तु परम्परा ऐसी चीज़ है जो आंख की पलक में नहीं बन सकती । इस में समय लगता है, और क्षणिक भावनाओं या उद्गारों पर की चर्चा आदि के बाद ही, ऐसी बातें ठण्डे दिमाग़ से हो पाती हैं । मैं अध्यक्ष जी को १९४६–४७ से जानता हूं और मुझे मालूम है कि मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भी इस सदन को और यहां की कार्यवाही को निष्पक्ष बताया है ।

श्री पुन्नूस : यह सब कुछ उस व्यक्ति के गुणों के कारण हुआ है, व्यवस्था के कारण नहीं ।

श्री गाडगिल : चुनाव हुआ । मुझे जहां तक विरोधी दल के और कई अन्य सदस्यों का ज्ञान है, अन्य बातों के बावजूद भी उन का यही विचार है कि अध्यक्ष जी बिल्कुल निष्पक्ष हैं । और वे इस में श्रद्धा भी रखते

[श्री गाडगिल]

हैं । अब, आप ही बताइये कि १५-३० वर्षों की विचारधारा को एक साथ छोड़ना कितना कठिन है । कपड़े बदलने से खाल का रंग तो नहीं बदलता । कोई पद संभालने से आप की राजनीतिक विचारधारा नहीं बदलती । इस की परीक्षा यों ली जा सकती है कि इस पद से क्या क्या आशायें की जाती हैं, और वह सदन का काम किस तरह चला सकता है । यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्हों ने हर कोई काम संतोषजनक ढ़ंग से किया है, तो ठीक है, और जहां तक इस सदन के अध्यक्ष का प्रश्न है, हम सभी इस बात से सहमत हैं कि उन्हों ने अपना काम बहुत अच्छी तरह निभाया है ।

अब उपाध्यक्ष पद की बात लीजिये । कांग्रेस पार्टी के संविधान को ही नहीं अपितु किसी अन्य पार्टी के विधान को भी उस पार्टी के सदस्य स्वीकार करेंगे यदि ऐसा प्रश्न प्रस्तुत हो जाये । सचेतकों से कोई भी अन्तर नहीं पड़ता , देखना यह होता है कि अध्यक्ष पद पर बैठते हुए भी क्या वह कांग्रेस पार्टी के सचेतक से सदन के कार्यसंचालन में प्रकाशित होता है, और यदि हां, तो कैसे । यह भी देखना होता है कि सचेतक कहीं उन्हें यह तो नहीं बताता कि अमुक प्रस्ताव या विधेयक को रोका जाये , या अमुक सदस्य को बोलने नहीं दिया जाये । (अन्तर्बाधा) । कार्यसंचालन नियमावली में अध्यक्ष जी के आचरण को परिनियत किया गया है, और मेरी निजी आपत्ति तो यह है कि उपाध्यक्ष महोदय, जो इस समय उपाध्यक्ष पद पर हैं, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के विरुद्ध हैं (अन्तर्बाधा) ।

श्री पुन्नूस : श्रीमान्, औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं कि क्या यह कहना उचित है कि उपाध्यक्ष जी ने कांग्रेस पार्टी के साथ अनुचित व्यवहार किया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस विषय पर भावरहित विचार कर रहे हैं, और श्री पुन्नूस द्वारा पूछा गया प्रश्न दो बातों पर आधारित है । इस से कदाचित संदेह पैदा हो । अतः उस को दूर किया जाना चाहिये । और दूसरी बात यह है कि व्यक्तिगत बातों पर विचार करना शायद रुचिकर हो । ठीक है कि माननीय सदस्य मुझे स्नेह करते हैं किन्तु इस से और विवाद पैदा हो सकता है । मैं चाहता हूं कि आप मुझे मेरा निजी निदश न करें । जहां तक इस विवाद का प्रश्न है हमें व्यक्तिगत बातों को छोड़ कर चलना चाहिये । अब यह प्रश्न है कि क्या यह संगत है । मैं इस बात को सदन पर ही छोड़ देता हूं ।

मैं और माननीय सदस्यों को भी इस प्रश्न पर बोलने की सहूलियत दूंगा ताकि इस बात पर पूरा पूरा विमर्श हो कि क्या इस अर्हता को रखा जाना चाहिये और इस विधेयक पर के विवाद का एक अंग माना जाना चाहिये । जहां तक साधारण सिद्धान्तों का प्रश्न है, आप हाऊस आफ कामन्ज के साथ इस की तुलना कर सकते हैं, लेकिन मैं आप से यह प्रार्थना करूंगा कि आप मेरा कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं जतायें । यह इस समय के लिये ही नहीं अपितु सदा के लिये है । अतः माननीय सदस्य निष्पक्ष तथा तटस्थ रूप से इन सिद्धान्तों पर बहस करेंगे ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : सिद्धान्तों पर बहस करने के लिये हमें कई तर्क देने पड़ेंगे । यदि हमें ठोस रूप से आप का आचरण सिद्ध करना हो तो क्या हम तथ्यों की ओर निर्देश नहीं कर सकते ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे आचरण को जाने दीजिये । अब हम लोक सभा के अध्यक्ष

अथवा राज्य-परिषद् के सभापति के वेतन के सम्बन्ध में भी विचार करेंगे । आप चाहें तो, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति अथवा उपसभापति के लिये कोई भी शब्द कह सकते हैं किन्तु हमारा सम्बन्ध इस प्रश्न से है कि उस पर कहां तक पार्टी का प्रभाव पड़ेगा । अतः ऐसी बातों में बुरे या भले शब्दों की बौछार असंगत है ।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : श्रीमान्, मैं आप से सहमत हूं कि इस विषय पर अवैयक्तिक ढ़ंग से बात चीत होनी चाहिये, किन्तु अध्यक्ष पद पर से दिये गये वक्तव्य से ही अध्यक्ष पद की स्थिति और हमारे देश की राजनीति के सम्बन्ध में यह भी प्रश्न पैदा हुआ है । अब, श्रीमान्, यह एक ऐसा विषय है जिस पर अवैयक्तिक ढ़ंग से चर्चा की जा सकती है, और संभव है कि उस सिलसिले में हमें इस बात का उदाहरण देना पड़े कि सदन में उनका आचरण कैसा रहा । और जहां तक सदन में अध्यक्ष के आचरण का प्रश्न है, हमें विशिष्ट निर्देश नहीं करना चाहिये । इन बातों में मैं आप से सहमत हूं किन्तु जहां तक अध्यक्ष की स्थिति और उन के मुकाबले में इस देश के राजनीतिक जीवन के साधारण प्रश्न का सम्बन्ध है, और जहां तक संसदीय कार्यवाही के सामान्य संचालन पर इस सदन के अध्यक्ष के वक्तव्य की प्रतिक्रिया का प्रश्न है, मेरा यह निवेदन है कि हमें उन बातों के बताने का अधिकार है जो चर्चा के अधीन विधेयक से सम्बद्ध है, और हम अपने संसदीय ठाठ में अध्यक्ष का काम बता सकते हैं, और उन के वेतन आदि पर भी विचार कर सकते हैं ।

श्री गाडगिल : श्रीमान्, मैं यह कह रहा था कि कसौटी यह है कि उपाध्यक्ष से किस कार्य की आशा की जाती है और वह कार्य उचित ढ़ंग से किया जा रहा है अथवा नहीं । यदि आप इस बात पर जोर देते हैं कि उसे उस दल से त्याग पत्र देना चाहिये जिस का कि वह सदस्य है, तो आप बहुसंख्यक दल को दण्ड दे रहे हैं । आप बहुसंख्यक दल को उस अधिकार से वंचित कर रहे हैं ।

फिर इस बात पर भी विचार करना है कि यदि मेरे माननीय मित्र द्वारा दिया गया सुझाव स्वीकृत कर लिया गया तो उस के परिणाम क्या होंगे । वह खंडकाल पदाधिकारी हो सकता है, अध्यक्ष की भांति सर्वकाल पदाधिकारी नहीं । यदि वह खंडकाल पदाधिकारी है और उसे पर्याप्त राशि न दी जाये तो क्या वह अन्य सब चीजें, अन्य सब सुविधायें जो कि किसी विशिष्ट राजनीतिक दल के सदस्यों को मिलती हैं, त्याग दें ? केवल इसीलिये कि आप विरोधी दल में हैं इस प्रकार की बातें मत कीजिये । एक वृहत्तर दष्टिकोण अपनाइये । हम सब को इस बात पर सहमत हो जाना चाहिये कि कुछ प्रथायें विकसित की जानी हैं और इन प्रथाओं की अपेक्षा है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को कार्य संचालन में पूर्णतया निष्पक्ष होना चाहिये ।

पंडित के० सी० शर्मा (जिला मेरठ-दक्षिण) : मैं ने विरोधी ओर से साम्यवादी सदस्य श्री पुन्नूस का भाषण बड़े ध्यानपूर्वक सुना है और उस पर मुझे बड़ा आश्चर्य है : इस विधेयक का विषय बहुत साधारण है । यह वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में है न कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के व्यवहार सम्बन्धी नियम-निर्धारण के सम्बन्ध में । इसलिये इस दष्टिकोण से उन की सभी बातें असंगत हैं । इस विधेयक का इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है कि अपना चुनाव होते ही वे अपने दल के नियमों का पालन करें या न करें और स्वयं को उस दल से बिल्कुल अलग कर लें ।

कांग्रेस दल सन् १९३७ में विभिन्न प्रान्तों में सत्तारूढ़ हुआ और एक प्रान्तीय विधान

[पंडित के० सी० शर्मा]

सभा के एक महान अध्यक्ष बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन यहां मौजूद हैं। उन की प्रशंसा में नवाब छतारी ने यह शब्द कहे थे कि उन के लम्बे कैरियर में उन की निष्पक्षता पर संदेह करने का कभी भी कोई कारण उत्पन्न नहीं हुआ। अन्य प्रान्तों में भी कांग्रेस जन अध्यक्ष पद पर विद्यमान थे। ये अपने दल के सदस्य रहे आए और फिर भी उन की निष्पक्षता के सम्बन्ध में कभी कोई प्रश्न नहीं उठा।

मैं यह बतलाना चाहता हूं कि न्यायालय अवमान के सम्बन्ध में एक उपबन्ध है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने विरुद्ध किये गये अपराध पर स्वयं दंड दे सकता है। किन्तु आज तक किसी न्यायाधीश की निष्पक्षता पर आंच नहीं लाई गई कि उस ने गलत निर्णय दिया क्योंकि अपराध स्वयं उस के विरुद्ध किया गया था। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वैयक्तिक झुकाव और अध्यक्ष-पद के कर्त्तव्य में अंतर है। उस पद की अपनी परम्परा होती है, अपनी प्रथायें होती हैं, पूर्व दृष्टान्त होते हैं। अपना कर्त्तव्य पालन करते समय ये सब उस के मस्तिष्क में रहते ह और वह अपना भाग पूर्ण न्याय के साथ अदा करता है। इसलिये यह कहना बड़ी गलत चीज है कि उसे चुने जाने के बाद उस दल से त्याग-पत्र दे देना चाहिये जिसने कि उसे चुना है। फिर, हमारे वर्तमान अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष आज ही तो नहीं चुने गये हैं। वे वर्षों से अपने इस कर्त्तव्य का पालन कर रहे हैं और कभी कोई पक्षपात करने का सवाल नहीं उठा। इसलिये मैं समझता हूं कि अपने चुनाव के पश्चात् उन के पार्टी से त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : मैं श्री गाडगिल के उत्तर में कुछ शब्द कहना चाहती हूं। मैं उन का तात्पर्य ठीक प्रकार नहीं समझ सकी जब कि उन्हों ने यह कहा कि हम बहुसंख्यक दल के अधिकारों पर आक्रमण करने का प्रयत्न कर रहे हैं क्यों कि मैं समझती हूं कि समस्त मामले को इस प्रकार बहुत गलत तरीके से रखा जा रहा है। हमने जो कुछ कहा है, इस सदन के प्रत्येक व्यक्ति को निश्चय ही उस दल में रहने का अधिकार है जिस के द्वारा कि वह चुना गया है। किन्तु अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष चुने जाने पर इस बात का पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिये कि किसी विशिष्ट राजनीतिक दल से वह घनिष्ठ रूप सम्बन्ध न हो। मैं समझती हूं कि इस में बहुसंख्यक दल के अधिकारों पर आक्रमण करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

अब मैं अन्य बातों पर आती हूं। जब कि अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष किसी दल के व्यवस्थातंत्र में कार्यपाली स्थान पर चुन लिया जाता है तो उस के लिये अपने कार्य में संतुलन रखना कठिन हो जाता है। उदाहरणार्थ, कांग्रेस दल की कार्यपालिका को भारत संसद् में प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त प्रस्तावों, संशोधनों अथवा विधेयकों को अपने कार्यक्रम तथा कांग्रेस की नीति के अनुकूल या प्रतिकूल होने के अनुसार स्वीकृत करने, संशोधित करने या अस्वीकृत करने का अधिकार है। यदि उसे केवल इसी मापदंड पर आंका जाता कि वह संसद् के नियम के अनुकूल है या नहीं तब तो यह बिल्कुल ठीक था। किन्तु जब किसी प्रस्ताव पर आप ने पहले से ही अपने विचार निर्धारित कर लिये गये हैं कि वह कांग्रेस के कार्यक्रम तथा नीति के अनुकूल है या प्रतिकूल तब मैं समझती हूं कि उस पद को निर्णय के रूप में ग्रहण करना सही नहीं है। इसी लिये हमारा यह कहना है कि किसी दल में कार्यपाली स्थान पर होना और उसी के साथ साथ अध्यक्ष का निष्पक्ष-रूपेण पद धारण करना संभव नहीं ह।

तो यह विधेयक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के लिये इस प्रकार की राशियों तथा सुविधायें उपलब्ध करने के विशिष्ट प्रयोजन से लाया गया है कि वे इस सदन की उच्चता तथा प्रतिष्ठा के अनुरूप रह सकें। किंतु प्रतिष्ठा कोई स्वयं वस्तु नहीं है। इस प्रतिष्ठा को हमें उस प्रतिष्ठा की पृष्ठभूमि में देखना चाहिये जो कि हम जनसाधारण के लिये प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उन लोगों के लिये जो कि प्रारम्भिक मानव अधिकारों के लिये संघर्ष कर रहे हैं, दिन में दो पूरी खुराक पाने के लिये संघर्ष कर रहे हैं, भूखे और नंगे किसानों के लिये। इस सदन की प्रतिष्ठा से भी ऊपर इस राष्ट्र की प्रतिष्ठा है। मैं यह नहीं कह सकता कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को गांव के किसान अथवा शहर के मजदूर के समस्तर पर ले आया जाये। किंतु उन्हें अंग्रेजी जमाने के वायसराय का परिषद के सदस्यों की भांति बना देना भी ठीक नहीं है। हमें बीच का मार्ग अपनाना है। हमें प्रतिष्ठा वाली बात पर बढ़ती हुई बेकारी, शरणार्थियों के त्याग और इस सन्दर्भ में सोचना है कि देश की प्रति व्यक्ति औसत आय २५रु० प्रति मास है। मैं यह नहीं कहता कि अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष महोदय को भी उतना ही मिले। उन्हें उस से २५ गुना लेने दीजिये। किन्तु हम चाहते हैं कि यह बात भी विचारगत की जाये। हम अध्यक्ष को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उन का आधारभूत वेतन जनता से सामान्य स्तर से, उस की गरीबी से, हम उस से जो त्याग चाहते हैं उस से मेल खाता हुआ होना चाहिये। आप कहते हैं कि हम अध्यक्ष को २५०० रु० प्रति मास दे रहे हैं जो कि अस्थायी संसद् के अध्यक्ष के वेतन से कम है। किन्तु यदि आप अन्य भत्तों और सुविधाओं जैसे मकान, बिजली, पानी इत्यादि की तो वास्तविक राशि ४००० रुपये प्रति मास से कम नहीं आयेगी। आप ५०० रु० का जो आतिथ्य भत्ता दे रहे हैं वह बहुत अधिक है। इसे कम करना चाहिये।

एक बात मुझे चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं के विषय में कहनी है। यह बिल्कुल ठीक है कि हम सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधायें दें, अवश्य देनी चाहियें। किन्तु इस में बड़े और छोटे अधिकारियों के मध्य भेद भाव क्यों किया जाये? उदाहरणार्थ हम जानते हैं कि रेलवे में अभी हाल में श्रेणी ३ के कर्मचारियों को रेलवे अस्पतालों में चिकित्सा कराने से वंचित कर दिया गया है। किन्तु बड़े लोगों को बड़े वेतन वालों को यह सुविधा हम दे रहे हैं। वर्ग-वर्ग के मध्य भेद भाव नहीं किया जाना चाहिये सब को एक सी सुविधायें प्राप्त होनी चाहियें।

आप कारें रखते हैं, ठीक है। आप को अपनी यात्रा का भी खर्च नहीं करना पड़ता। आप के क्षमतापूर्ण कार्यकरण के लिये हम सब कुछ आप को देने को तैयार हैं। लेकिन आप को भी तो लोगों को यह दिखलाना चाहिये कि आप ऐसी बहुत सी चीजों से वंचित रह सकते हैं जो देश में ९९ प्रतिशत लोगों को उपलब्ध नहीं हैं। लोग आते हैं, आप को देखते हैं और कहते हैं कि आप बातें तो पुनर्निमाण की करते हैं किन्तु खुद बड़े ऐश की जिन्दगी बिताते हैं। आप ऐसा काम कीजिये जिस से लोग यह न कहें कि आप जनता का जीवन-स्तर नहीं उठाना चाहते। यदि आम जनता की प्रति व्यक्ति आय बढ़ा सकते हैं तो आप न न केवल २ या ३ हजार वरन् १० हजार रुपये प्रतिमास वेतन ले सकते हैं बशर्ते कि आप के वेतन में और जमीन जोतने वाले किसान की आय में बहुत अधिक अन्तर न हो। यही सदन की प्रतिष्ठा होगी। मेरे संशोधन का यही प्रयोजन है।

श्री नामधारी (फाज़िलका सिरसा) : संशोधन रखने वाले महोदय का भाषण

[श्री नामधारी]

सर्वथा असंगत था और सिवाय इस बात के कि यह एक संशोधन है, इस का विचाराधीन विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है । विधेयक वेतन आदि के सम्बन्ध में है और इस बात से उस का कोई सम्बन्ध नहीं कि कोई महोदय किसी दल के सदस्य हैं या नहीं । यह संशोधन रखने वाले का उद्देश्य संसद् के कार्य को छिन्न भिन्न करना है क्योंकि उन का पेशा यही है ।

एक माननीय सदस्य ने चिकित्सा सम्बन्धी प्रबन्ध पर आपत्ति की है । उन्हें यह समझना चाहिये कि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष महोदय को सारे राष्ट्र की ओर से संसद का काम चलाना पड़ता है । हम उन्हें बीमार नही पड़ने दे सकते । हम चाहते हैं कि उन की चिकित्सा का उपयुक्त प्रबन्ध रहे ।

एक माननीय सदस्या ने कहा है कि वह तो कांग्रेस संसदीय दल के सदस्य हैं जिस की बैठकों में विधेयकों पर विचार किया जाता है और वह ही संसद् में इन विधेयकों पर चर्चा को नियंत्रित करते हैं । इन सदस्या ने कहा—"ऐसा व्यक्ति उपाध्यक्ष कैसे हो सकता है ?" मैं उन का भ्रम दूर करना चाहता हूं । संसद् में विधेयक सदस्यों के मत से पास किये जाते हैं, अध्यक्ष पद पर बैठने वाले व्यक्ति के मत से नहीं ।

इस के अतिरिक्त विरोधी पक्ष के महानुभाव भी अध्यक्ष पद पर आसीन होते हैं । सरदार हुक्म सिंह और श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के नाम भी सभापति तालिका में हैं । तो फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि आप से विमाता का सा व्यवहार किया जा रहा है । आप जानते हैं कि साम्यवादी दल के हाथ में सत्ता कभी नहीं आयेगी । इसलिये आप संसद् के काम में रुकाउट डालना चाहते हैं ।

एक बार एक अवैतनिक न्यायाधीश ने, जिस के पास कोई मुकद्दमा नहीं आता था, एक संभ्रान्त व्यक्ति को बुला कर उसे पांच सौ रुपये जुर्माना कर दिया कारण पूछे जाने पर उस ने उस व्यक्ति से कहा—"यदि तुम ने वर्षों से कोई अपराध नहीं किया है तो क्या मैं उस के लिये जिम्मेदार हूं ।" यही रवैया आप का है, आप को बिल विरोध करने के लिये कुछ कारण नहीं मिला तो आप ने अकारण ही विरोध शुरू कर दिया ।

हमें इस बात का सौभाग्य प्राप्त है कि बड़े विद्वानों को सभापति तालकों में रखा गया है जिनमें श्रीमती रेणु चक्रवती भी हैं । और आप क्या चाहते हैं ?

बाबू रामनारायण सिंह (हजारीबाग पश्चिम) : सभापति महोदय, जिस विषय पर अभी बातें हो रही हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है । आप ने मुझे इस में भाग लेने का मौका दिया, इस के लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूं ।

सभापति जी, सरकारी अफसरों के वेतन के सम्बन्ध में मैं इस संसद् में बहुत बार बोल चुका हूं । उस को वेतन तो कहना ही नहीं चाहिये । जनता की आमदनी को देख कर, जनता की हालत को देख कर देश में वेतन का निर्धारण होता है। जो वेतन आज कल हमारे यहां चल रहे है वह अंग्रेजों के काल से चल रहे हैं, वह हमारे देश को लूटते थे और आपस में बांटते थे और हिन्दुस्तानियों को भी कुछ हिस्सा दे देते थे । मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो तर्ज अंग्रेज सरकार का था, आज भी वही तर्ज ज्यों का त्यों चल रहा है । सभापति महोदय, किसी देश में कोई भी सरकार हो, उस को देश की सेवक हो कर ही रहने का हक है, मालिक हो कर नहीं । आज हमारे देश में आप जा कर देखिये तो

जनता तो भूखों मरती है और सरकार के लोग मौज करते हैं। तो यह तो चला आ रहा है। न जाने यह पाप कब धुल पायेगा। यह तो भगवान ही जानता है। मैं तो परमात्मा से यही मनाता हूं कि हिन्दुस्तान में न्याय का राज्य हो। इस वास्ते वेतन के सम्बन्ध में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। यह बात तो बिल्कुल गड़बड़ है ही। देश को आज भी लूटा जा रहा है और लूटने वाले आपस में बांटते हैं।

अभी जो बात उठाई गई है, अर्थात् लोगों ने जो यह कहा कि जो ऐसी ऐसी संस्थाओं के सभापति होते हैं, उन को किसी पार्टी का आदमी नहीं होना चाहिये। यह सुन कर तो मुझे बहुत ही आनन्द हुआ। मेरा तो यह विचार है कि अगर देश में कभी भी न्याय होना है तो जितने प्रकार की दलबंदियां हैं उन को खत्म होना है। वह चाहे आज हो या १०० वर्ष के बाद हो। सभापति महोदय, दलबन्दी भी रहे और न्याय भी रहे यह सम्भव बात नहीं। दलबन्दी रहेगी तो अन्याय होगा। न्याय कभी भी सम्भव नहीं हो सकता। और जहां न्याय नहीं वहां सुख और शान्ति की आशा नहीं। यह जो पद हैं वह तो हमारी ३५ करोड़ जनता के प्रतिनिधि हैं। यहां पर जो बैठते हैं उन का काम तो इतना कठिन है कि उन को हर हमय ईमानदार रहना चाहिये। दिन भर। जितनी देर यहां बैठेंगे उतनी देर। किस को बोलने का अवसर देना चाहिये किस को नहीं देना चाहिये यह भी उन को ही विचारना है। कोई बोल रहा है तो ठीक बोल रहा है या नहीं, यानी प्रति क्षण, प्रति शब्द, प्रति वाक्य में उन को विचार करना है कि जो बातें यहां हो रही हैं वह न्याययुक्त बातें हो रहीं हैं या नहीं। इसलिये इस में कोई शक नहीं कि यह जो पद है बहुत ही अपूर्व महत्व रखता है और यहां पर बैठने वाला जो व्यक्ति हो वह देश का चुना हुआ हो और जिस की ईमानदारी में शक व शुबहे का स्थान न हो। ऐसे ही व्यक्ति को वहां जाना चाहिये।

११-३५ पू० म०

सभापति महोदय, मैं कहता हूं कि ऐसे आदमी के जाने पर भी उन से गलतियां हो सकती हैं और जो पार्टीमैन रहेंगे तो उन का तो कहना ही क्या। सभापति महोदय रामायण में एक पद है।

दोउ न होंहि एक समय भुवालु,
हंसिय ठठाय फुलाउव गालू।

इस पद का अर्थ यह है कि रोना और हंसना एक साथ नहीं हो सकता। दोनों नहीं चल सकते कि हम ठठाकर हंसे भी और खुब रोवें भी। तो मेरा यह निवेदन है कि आप को इस तरह विचार करना होगा। एक पार्टीमैन, एक दलबन्दी वाला आदमी और वह न्यायशील हो यह सम्भव नहीं है। इस को सोच लीजिये।

श्री सी० के० नायर (बाह्य दिल्ली) : आप का तजरबा क्या है ?

बाबू रामनारायण सिंह : वही तजरबा तो मैं कह रहा हूं। अभी उधर से बताया गया है कि पुरुषोत्तम दास टंडन जी की नवाब छतारी ने कितनी प्रशंसा की। मैं ने उसी वक्त इंटरम्प्शन किया था कि दूसरे टंडन कहां हैं। सभापति जी, जो नियम होता है उस का अपवाद तो होता ही है। तो जो टंडन जी कांग्रेसमैन होते हुए भी इन्साफ कर सके, सत्य पर रह सके और ईमानदार रह सके यह तो इस नियम का अपवाद है। आप माफ कीजियेगा कुछ लोग हंसते भी हैं, कुछ तफरीह भी करते हैं, लेकिन यहां पर जो बातें होती हैं वह ३५ करोड़ भारतवासियों के भाग्य का निर्णय करती है। इस पर सोचना चाहिये। अगर दलबन्दी के रूप में हंसी करना चाहें तो करें, लेकिन इस से देश का भला होने को नहीं

[बाबू रामनारायण सिंह]

है । इस वास्ते मैं तो जरूर कहूंगा कि इस पद पर वही आदमी होना चाहिये जो किसी दल से सम्बन्ध न रखता हो । मैं तो चाहता हूं कि देश में कोई दल न हो, किसी दल की सरकार न हो, और मैं प्रत्येक भारतवासी से निवेदन करता हूं कि वह इस बात पर सोचे । कम से कम इस पद पर तो कोई ऐसा व्यक्ति न आवे जो किसी दल का हो । लेकिन यह तो होने को नहीं है । लेकिन अगर किसी दल का आदमी इस पद पर चुन कर आवे तो चुने जाने के बाद तो वह उस दल में न रहे यह तो होना ही चाहिये । मेरा मतलब यह है कि वह किसी दल का आदमी नहीं होना चाहिये । ३६ करोड़ आदमियों का यह इतना बड़ा देश है । क्या कोई ऐसा आदमी नहीं हो सकता जो कि किसी दल में न हो ? हो सकता है । सभापति महोदय, आप कहां तक न्याय कर सकेंगे । एक विषय आता है और उस पर दो घंटे बहस होगी । अब आप बताइये कि आप किस पार्टी को कितना वक्त देंगे । आप बात करते हैं कि ब्रिटिश हाउस आफ पार्लियामेंट की । वह इस प्रकार बांट नहीं होता । वहां यह कितना सुन्दर नियम है कि जिस पर स्पीकर का दष्टिपात हो उस को बोलने को कहा जाता है : यह कितनी सुन्दर परम्परा है कि जिस आदमी पर सब से पहले सभापति का दष्टिपात हो वही आदमी बोलने का अधिकारी हो सकता है : तो आप ब्रिटिश परम्परा की तो बात करते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि वहां इस तरह का बटवारा नहीं होता है । जो लोग खड़े होते हैं उन में से जिस पर नजर पड़ती है वही बोलने का अधिकारी होता है । लेकिन यहां सभापति को व्हिप के हुक्म के मुताबिक सोचने विचारने की आवश्यकता होती है कि कौन से आदमी को बोलना चाहिये । जब तक इस तरह का बटवारा रहेगा न्याय नहीं होगा । विशेष कुछ मुझे कहना नहीं है ।

श्री सी० भट्ट (भड़ौंच) : तो क्या आप की यह राय है कि चेयर पर कांस्टीट्यूशन की पुस्तक को रख दिया जाये ।

बाबू रामनारायण सिंह : यह लोग तो कांस्टीटयूशन की बात करते है और बात करते हैं डिमाक्रेसी की तो एक अंग्रेजी शब्द है उसको आप हिंदी में क्या कहेंगे । अगर हम उसका उल्टा हिंदी में करें तो उसको पंचायती राज्य कहेंगे । और पंच को लोग इस देश में परमेश्वर कहते है । जो पंच होता है उसकी उपाधि परमेश्वर की होती है । लेकिन यह उपाधि उसी को मिल सकती है जो परमेश्वर की तरह निष्पक्ष हो । हम जितने लोग यहां है वह सोचें कि जब वह निष्पक्ष होकर परमात्मा को साक्षी रख कर कोई बात बोलते हैं तो कितने मिनट तक, कितने घंटे तक परमात्मा की तरह निष्पक्ष होने का प्रयत्न करते हैं । तो हमारे देश में डिमाक्रेसी और पंचायती राज्य की चरचा होती है । लेकिन पंचायती राज्य में हर किसी व्यक्ति को अगर किसी विषय पर बोलना है तो परमात्मा को साक्षी कर के और निष्पक्ष हो कर बोलना चाहिये । तो डिमाक्रेसी का नाम तो बहुत सुनाई देता है पर यहां पर कुछ डिमाक्रेसी की रूपरेखा नहीं दिखाई देती है । तो मुझे और अधिक नहीं कहना है । जितनी बातें यहां हो रही हैं यह सही हैं । अगर यह चीज किसी संशोधन में आकर पास हो जाये तो ठीक है कि इस पद पर वही आदमी होना चाहिये जिस का किसी तरह की दलबंदी से सम्बन्ध न हो और जिसकी ईमानदारी में किसी तरह का शक व शुवहा न हो । यहां तो कहा जाता है कि स्पीकर का या डिप्टी स्पीकर का निर्णय हो गया है । वह तो मानना पड़ता है और मान लेते हैं । यह एक बात है । लेकिन निर्णय तो ऐसा होना चाहिये कि

जिस में किसी को शक व शुबहा हो ही नहीं निणय इतना सुन्दर होना चाहिये कि निणय के प्रतिकूल बोलने का किसी को साहस ही न पड़े । लेकिन सभापति महोदय मैं फिर आप सब लोगों से कहता हूं कि इस तरह का निर्णय उसी आदमी से सम्भव हो सकता है जो किसी पक्ष का न हो ।

श्री वैलायुधन : (क्योलीन व मावेलिक्करा रक्षित अनुसूचित जातियां) : अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष महोदय के वेतन से सम्बद्ध विधेयक पर वाद प्रति वाद होना अनिवार्य ही है । पिछले चार वर्षों में इन दोनों महानुभावों ने जिस प्रकार इस सदन का कार्य चलाया है, वह सराहनीय है और उनके पथ प्रदर्शन द्वारा ही हम ने शासन की संसदीय प्रणाली की नींव रखी है । परन्तु जहां तक लोकतन्त्रवाद की कार्यान्वित का सम्बन्ध है दोनों ओर से भूलें हुई हैं । लोकतन्त्रवाद की सफलता जिम्मेदार विरोधी दल तथा उस की शिकायतों की ओर ध्यान देने वाली सरकार पर निर्भर है ।

जहां तक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष महोदय के वेतन का सम्बन्ध है, मेरा विचार है कि इस प्रश्न पर प्रतिष्ठा ही नहीं वरन आवश्यकता के दृष्टिकोण से भी विचार करना चाहिये । इस विधेयक में जितने वेतन की व्यवस्था की गई है, मेरा विचार है कि कुछ अधिक नहीं है । मेरा विचार है कि दिल्ली में रहने सहने का खर्च, दुनिया भर में सब से अधिक है । मेरे एक मित्र को जो न्यूयार्क से लौटा था और दो तीन सप्ताह तक दिल्ली में रहना चाहता था, जल्दी ही यहां से जाना पड़ा क्योंकि यहां रहने सहने का खर्च बहुत अधिक है । यहां किसी डाक्टर के पास जाइये वह ६२) फीस ले लेता है । और होटलों का तो कहना ही क्या है; मुझे बताया गया है कि और किसी नगर में होटलों में इतना रुपया खर्च नहीं करना पड़ता ।

मैं जानता हूं कि जनसाधारण गरीब है लेकिन इस का यह मतलब नहीं है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष महोदय तांगे या साईकिल पर संसद् भवन आयें । इस विधेयक के समर्थन में यह कहूंगा कि भारत में संसदीय लोकतंत्रवाद को स्थायी बनाने में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष महोदय की जिम्मेदारी बहुत है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री थानू पिल्ले : (तिरुनलवेली) : श्री पुन्नूस ने उपाध्यक्ष महोदय के कांग्रेस दल की कार्यकारिणी का सदस्य होने की ओर संकेत किया था । क्या केवल इसलिये वे अध्यक्ष पद पर विराजते समय अपने दल से ऊपर नहीं उठ सकते और तटस्थ निर्णय नहीं दे सकते ? मुझे इस बात का सन्देह हो रहा है कि विरोधी दल के लोग औरों को भी अपने जैसा ही समझते हैं । उनमें से एक सदस्या का नाम सभापति तालिका में है और वे बहुधा अध्यक्ष पद पर विराजती हैं । परन्तु जब वे उपाध्यक्ष महोदय के कांग्रेस दल की कार्यकारिणी में होने के औचित्य पर आपत्ति करती हैं, तो हमें उन की तटस्थता पर सन्देह करना पड़ेगा । क्या आप ने कभी देखा है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष महोदय को दल की ओर से कोई आदेश दिये गये हों ।

एक माननीय सदस्य : क्या कार्यकारिणी के सदस्य के नाते उन पर कोई आभार नहीं है ?

श्री थानू पिल्ले : जहां तक सभापति का सम्बन्ध है कोई नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय कांग्रेसी, गांधीवादी तथा लोकतन्त्रवाद में विश्वास रखने वाले हैं । चाहे अपने दल से उन्हों ने सम्बन्ध नहीं तोड़ा है, उन में इतनी ईमानदारी शराफत तथा

[श्री थानू पिल्ले]

धर्म है कि वे वामपक्ष का अधिक ध्यान रखते हैं क्योंकि उन की संख्या कम है । हमें इस बात पर गर्व है कि अध्यक्ष महोदय ने विरोधी सदस्यों को हम लोगों की अपेक्षा अधिक अवसर दिये हैं । मैं चुनौती देता हूं कि वे एक भी ऐसा उदाहरण बताये जहां अध्यक्ष या उपाध्यक्ष महोदय या मंत्रियों ने भी, हमारी अपेक्षा विरोधी सदस्यों की कम परवाह की हो ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं .....

सभापति महोदय : जहां तक मेरा सम्बन्ध है, व्यक्तियों के सम्बन्ध में चर्चा रोकी जायेगी, चाहे वे इस ओर के लोग करें या उस ओर के ।

श्री थानू पिल्ले : यह प्रश्न उठाया गया कि अध्यक्ष महोदय कार्यसमिति के सदस्य हैं । क्या इस में माननीय सदस्य श्री आयंगर की ओर संकेत नहीं है ? इस हद तक हमें उत्तर देने का अधिकार है ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य से मेरी अपील है कि वे इस प्रकार निर्देश न करें । जो बात उठाई गई है उस का उत्तर वे दे सकते हैं ।

श्री थानू पिल्ले : जब एक साम्यवादी सदस्या से सभापति पद पर आसीन हो कर न्याय की आशा है तो क्या आप यह भी सहन नहीं कर सकते कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष महोदय किसी दल के सदस्य हों ।

जब सदस्यों के दैनिक भत्ते को ४०) से घटा कर ३५) करने का सुझाव दिया गया था तो मेरे माननीय मित्र श्री नम्बियार ने यह सुझाव रखा था कि जो लोग ५) रुपये की यह कटौती नहीं चाहते वे ४०) प्रति दिन ही सूते रहें । अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का वेतन घटाया भी जा रहा है, तो इस की सराहना करने की बजाय साम्यवादी सदस्य कहते हैं कि उन्हें इतना वेतन क्यों मिले ? (अन्तर्बाधायें)

जब रूसी सरकार के अन्तर्राष्ट्रीय रवैये में इतना परिवर्तन हो चुका है तो विरोधी दल के सदस्यों से इतनी आशा थी कि जहां तक अध्यक्ष महोदय के वेतन सम्बन्धी विधेयक के बारे में वे कुछ अच्छी बात ही कहेंगे । इतिहास की पुनरावृत्ति होती है । पिछले महा-युद्ध को भी ये लोग काफी दिनों तक साम्राज्यवादी कहते रहे । ब्रिटिश साम्यवादियों द्वारा जब युद्ध का नारा लगाये जाने के काफी दिन बाद इन्होंने अपना रवैया बदला था । इन के लिये यह कोई नई बात नहीं है ।

१२ बजे मध्याह्न

मैं उनसे अपील करता हूं कि वे भारत के निर्माण में हाथ बटायें । कभी तो रचनात्मक ढ़ंग से सोचिये; सहयोग दीजिये और इस विधेयक में बाधा न डालिये । यह ऐसा प्रश्न है जिस में दलबन्दी की बात नहीं सोचनी चाहिये । मुझे आशा है कि इस के बाद तो माननीय सदस्य सहयोग करेंगे ।

श्री नम्बियार : मैं अपने बारे में एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं । मेरे बारे में एक बात कही गई है ;

अध्यक्ष महोदय : आप को बोलने का अवसर मिलेगा ।

श्री नम्बियार : मेरी बात बड़ी सीधी सी है । मेरा संशोधन यह था कि सदस्यों का दैनिक भत्ता घटा दिया जाये । मैं ने तो यहां तक कहा था कि सदस्यों का वेतन ३००) प्रतिमास निश्चित किया जाय या उन्हें १०) प्रति दिन भत्ता मिले । मैं ने यह कभी नहीं कहा कि यह भत्ता ४०) से

अधिक हो । वे सारी बात गलत बता रहे हैं ।

श्री गिडवानी (थाना) : पिछले वक्ता के व्याख्यान पर मुझे आश्चर्य हुआ । यह तो सिद्धान्त की बात है कि उपाध्यक्ष जिस दल का सदस्य है उस से सम्बन्ध रक्खे या न रक्खे । आज कांग्रेस दल सत्तारूढ़ है कल कोई दूसरा दल हो सकता है हमें इस प्रश्न पर वस्तुरूपता के साथ विचार करना चाहिये । अतः यह सिद्धान्त रूप से अच्छा होगा कि उपाध्यक्ष राजनीतिक दल के साथ सक्रिय रूप से सम्बद्ध न हो ।

मैं कामरेड पुन्नूस के प्रस्ताव की ओर पुनः निर्देश करूंगा इसे पढ़ने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि कार्यकारिणी के एक सदस्य के लिये एक ही दिन में उस के आदेश प्राप्त करना तथा उन सब प्रश्नों के सम्बन्ध में निर्णय करना, जो दल के कार्यक्रम के अनुसार न हो, कठिन है । मेरे विचार से समय आ गया है कि हम समस्या पर वस्तुरूपता के साथ विचार करें । कहा जाता है कि कुछ अन्य देशों में उपाध्यक्ष हमेशा विरोधी दल से चुने जाते हैं । हमें इस प्रश्न पर व्यक्तिगत रूप से विचार नहीं करना चाहिये । अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति का हम व्यक्तिगत रूप से आदर कर सकते हैं वह अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष परन्तु यह तो सिद्धान्त की बात है ।

इस विधेयक में कहा गया है कि अध्यक्ष तथा सभापति का वेतन केबिनट मंत्रियों के बराबर कर दिया जाय । यदि ऐसा है तो मेरे विचार से कोई कारण नहीं है कि उपाध्यक्ष तथा उपसभापति का वेतन उपमंत्रियों के बराबर क्यों न कर दिया जाये । आप जानते हैं कि राज्य परिषद् को बहुत कम कार्य करना होता है । चार पांच मास में तो उन की बैठक होती ही है साथ ही जब उन की बैठक होती भी है तो पूरे दिन का कार्य नहीं होता है । कभी तो एक या दो घंटे में ही उन की सभा स्थगित हो जाती है । वास्तव में तो वहां उपसभापति की आवश्यकता ही नहीं है । एक सभापति तथा सभापतियों का एक पैनल होना चाहिये । कार्य तो बहुत कम है । मेरा तो सुझाव यह है कि उपसभापति का कोई वेतन ही नहीं होना चाहिये । इस से किसी हद तक अर्थ की बचत भी होगी । मैं विधि मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह इस विषय पर विचार करें कि क्या राज्य परिषद् में भी इन दो अधिकारियों का होना आवश्यक है तथा क्या राज्य परिषद् के उपसभापति को वही वेतन मिलना चाहिये जो लोक सभा के उपाध्यक्ष को दिया जाता है । यह न तो दल विशेष प्रश्न है और न इस में कोई सम्मान का प्रश्न है यह तो व्यय को कम करने का प्रश्न है ।

इस के अतिरिक्त मेरा विचार है तथा प्रत्येक व्यक्ति जानता है द्वितीय सदनों की कोई आवश्यकता नहीं है । कांग्रेस दल ने भी जहां तक मुझे ज्ञात है वे इस विषय पर कि द्वितीय सदन आवश्यक हैं या नहीं, मत संग्रहीत करने के सादेश निर्गम किये हैं । मेरा विचार है कि राज्य परिषद् तथा राज्य विधायिनी सभाओं के द्वितीय सदनों को भी खत्म कर देना चाहिये क्योंकि इन से कोई लाभ नहीं है । जहां तक राज्य परिषद् के सभापति का प्रश्न है वह हमारे गणराज्य का उपराष्ट्रपति भी है । कभी कभी उस को इस पद का भी कार्य करना पड़ता है । परन्तु उपसभापति को कोई वेतन नहीं दिया जाना चाहिये ।

श्री के० सी० सोधिया (सागर) : सभापति महोदय, आज के भाषणों को सुन कर मैं इस विधेयक से बिल्कुल सन्तुष्ट हूं । हम वर्ग विभेद को पूरा कर रहे हैं । कांग्रेस दल का यही उद्देश्य है कम्युनिस्ट दल का भी मुख्य उद्देश्य यही है । परन्तु इसी कार्य को करने की विधियां अलग अलग हैं । एक तो यह कि

[श्री के० सी० सोधिया]

उच्च स्थान के व्यक्तियों को खींच कर नीचे लाया जाय दूसरा यह कि जो लोग नीचे हैं वे सीढ़ियों के द्वारा ऊपर चढ़ जायें। जहां तक मैं समझता हूं बराबर करने की जो विधि हम ने अपनाई है वह यह है कि इस के साधारण जन दयनीय अवस्था से उन्नति कर के ऊंची अवस्था में पहुंचा दिये जायें। इस देश के गरीबों की साधारण आय को बढ़ाने का हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है।

कहा जाता है कि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष किसी भी दल के नहीं होना चाहियें। मेरे माननीय मित्र बाबू रामनारायण सिंह ने कहा है कि दलगत राजनीति नहीं होना चाहिये तथा किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिये। यह नितान्त असम्भव है तथा मानव प्रकृत के विरुद्ध हैं। समय तो ऐसा आ रहा है कि नीति तथा प्रक्रिया के सम्बध में कठोर मतभेद होंगे। मैं कभी अनुमान भी नहीं करता हूं कि कोई ऐसा भी समय आ सकता है कि हमारी संसद् तथा प्रशासन से दलगत शासन का अन्त हो जाये। यह भी कहा जाता है कि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष किसी दल के नहीं होने चाहियें। क्या इस का अर्थ है कि इन व्यक्तियों का कोई राजनीतिक मत न हो। ऐसा व्यक्ति तो कहीं हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूं कि किसी दल का सदस्य होते हुए इन स्थानों के कर्त्तव्य उचित रूप से पूरे करना सर्वथा संभव हैं। यह तो उस पद पर आसीन व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह उचित रूप से इन कर्त्तव्यों को पूरा करना चाहता है या नहीं। जो कुछ थोड़े समय तक मुझे वहां का कार्य देखनें का अवसर प्राप्त हुआ है उस से मैं कह सकता हूं कि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ने बिना किसी त्रुटि के तथा बड़ी सुन्दरता से अपना कर्तव्य पूरा किया है।

वेतन तथा अन्य बातों के सम्बन्ध में जो प्रश्न उठाये गये हैं मैं समझता हूं कि मंहगाई के ऐसे समय में विधेयक में जो वेतन कहा गया है, उस के बिना यह सम्मानित व्यक्ति अपने को उचित स्थिति में कैसे रख सकते हैं। हमें इन के वेतन के सम्बन्ध में शिकायत नहीं करना चाहिये, हमें तो देखना यह चाहिये कि इन के काम करने का ढ़ंग कैसा है। यदि इन्हें कुछ और वेतन की आवश्यकता हो तो भी हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिये, वरन् वह भी इन को प्रसन्नता से देना चाहिये। अस्तु जो विधेयक हमारे सामने है उस का हृदय से समर्थन करने में कोई वस्तु बाधक नहीं है तथा मैं इस प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : अब कार्य सूची के अनुसार २.०५ डालर प्रति बुशेल की दर से गेहूं के प्रदाय के अभिनव अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं समझौते के सम्बन्ध में एक घंटे का वाद विवाद है।

नवीकृत अन्तर्राट्रीय गेंहूं समझौता

सभापति महोदय : इस वाद विवाद के प्रस्ताव की सूचना देने वालों के नाम थे :

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह,
श्री राधा रमन,
श्री श्री नारायण दास,
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय,
श्रीमती इंद्रोम ए० देव, तथा
श्री भागवत झा "आज़ाद"।

मेरा विचार है कि इन के अतिरिक्त चार पांच सदस्य और बोलना चाहेंगे। यह वाद विवाद केवल एक घंटे का है इस के पश्चात्, मेरा विचार है, कि माननीय मंत्री पन्द्रह बीस मिनट लेना चाहेंगे। अतः मैं उन के लिये जिन्हों ने सूचना दी थी दस मिनट का समय तथा

अन्य व्यक्तियों के लिये पांच मिनट का समय मैं नियत करता हूं ।

श्री राधारमण (दिल्ली नगर) : सभापतिजी, जिस सम्बन्ध में आप ने इस सदन के सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने के लिये एक घंटा दिया है वह विषय काफी महत्व का है । और मैं आप का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि जहाँ हम ने यह ख्वाहिश जाहिर की थी कि हम को इस विषय पर आध घंटे के डिसकशन का समय दिया जाय, आप ने एक घंटे का समय दिया । इस से यह जाहिर होता है कि इस विषय का महत्व कितना है और देशवासी आजकल इस विषय पर कितनी चर्चा करते हैं ।

मैं इस से पहले आप का ध्यान इस विषय पर आकर्षित करूंगा कि अखबारों के जरिये मालूम हुआ है कि एक समझौता गेहूं के सम्बन्ध में हमारे मंत्री जी ने उन सरकारों से किया है जो गेहूं एक्सपोर्ट (निर्यात) करती हैं । अभी उस समझौते की सारी शर्तें हमारे सामने नहीं हैं । लेकिन इस चीज को हमें पता लगा है कि गालिबन आज दसखत हो चुके हैं ।

कृषि तथा खाद्य मन्त्री (श्री किदवई): क्या मैं माननीय सदस्य के बीच में हस्तक्षेप कर सकता हूं ? श्री टी० एन० सिंह ने हम से कुछ सूचनायें मांगी थीं तथा हम ने उन के पास समझौते की पूरी प्रति भेज दी हैं । यदि अन्य सदस्यों को इस बात का पता नहीं तो मुझे बहुत दुख है । हमारे पास एक प्रति थी वह हम ने भेज दी ।

कुछ माननीय सदस्य : हम नहीं सुन पाये ।

सभापति महोदय : बात यह है कि, माननीय सदस्य जो बोल रहे थें, उन्हों ने कहा कि उन के पास समझौते की प्राप्ति नहीं है । माननीय मंत्री का कहना है कि श्री टी० एन० सिंह जिन का नाम, उन व्यक्तियों की सूची में है जिन्हों ने इस वाद विवाद की सूचना दी थी, प्रश्न स्थान पर है, उन को समझौते की एक प्रति भेज दी गई थी ।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हारबर) : सामूहिक प्रयोग के लिये ?

श्री किदवई : हां, सामूहिक प्रयोग के लिये ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को बोलने दीजिये ।

श्री वी० वी० गांधी (बम्बई नगर-उत्तर) : क्या माननीय मंत्री हमें संक्षेप में उस समझौते की शर्तें बता देंगे ताकि वाद-विवाद में सुविधा हो ।

श्री किदवई : यह एक बहुत बड़ी दस्तावेज है तथा यह पता नहीं है कि एक विशेष सदस्य किस भाग में रुचि रखता है ।

श्री पन्नूस (आल्लपी) : यह किसी सदस्य विशेष का प्रश्न नहीं है । सारा सदन उस क्षति से चिन्तित है जो हमें उठाना है ।

श्री वी० बी० गांधी : क्या उस ने किसी न्यूनतम मूल्य का उपबन्ध है ?

श्री किदवई : मैं कुछ मिनट में बताये देता हूं कि समझौता क्या है । इस के पूर्व अर्थात्, तीन वर्ष पहले जब अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं समझौता किया गया था, अधिकतम मूल्य १.८ डालर प्रतिबुशेल नियत की गई थी तथा न्यूनतम मूल्य--चूंकि यह सामान्य रूप से आशा की जाती थी कि मूल्य कम हो जायेंगे --निम्नलिखित थे :--

१.५० डालर प्रथम वर्ष में

१.४० डालर द्वितीय वर्ष में

१.३० डालर तृतीय वर्ष में

१.२० डालर चतुर्थ वर्ष में

[श्री किदवई]

परन्तु मूल्य ऊंचे ही बने रहे अर्थात निर्यात करने वाले देशों को हमारे आयात में अर्थ सहायता करनी पड़ी । नियम यह था कि यदि न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्यों के बीच में मूल्य बना रहेगा तो हम बाजार भाव से पावेंगे । यदि दाम अधिकतम से भी ऊपर चढ़ जायेंगे तब निर्यात करने वाले देश उस के अन्तर को अदा करेंगे । हमें खुले बाजार में क्रय करने की आज्ञा है परन्तु हम केवल १.८० डालर प्रति बुशेल के भाव से दाम अदा करेंगे तथा जो कुछ आधिक्य होगा वह निर्यात करने वाले देशों द्वारा दिया जायेगा । यदि मूल्य न्यूनतम से भी नीचे गिर जायेंगे तब हमें नियत किये गये न्यूनतम मूल्यों के दर से क्रय करना होगा । पिछली बार जब हम ने समझौता किया था तो विचार किया जाता था कि मूल्य मूल्य न्यूनतम से भी नीचे गिर जायेंगे । इसलिये न्यूनतम मूल्य प्रथम वर्ष में १.५० डालर, द्वितीय वर्ष में १.४० डालर, तृतीय वर्ष में १.३० डालर तथा चतुर्थ वर्ष में १.२० डालर नियत किये गये थे ।

ऐसा ही अनुभव पहले हो चुका था । एक बार बरमा सरकार ने हमें चावल बहुत अच्छे दामों पर देने का प्रस्ताव किया था । परन्तु एक निश्चित दर का समझौता कर लिया था । इस लिये हम ने समझौता करने से इंकार कर दिया था और फिर हमें बहुत ऊंचे दाम देने पड़े । इसी प्रकार आज कल संयुक्त राष्ट्र अमरीका का बाजार भाव २.२८ डालर है कनाडा में लगभग २.१५ डालर है । हमें २.०५ डालर का अधिकतम मूल्य देना पड़ रहा है । पिछली बार जब हम ने समझौता किया था तो अधिकतम १.८० डालर था तथा इस के अतिरिक्त हम से .०६ डालर प्रति बुशेल की दर से उन गदाम में रखने का तथा अन्य बातों का देना पड़ा क्योंकि उन्हों ने प्रदाय की गारेण्टी की थी । इस वर्ष के अधिकतम में अन्य सारे खर्च शामिल हैं इस लिये ०.१९ डालर का आधिक्य है जो कि वर्तमान बाजार भाव से सस्ता है तथा जब कभी बाजार भाव अधिकतम से कम हो जाती है, फिर भी हमें केवल बाजार भाव का दाम देना होगा उस समय तक जब तक कि बाजार भाव न्यूनतम से भी कम न हो जाये । केवल उसी हालत में हमें हानि उठानी पड़ेगी ।

श्री वी० बी० गांधी : इस समझौते में न्यूनतम मूल्य क्या है ?

श्री किदवई : १.५५ डालरस ।

श्री सूरमा (गोला घाट-जोरहाट) : अधिकतम क्या है ?

श्री किदवई : २.०५ डालरस ।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य) : हम २.०५ डालर के दर से दाम देने के लिये विवश नहीं हैं ?

श्री किदवई : हम बाजार भाव से क्रय करेंगे । आज भी हम बाजार भाव से क्रय कर रहे हैं परन्तु चूंकि बाजार भाव ऊंचा है निर्यात करने वाले देशों को आधिक्य देना पड़ता है इसी प्रकार यदि बाजार भाव न्यूनतम से नीचे गिर जावे तब हमें न्यूनतम मूल्य देना पड़ेगा । यही समझौता है ।

श्री पन्नूस : मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं, श्रीमान् ।

सभापति महोदय : यदि सारा समय इसी प्रकार व्यय हो जायगा तो हो सकता है सदस्यों को बोलने का कोई अवसर न मिले । इस का आधार उन के द्वारा बता दिया गया है ।

श्री राधा रमण : सभापति जी, मुझ खुशी है कि चन्द बातों पर जो हमारी आज

की बहस में फायदे मन्द साबित हो सकती हैं, हमारे मिनिस्टर साहब ने रोशनी डाली है। मगर इस वक्त जो हमारे दिमागों में इस समझौते के विषय में कुछ शंकायें हैं उन पर पूरे तौर पर रोशनी पड़नी जरूरी है। यह बात अभी बताई गई कि हिन्दुस्तान ने जो समझौता इस गेहूं की खरीदारी के लिये किया है उस को दुनिया के बाजार में जो आम गेहूं की कीमत चल रही है उस के मुताबिक कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कीमत को ध्यान में रख कर किया गया है। संसद् के सभी सदस्यों को यह ज्ञात है कि इस सम्बन्ध में पहला समझौता सन् १९४९ में हुआ था और वह चार साल के लिये हुआ था। मिनिस्टर साहब ने यह भी बताया है कि इन पिछले चार सालों में गेहूं की कीमत किस तरह रखी गई और हिन्दुस्तान में किन भावों से वह गेहूं खरीदा। आज जब हम दो बारा यह समझौता कर रहे हैं तो हम को कुछ अपने देश की स्थिति की ओर ध्यान करना पड़ता है। पहली बात यह बताई गई कि आज अमरीका और कानाडा के बाजार में गेहूं का भाव कुछ ज्यादा है। इस सम्बध में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब से इस समझौते के दोबारा होने की चर्चा चली है उसी समय से गेहूं के भाव उन मुल्कों में बढ़ने शुरू हुए और .....

श्री किदवई : जब से बात चीत शुरू हुई तब से दाम कुछ घटे हैं।

श्री राधा रमण : माफ कीजिये। मुझे मिनिस्टर साहब ने सही कर दिया। हो सकता है कि यह बात ठीक हो और मुझे यह मान लेनी चाहिये। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि सन् १९४९ में जब हम ने गेहूं की खरीदारी का समझौता किया था तो हमें यह मालूम है कि उस समय हमारे मुल्क की गेहूं के स्टाक की स्थिति कैसी थी और उस वक्त हम ने कितने मजबूर थे कि हम गेहूं के समझौते में शामिल हों ताकि हमारे मुल्क की जो खाद्य समस्या है वह कुछ हद तक हल हो। मगर अब अगर हम उन पिछले बयानों को देखें जो हमारे खाद्य मंत्री और उन के सहकारी मंत्रियों ने दिये हैं तो हमें इस बात का संतोष होगा कि पिछले चार सालों में हमारी खाद्य समस्या काफी हल हो गई है। यह हमारे मंत्री जी के परिश्रम, उन की सूझ बूझ, और उन की नीति का नतीजा है कि आज हम अपने मुल्क की गेहूं की समस्या को बहुत कुछ सुलझा हुआ पाते हैं। इस के लिये हमारे मंत्रीगण बहुत बधाई के पात्र हैं। हम यह देख रहे हैं कि हमारी जो चार साल पहले की गेहूं की समस्या थी वह अब काफी सुलझती जा रही है और हम को इस बात का काफी विश्वास है कि जिस नीति को हमारे सर्वप्रिय मंत्री जी ने अपने आफिस में आने के बाद मुल्क में चलाया है उस से बहुत काफी सन्तोष हुआ है और लोगों को बहुत काफी शान्ति भी मिली है। ऐसी अवस्था में जब हम चार साल के कड़े प्रयत्न और परिश्रम के बाद एक नये तीन साल के लिये समझौता करने जा रहे हैं तो यह बात सोचना और विचारना जरूरी हो जाता है कि जब दुनिया के मारकेट में आज गेहूं का भाव एक डालर और ८० सेंट आम तौर पर समझा जाता है और जब कि खास तौर से इंगलैंड जैसा देश इस समझौते में शामिल होने को तैयार नहीं है और उस ने हमारे सामने यह रखा था कि अमरीका और ऐक्सपोर्टिग कंट्रीज़ (निर्यातक देश) ज्यादा से ज्यादा दो डालर प्रति बुशेल गेहूं के दाम चार्ज न करें तो ऐसी कौन सी तकलीफ आ गई थी कि हिन्दुस्तान ने अमरीका के २.२५ डालर की दर के मेक्सिमम को मंजूर किया। यह बात सोचने की है और हम जानना चाहते हैं कि जब हमारे देश की समस्या दिनों दिन सुलझती जा रही है और जब कि आज हमारे देश में सन् १९४९ के मुकाबले में गेहूं की स्थिति बहुत सुधर गई है।

[श्री राधा रमण]

तो ऐसी सूरत में हम किसी समझौते को करने में क्यों इतनी जल्दी करें। सन् १९४९ में जो समझौता हुआ था उस में गेहूं के इम्पोर्ट करने वाले, खरीदने वाले, करीब ४६ मुल्क थे और इस समझौते में करीब ३६ मुल्क शामिल समझे जाते हैं, जिन में हिन्दुस्तान भी एक है। इंगलैंड ने इस समझौते पर अपने हस्ताक्षर करने से इन्कार किया और यह जानते हुए कि इंगलैंड को गेहूं की कितनी ज्यादा जरूरत है। सारी दुनिया के जितने गेहूं की उपज बाहरी मुल्कों के लिये रहती है उस में से ३० वां हिस्सा इंगलैंड खर्च करता है और हिन्दुस्तान सिर्फ उस का दसवां हिस्सा लेता है। इंगलैंड एक ऐसा देश है कि जहां उस की तमाम गेहूं की खपत बाहर से ही गेहूं खरीद कर पूरी होती है और हमारे मुल्क में गेहूं का बहुत बड़ा हिस्सा हम अपने आप हम पैदा कर लेते हैं। तो एक ऐसा मुल्क जब इस बात की कोशिश कर रहा था कि उस गेहूं की कीमत जो बाहर भेजा जाता है कुछ कम हो जाये और कम कीमत पर उस को गेहूं प्राप्त हो तो हिन्दुस्तान जैसे मुल्क को क्या ऐसी जरूरत पड़ी थी कि उस ने ५ सैंट ज्यादा दे कर उस समझौते पर हस्ताक्षर किये। यह बात जरा जानने की है।

दूसरे हम यहां पर यह अच्छी तरह से जानते हैं कि न सिर्फ हमारे हिन्दुस्तान में गेहूं की उपज बढ़ रही है बल्कि जितनेभी मगरबी मुमालिक (पश्चिमी देश) हैं इन सब की रिपोर्ट और इन की उपज को देखने से मालूम होता है कि वहां भी इस साल गेहूं की उपज और सालों से कहीं ज्यादा है और जो उन की खरीदने की जरूरत है वह भी कुछ कम हो गई है। तो ऐसी सूरत में जबकि उन मुल्कों की उपज ज्यादा है और उन की जरूरत भी पहले से कुछ कम है, हमारी समझ में यह चीज नहीं आती कि इस की क्या जरूरत महसूस तहु कि हम इस मैग्जिमम प्राइस (ज्यादा से ज्यादा दर) को जो घट सकता था, जिस के बारे में हम देश को मजबूर कर सकते थे कि वे कम कीमत को मंजूर कर लें। और हम जानते हैं कि ऐसे मूल्क हमारी जरूरत को महसूस कर के जो कीमत को कुछ बढ़ा देते हैं और ऐसी कीमतें लेते हैं कि जिन को हम गैर मुनासिब कह सकते हैं। अगर फ्री मारकेट हो, यानी दुनिया के अन्दर जो गेहूं पैदा होता है उस की खरीद और बिक्री अगर व्यौपारी लोगों के हाथ में रखी जाये तो यह मानी हुई बात है कि जो कीमत हम दे रहे हैं उस से कुछ कम कीमत पर हम को गेहूं मिल सकता है, तो ऐसी सूरत में यह एक ऐसी चीज है कि जो हमारे दिमागों में फिर रही है। इस से, यह न समझा जाये कि हम गवर्नमेंट के काम की, जो उस ने समझ बूझ कर किया है यानी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, अवहेलना करना चाहते हैं। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि क्या कारण है कि ऐसे मुल्क ने जिस की तमाम जरूरत दूसरे मूल्क पैदा करते हैं और जो हमारे से ज्यादा मुसीबत में पड़ सकता है, समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये और हम ने क्यों किये। जब हमारे मुल्क की हालत सुधरी हुई है और अपनी उपज की बिना पर हम अपने को ज्यादा सुरक्षित पाते हैं, तो हमें क्या ऐसी जरूरत है कि हम एक ऐसे समझौते में पड़ने की जल्दी करें जबकि और भी मुल्क इस में अभी शामिल नहीं हैं।

एक चीज में और अर्ज करना चाहता हूं कि पिछले दिनों में जब यह समझौता हुआ था उस वक्त जिन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने उस के ऊपर दस्तखत किये थे उन में रूस और अरजेंटाइना, यह दोनों मुल्क नहीं थे जिन के यहां गेहूं की आमदनी काफी है और जिन से हम गेहूं खरीद सकते हैं। हिन्दुस्तान ने पिछले वक्त में कुछ गेहूं रशिया से खरीदा भी था

और वह अमरीका से सस्ता खरीदा था ।

श्री किदवई : यह गलत है ।

श्री राधा रमण : अच्छा, आई स्टैंड करैक्टेड (मैं गलती मानता हूं) तो ऐसी सूरत में जबकि यह दो मुल्क गेहूं की उपज रखते हैं और उन से खरीद भी सस्ती की जा सकती है तो यह बात जरा समझ में नहीं आती कि हम ने इतने बड़े समय के लिये, तीन साल के वक्फे के लिये इस समझौते को मान कर अपने आप को ऐसी स्थिति में क्यों डाल लिया कि जहां हम को गेहूं मंहगा खरीदना पड़ेगा विशेषकर जबकि हम को उम्मीद हो सकती थी कि हम सस्ता गेहूं खरीद सकते ।

तो मैं ये बाते संसद् के सामने इस ख्याल से रखता हूं कि हिन्दुस्तानियों के दिमाग में इस की काफी चर्चा है और इस के मुताल्लिक काफी शंका उन के दिमाग में है जिन के लिये हम यह जरूरी समझते हैं कि मंत्री साहब इन की सफाई कर दें और हमारे दिमागों में जो शंकायें हैं उन्हें दूर कर दें । इन शब्दों के साथ मैं इस समझौते के मुताल्लिक जो ख्याल था वह आप के सामने रखता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी इस पर रोशनी डालेंगे ।

श्री एस० एन० दास : पिछले दो तीन मासों से आयात कर्त्ता तथा निर्यात-कर्त्ता देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं सगझौते के नवीकरण के प्रश्न पर वार्ता हो रही है । अन्य सरकारों ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये हैं परन्तु भारत तथा संयुक्त साम्राज्य की सरकारों का मत है कि गेहूं का मूल्य दो डालर प्रति बुशल से अधिक न हो ।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

मेरा विचार है कि पिछले वर्षों की अपेक्षा अब हमारी खाद्यान्न स्थिति सुधर गई है और समय समय पर दिये गये खाद्य मंत्रियों द्वारा दिए गए भाषणों से प्रतीत होता है कि हमारी स्टाक स्थिति और खाद्यान्न का उत्पादन भी सन्तोषजनक है । अतः हम ने सोचा कि भारत को चाहिये कि वह थोड़े मूल्य के लिये लड़ता रहे । परन्तु एक दम ही हमें पता लगा कि भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये हैं जब कि संयुक्त साम्राज्य ने नहीं किये । हमारा, नहीं सब का, विचार था कि वर्तमान स्थिति में इस समझौते की कोई आवश्यकता नहीं थी । इस सदन के सदस्य यह पसन्द करते कि इस समझौते का निर्णय करने के पूर्व उन का मत लिया जाता । हम नहीं जानते कि वे कारण क्या थे जिन से विवश हो कर भारत सरकार को संयुक्त साम्राज्य सरकार का साथ छोड़ना पड़ा । मैं समझता हूं कि प्रत्येक आयात कर्त्ता देश चाहेगा कि गेहूं का मूल्य कम हो । वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सरकार को इस समझौते पर हस्ताक्षर करने में शीघ्रता नहीं करनी चाहिये थी । मैं खाद्य मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के कारण तथा इन तीन वर्षों में हम कितने गेहूं का आयात करेंगे बताने की कृपा करें ।

श्री पुन्नूस : २४ अप्रैल १९५३ के 'हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड' मे बड़ा अशान्तपूर्ण समाचार प्रकाशित हुआ था कि इस सौदे के परिणाम स्वरूप हमारे देश को ९ करोड़ रुपये की हानी होगी । अनेक बातों में सम्बन्ध रखने वाला संयुक्त साम्राज्य ९ रु० आठ आने प्रति बुशल देने को तैयार है जब कि अमरीका १० रु० मांग रहा है, और भारत ने ये दोष स्वीकार कर लिये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि हमें इस सौदे में कैसे और क्यों ९ करोड़ रुपये का घाटा होगा ।

निर्यात कर्त्ता देशों ने गत वर्ष की अपेक्षा दुगनी मात्रा में उत्पादन किया है । यदि

[श्री पुन्नूस]

भारत सरकार थोड़ी प्रतीक्षा करती तो लाभ उठा सकती थी। क्योंकि जब तक भारत सरकार इस समझौते का अनुसमर्थन नहीं करती तब तक हम उस के लिये बाध्य नहीं हैं, अतएव मैं आशा करता हूं क अब भी कोई अधिक समय नहीं बीता है ।

श्री किदवई : यह ठीक है ।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार ने अमरीका नीति से प्रभावित निर्यात कर्त्ता देशों के अतिरिक्त अन्य बाजारों में भी प्रयत्न किया था । इस के अतिरिक्त, मन्त्री महोदय इसे न्यायोचित सिद्ध करना चाहते थे कि भंडार आदि के लिये जो ६ सैट दिये जाते थे वे अब सम्मिलित होंगे । क्या कोई ऐसी समय-सीमा है जिस के अनुसार जलयानों का प्रबन्ध करने के कारण हमें इस 'तुरन्त छुड़ाई' उप-बन्ध के अन्तर्गत हरजाना देना पड़े । फिर, कुल हानि के बारे में कुछ समाचार पत्र कहते हैं कि यह ९ करोड़ होगी और कुछ कहते हैं ७ या ८ करोड़ होगी। मैं जानना चाहता हूं कि बढ़ी हुई कीमत के कारण सरकार को कितनी हानि होने की आशा है । कृपया यह भी बताइयेगा कि भाग लेने वाले नये देश कौन कौन हैं और इस नये समझौते के अन्तर्गत हम कितने समय के लिये बाध्य होंगे ।

श्री दामोदर मैनन (कोझी कोडा) : मंत्री महोदय ने बताया कि उस समझौते में हम ने न्यूनतम निश्चित कर दिया था, और जब मूल्य न्यूनतम से भी कम हो गया तो आयात कर्त्ता देशों को न्यूनतम मूल्य पर ही मूल्य देना पड़ा था । मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार हमें कितनी हानि हुई ?

श्री किदवई : मैं समझता हूं कि हमें कोई हानि नहीं हुई ।

श्री दामोदर मैनन : मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय उन कारणों को बताने की कृपा करें जिन के फलस्वरूप संयुक्त साम्राज्य इस समझौते से अलग रहा ।

श्री किदवई : कोई भी व्यक्ति अपनी कल्पना का परीक्षण कर सकता है और मैं अपनी का करूंगा ।

श्री दामोदर मैनन : क्या गेहूं का मूल्य कम होने की आशा है ? क्या भारत सरकार ने अन्य बाजारों को देखा था ? इस समझौते में सम्मिलित होने की जल्दी क्या थी ?

श्री वी० वी० गांधी : इस पर हस्ताक्षर करने वालों में से मैं एक था । अब मैं विचारता हूं कि यदि इस वार्ता को कुछ दिनों के लिये, स्थगित कर दिया जाता तो अच्छा होता क्योंकि समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिये, मैं समझता हूं, ब्रिटेन के लिये आज अंतिम दिन है । यह वार्ता इस पर ही आधारित है और यदि ग्रेट ब्रिटेन सहमत हो जाता है तो यह सर्वथा आधारहीन हो जायेगी ।

मैं भारत सरकार द्वारा उठाये पग का पूर्ण समर्थन करता हूं और इस के दो कारण हैं अर्थात् पहिला तो यह कि मैं नहीं समझता कि यह सौदा बुरा है और दूसरा कारण यह है कि सरकार क्रय वस्तुओं पर अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के विचार का समर्थन कर रही है । संसार के इतिहास में यह प्रथम महान अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव है ।

श्री बसु जानना चाहते थे कि पहिले समझौते से हमें क्या हानि तथा लाभ हुआ । गत ४ वर्षों से हमें प्रति वर्ष वास्तव में २० लाख रुपये का लाभ हुआ है ।

सम्भरण के आधिक्य के बारे में भी कुछ कहा गया है। यदि आधिक्य का सिद्धान्त मानने योग्य होता तो ब्रिटेन अधिक मूल्य देने को

क्यों तैयार होता । वास्तविकता यह है कि गत वर्ष निर्यातकर्त्ता देशों में उत्पादन-अतिरेक ६६० लाख बुशल था और इस वर्ष ४६० लाख बुशल है । इस वर्ष भी हमारी स्टाक-स्थिति लग भग गत वर्ष जैसी ही है क्योंकि गत वर्ष हमारे स्टाक में १६० लाख बुशल थे और इस वर्ष के अन्त में ३४० लाख बुशल होंगे ।

अतः मैं सरकारी क्रिया का पूर्ण समर्थन करता हूं ।

श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर) : सदन को विदित होगा कि दो डालर ५ सैन्ट्स का मूल्य संयुक्त राज्य सरकार के फार्म-समर्थन-कार्यक्रम का फल है और इस के बदले में ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि संयुक्त राज्य सरकार रबर आदि के लिये स्टर्लिंग-क्षेत्र-समर्थन-कार्यक्रम पर अनुकूल विचार करती । हम तो सरकार से यह जानना चाहते हैं कि अधिक मूल्य के लिये सहमत होने के पूर्व क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय स्टाक स्थिति का पता लगा लिया था ? मैं डा० गांधी द्वारा दिये गये आंकड़ों से सन्तुष्ट नहीं हूं। १९५२-५३ में संयुक्त साम्राज्य, आस्ट्रेलिया, कनाडा तथा अरजनटायना, जो निर्यात कर्त्ता देश हैं की स्टाक स्थिति १६० लाख टन थी । माननीय मंत्री इस स्थिति में हैं कि स्टाक स्थिति का पता लगा सकते हैं । इस स्टाक स्थिति की दृष्टि से मैं जानना चाहता हूं कि संसार के गेहूं समझौता में मूल्य नियत करने में क्या उन्हों ने हमारी स्थिति का उचित ध्यान रखा है ? क्या हम ने स्वतंत्रतापूर्ण पग उठाये हैं ।

श्री चिनारिया (महेन्द्र गढ़) : मेरा ख्याल सिर्फ इतना है कि क्या कोई क्वालिटी का स्पेसिफिकेशन भी कायम किया गया है क्योंकि अब तक का तजुर्बा यह है कि वहां से चाहे कैसे ही चलता हो यहां पर कंजूमर्स के पास कूड़ा ही पहुंचता है ।

श्री किदवई : मैं समझता हूं कि बार्ता में भाग लेने वाले कुछ सदस्यों को उन स्थितियों का पता नहीं है जिन में गेहूं का क्रय दिया गया है । पहिले, समझौते की शर्तों को बताते हुए मैं ने बताया था कि एक बार बर्मा सरकार ने हमें बड़े ही अनुकूल मूल्य पर चावल देना स्वीकार किया था और जो हम आज दे रहे हैं वह इस मूल्य का आधा भी नहीं होता । पर वह दीर्घकालीन समझौता चाहते थे, अर्थात् ६, ७ वर्ष के लिये । हमारे विशेषज्ञों ने जो प्रत्येक बात यें कुछ पता लगाते हैं, सुना कि चावल का मूल्य गिर रहा है और उन्हों ने सलाह दी कि हम इस ७ वर्ष के काल के लिये क्यों बाध्य हों ? जो मूल्य हम आज दे रहे हैं उस से पता लगता है कि हमारे विशेषज्ञ कितने गलत थे ।

क्योंकि यह सम्मेलन गेहूं समझौते पर पुनः विचार करने के लिये गत वर्ष इंग्लैंड में आरम्भ हुआ था हम और ब्रिटेन पूर्ण सहमति से काम कर रहे थे । हम ने निर्यात-कर्त्ता देशों के मूल्य बढ़ाने के प्रत्येक प्रयत्न का विरोध किया यहां तक कि लंदन सम्मेलन समाप्त हो गया । सम्मेलन की बैठक फिर हुई, और हम ने तथा ब्रिटेन ने पूर्ण सहमति से काम किया । सम्मेलन ने निश्चय किया कि निर्यात कर्त्ता देश उच्चतम मूल्य २.०५ डालर नियत करेंगे । फिर हम अलग हो गये । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि आरम्भ में केवल १७ देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किये थे और ब्रिटेन तथा भारत में से किसी ने भी नहीं किये थे । वाशिंगटन की एक समाचार ऐजेन्सी ने समाचार दिया था कि भारत और ब्रिटेन समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं । पर हमने इस पर प्रत्येक दृष्टि से विचार किया और सोचा कि समझौते पर हस्ताक्षर करना लाभकारी होगा ।

[श्री किदवई]

जब से ब्रिटेन में अनुदार दल सत्तारूढ़ हुआ है तब से वह राज्य-व्यापार को समाप्त कर रहा है और अपने व्यापार को व्यक्तिगत व्यापारियों को दे रहा है। वे समस्त आर्थिक सहायताओं को भी समाप्त कर रहे हैं और यद्यपि यह जानने का मेरे पास कोई साधन नहीं हैं, वे गेहूं व्यापार भी व्यक्तिगत व्यापारियों को देने वाले हैं। अतः वे इस समझौते में सम्मिलित नहीं हुए हैं।

अतः मेरे पास गत चार वर्षों के खुले बाजारों के मूल्य हैं, जब कि यह समझौता लागू था। १९५० में न्यूनतम मूल्य २.१७ डालर था। वह १९५० में नई फसल का न्यूनतम मूल्य था और किस्त्रानुसार मूल्य अधिक था। मेरे विचार मे अधिकतम मूल्य २.३४ डालर था। इस समझौते के अनुसार जितनी मात्रा के लिये हम सहमत हुए थे १.८० डालर पर की गई थी और जो कुछ भी अन्तर था वह संयुक्त राज्य सरकार द्वारा संयुक्त राज्य में दिया गया था। उस समय भी लोगों का विचार था कि मूल्य गिरेंगे। अतः न्यूनतम मूल्य १.५० डालर से घटा कर १.२० डालर कर दिया गया। पर हम देखते क्या हैं? आगामी वर्ष न्यनतम मूल्य जिस पर गेहूं उपलब्ध था, २.२६ डालर था अर्थात् ९ सैन्ट्स की वृद्धि। अतः हम लाभ में रहे। आगामी वर्ष अर्थात् १९५२ में न्यूनतम मूल्य २.३४ डालर था, जो और भी अधिक वृद्धि है। इस वर्ष अर्थात् १९५२-५३ में जिस न्यूनतम मूल्य पर गेहूं उपलब्ध था, २.४४ डालर था। यदि यह समझौता न होता तो स्टाक एकत्रित करते हुए भी हमें प्रति वर्ष अधिक से अधिक मूल्य देना पड़ता। यह समझौता हमें समझौते के अनुसार अधिकतम मूल्य देने का अधिकारी बनाता है अर्थात् १.८० डालर और अन्तर निर्यात-कर्त्ता देशों द्वारा दिया गया।

इस सम्बन्ध में हमें यह अवश्य याद रखना चाहिये कि संयुक्त राज्य की नीति मूल्य समर्थन की है। न्यूनतम मूल्य कुछ भी हो, संयुक्त राज्य सरकार गेहूं उत्पादक को २.२१ डालर देगी। जब तक वह मूल्य-समर्थन है, ये उच्च मूल्य प्रचलित रहेंगे क्योंकि कोई भी व्यक्ति उत्पादक को दी जाने वाली कीमत से कम पर नहीं बेचेगा। मूल्य-समर्थन अगले दो वर्ष और चलेगा। अतः अगले दो वर्षों में मूल्यों के गिरने की कोई संभावना नहीं है। यह सत्य है कि संयुक्त साम्राज्य समझौता में सम्मिलित नहीं हुआ है। संयुक्त साम्राज्य अत्याधिक उपयोगकर्त्ता था, परन्तु गेहूं का उपयोग चलता रहेगा।

१ म० प०

यदि इंगलिस्तान उक्त समझौते के अनुसार नहीं खरीदेगा तो इंगलिस्तान व्यापारी खुले बाजार में गेहूं खरीदेंगे। जब तक संयुक्त राज्य अमरीका मूल्य-समर्थन की नीती अपनाते रहेगा तब तक यही मूल्य जारी रहेगा। इसीलिये हम ने अन्त में इस समझौते पर हस्ताक्षर किये। अभी भी कहा जाता है कि हम इस का अनुसमर्थन न करें। वैसा करने के लिये हम स्वतंत्र हैं। किन्तु इस सदन में मैं ने ऐसी कोई बात नहीं सुनी जिस से हमें अन्यत्र सस्ते दामों में गेहूं मिलने की आशा हो।

एक मित्र ने अरजेंनटिना तथा रूस का नाम लिया। मैं रूस से संबंध स्थापित करने की कोशिश करता आया हूं। मैं ने रूसी दूतावास से बात चीत की है। दो वर्ष पहले हम ने रूस से अदला बदली का समझौता किया था। उक्त समझौते में हमें अन्य समझौतों की अपेक्षा अधिक नुकसान उठाना पड़ा।

इस वर्ष में रूस के साथ अगले पांच वर्षों में १० लाख टन गेहू का संक्षरण

करने के बारे में दीर्घकालीन समझौता करने के लिये तैयार हूं। मैं ने सुझाव दिया है कि हम उन्हें पूर्वी पंजाब के खुले बाजार के आन्तरिक मूल्य के हिसाब से पैसा देंगे और इस के बदले में हम उन्हें हमारे देश से चाहे जो चीज यहां के आन्तरिक मूल्य में खरीदने का अबाध स्वातन्त्र्य देंगे। अभी हमने उन से कोई उत्तर नहीं पाया है। रूस के बारे में यह स्थिति है ।

यदि सदस्य अभी भी यह सोचते हैं कि हम घाटे का सौदा कर रहे हैं तो हम उन की बात मान लेने के लिये तैयार हैं। किन्तु बाद में यदि हमें उस मूल्य में गेहूं नहीं मिलेगा तो हमें ही उत्तरदायी ठहराया जायेगा। वस्तुतः हमें अधिक गेहूं के आयात की आवश्यकता नहीं है। चावल की कमी के कारण हमें गेहूं आयात करना पड़ रहा है। जब तक संयुक्त राज्य अमरीका की मूल्य-समर्थन की नीति जारी है तब तक हमें यह सौदा न करने से कोई लाभ नहीं होगा। मैं नहीं जानता कि इंगलिस्तान नें इसे क्यों स्वीकार नहीं किया। हम सदैव परस्परों से परामर्श करते थे। मतभेद केवल इस बात पर हुआ कि हस्ताक्षर करने चाहियें या नहीं। हम ने हस्ताक्षर करने का निश्चय किया। इंगलिस्तान में वे सारा वाणिज्य निजी व्यापारियों को सौंपना चाहते हैं और सारी आर्थिक सहायता बन्द करना चाहते हैं। इंगलिस्तान के लोग हम से कई अधिक रईस हैं। मूल्य में थोड़ी वृद्धि भी हुई तो वे अधिक पैसा दे सकते हैं। किन्तु क्या हम यह धोखा उठा सकते हैं ?

यदि संयुक्त राज्य अमरीका के खुले बाजार में गेहूं का मूल्य समझौते के न्यूनतम मूल्य से भी कम हो गया तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। क्यों कि फिर हमें अधिक भुगतान करना पड़ेगा। किन्तु जब तक अमरीका की खाद्य-नीति जारी है तब तक इस के होने की उम्मीद नहीं है। खुले बाजार के प्रचलित मूल्यों में तथा समझौते के न्यूनतम मूल्य में इतना बड़ा अन्तर है कि अगले चार वर्षों में हमें नुकसान उठाने की कोई संभावना मुझे प्रतीत नहीं होती ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं अवधि जान सकता हूं ?

श्री किदवाई : तीन वर्ष ।

श्री चिनारिया : मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला ।

श्री किदवई : जवाब उस का बहुत सीधा है कि खरीदने का तरीका क्या है कि हम उन के यहां से एक दम ले लेते हैं या ओपुन मारकेट में खरीदते हैं। तो हम अपने आदमी भेजते हैं, वह जा कर वहां गेहूं लेते हैं और वह बेचने वाले अपना बिल भेज देते हैं जिस को वह अपनी गवर्नमेंट से ले लेते हैं। तो यह तो हमारा अखित्यार है कि किस किस्म से खरीदें। तो जो गेहूं अगर खराब आया तो उस की दो वजह हो सकती थीं। या तो हमारे खरीदने वालों ने सही किस्म पसन्द नहीं की, या यह कि अच्छी किस्म का गेहु वहां मौजूद नहीं था और हमारे यहां जरूरत थी, लिहाजा खराब किस्म का ही ले लिया गया ।

श्री चिनारिया : फैक्ट तो यही है कि बहुत खराब गेहूं आया है। ऐसा निकम्मा गेहूं मैं ने पहले कभी नहीं खाया और एम० पी० बनने पर ही यह खराब गेहूं मुझे मिला ।

श्री किदवई : यहां जितने एम० पी० बन कर आये हैं उन्हों ने यह गेहू लिया, लेकिन हम लोगों के सामने अच्छी किस्म का गेहूं भी आया है। मगर मैं उम्मीद दिलाता हूं कि अब जो सामान आवेगा वह बहुत अच्छा आवेगा, क्योंकि हम को ज्यादा खरीदना नहीं है ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मंगलवार, २८ अप्रैल १९५३ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।